लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड 43, 1965/1887 (शक)

Volume XLIII, 1965/1887 (Saka)

3 से 11 मई, 1965 तक/13 से 21 वैशाख, 1887 (शक)
May 3 to 11, 1965/Vaisakha 13 to 21, 1887 (Saka)

Preservation 27-5-92
Fumigated 20-12-83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, 1965/1886-87 (शक)
Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

खण्ड 43 में अंक 51 से 57 तक हैं
Vol. XLIII contains Nos. 51 to 57

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/ हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

750 (Ai) LS—1

विषय-सूची

अंक 56, सोमवार, 10 मई, 1965/20 वैशाख, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1247	आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा	5409--11
1248	पाकिस्तान द्वारा, अमरीकी हथियारों का प्रयोग	5412--17
1250	वियतनाम के बारे में ब्रिटेन से पत्र	5417--20
1251	"हकीकत" फिल्म का प्रदर्शन	5420--22
1252	मोज़ामबिक से स्वदेश लौटने वाले भारतीय	5422--24
1253	परमाणु संरक्षण	5424--27
1254	गीत तथा नाटक डिवीजन	5428–29

अल्प सूचना

प्रश्न संख्या		
16	खमड़िया के आयुध कारखाने में विस्फोट	5429–30
17	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	5430--32

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रश्न संख्या		
1249	चीन में भारतीय दूतावास के अधिकारी	5432–33
1255	कच्ची फिल्मों सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति	5433
1256	भारतीय वायु सेना विमान दुर्घटना	5434
1257	लंका से भारत आने वाले भारतीयों को विमान द्वारा लाना	5434
1258	हट्टी सोना खानों में तालाबन्दी	5434–35
1259	बांडग सम्मेलन में ध्वज घटना	5435–36
1260	नागालैंड में शान्ति वार्ता	5436
1261	टेलं विजन	5437
1262	केन्दवाडीह कोयला खान में दुर्घटना	5437–38
1263	पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन	5438
1264	सुरक्षा परिषद् को पाकिस्तान का पत्र	5438
1265	पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन	5439

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 56.—Monday, May 10, 1965/Vaisakha 20, 1887 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
1247	Assam-East Pakistan Border	5409–11
1248	Use of American Arms by Pakistan	5412–17
1250	Communication from U. K. about Vietnam	5417–20
1251	Exhibition of 'Haqeeqat'	5420–22
1252	Indian Repatriates from Mozambique	5422–24
1253	Nuclear Umbrella	5424–27
1254	Sorg and Drama Division	5428–29

SHORT NOTICE QUESTION No.

16	Explosion in Ordnance Factor Khamaria	5429–30
17	Heavy Ergineerirg Corporation Ranchi	5430–32

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
1249	Indian Embassy Officials in China	5432–33
1255	Central Advisory Committee on Raw Films	5433
1256	I.A.F. Plane Crash	5434
1257	Airliftirg of Immigrants from Ceylon	5434
1258	Lock-out in Hutti Gold Mines	5434–35
1259	Flag incident in Bandung Conference	5435–36
1260	Peace talks in Nagaland	5436
1261	Television	5437
1262	Accident in Kendwadih Colliery	5437–38
1263	Violation of Cease-fire Line by Pakistan	5438
1264	Pakistan's letter to Security Council	5438
1265	Air Space violation by Pakistan	5439

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1266	भारत में से गुजर कर जाने की सुविधाओं के लिये पाकिस्तानियों के आवेदन पत्र . .	5439
1267	कच्छ में अमरीकी हथियारों का प्रयोग	5440
1268	छिपे नागाओं के नेता से आश्वासन	5440
अतारांकित प्रश्न संख्या		
3336	कुट्टनाड में मकानों की कमी	5441
3337	इल्मेनाइट का निर्यात	5441
3338	नेफा में पीने का पानी	5441
3339	महाराष्ट्र में बेरोजगार व्यक्ति	5441–42
3340	महाराष्ट्र में पंचायत समिति कार्यालय	5442
3341	पंचायत समिति कार्यालयों में टेलीफोन	5442
3342	कोयला खान मजदूरों के लिये हेलमेंट	5442–43
3343	सिंग्रनी कोयला खानें .	5443
3344	पोप पाल---6 को भेंट . .	5443
3345	अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों में भारत का शामिल होना	5443-44
3346	नामिकीय अनुसंधान के लिये अन्तविश्वविद्यालय केन्द्र	5444-45
3347	पारपत्र रेकेट	5445
3348	चीन के राष्ट्रपति का सिक्किम के महाराजा को सन्देश	5445
3349	डाक तथा तार निदेशालय में हिन्दी	5445-46
3350	डाक तथा तार विभाग में हिन्दी	5446
3351	बांडुंग सम्मेलन में भारत का भाग लेना .	5446-47
3352	प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिये लोहा ढलाई कारखाना	5447
3353	द हेग में भारतीय दूत	5447–48
3354	दक्षिण रोडेशिया .	5448
3355	कलकत्ता गोदी श्रमिक-बोर्ड	5448
3356	राष्ट्रीय रक्षा कोष . .	5448
3357	संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट	5449
3358	लाइसेंस शुल्क के लिये ब्रिटिश सहायता	5449
3359	मोहन लक्ष्मण रानाडे की नजरबन्दी	5449
3360	बर्मा से भारतीय	5450
3361	फूलबरिया, उत्तर प्रदेश में चांदमारी क्षत्र	5450
3362	डाक तथा तार सर्किल, विदर्भ .	5450-51
3363	श्रोता-अनुसंधान के लिये निदेशालय	5451
3364	सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर में प्रदेश .	5451–52
3365	सैनिक स्कूल, भूवनेश्वर को केन्द्रीय सहायता	5452
3366	सम्बलपुर में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	5452-53

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
1266	Applications from Pakistanis for transit facilities .	5439
1267	Use of U.S. arms in Kutch	5440
1268	Assurance from Chief of Underground Nagas .	5440
Unstarred Q. Nos.		
3336	Housing shortage at Kuttanad . .	5441
3337	Export of Ilmenite	5441
3338	Drinking water supply in NEFA	5441
3339	Unemployed persons in Maharashtra . . .	5441-42
3340	Panchayat Samiti Offices in Maharashtra . .	5442
3341	Telephones in Panchayat Samiti Offices	5442
3342	Helmets for Colliery Workers	5442-43
3343	Singareni Collieries	5443
3344	Present for Pope Paul VI	5443
3345	India's Participation in International Convention . .	5443-44
3346	Inter-Varsity Centres for Nuclear Research . . .	5444-45
3347	Passport Racket	5445
3348	Chinese President's Message to Maharaja of Sikkim .	5445
3349	Hindi in P. and T. Directorate	5445-46
3350	Hindi in P. and T. Department .	5446
3351	India's Participation in Bandung Conference .	5446-47
3352	Iron Casting Plant for Defence Requirements	5447
3353	Indian Envoy in The Hague .	5447-48
3354	Southern Rhodesia . . .	5448
3355	Calcutta Dock Labour Board .	5448
3356	National Defence Fund . . .	5448
3357	Report of U. N. Population Commission	5449
3358	British aid towards Licence fee .	5449
3359	Detention of Mohan Laxman Ranade	5449
3360	Indians from Burma . . .	5450
3361	Rifle Shooting Area in Phulvaria, U.P. .	5450
3362	P. and T. Circle, Vidarbha .	5450-51
3363	Directorate for Listener Research .	5451
3364	Admission in Sainik School Bhubaneswar .	5451-52
3365	Central Grant to Sainik School, Bhubaneswar	5452
3366	Quarters for Staff at Sambalpur . . .	5452-53

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
3367	उड़ीसा में डाकघर	5453
3368	पंजाब में टेलीफोन राजस्व	5453
3369	पंजाब में शिक्षित बेरोजगार	5454
3370	पंजाब में डाकघर	5454–55
3371	पोस्टल फार्म	5455
3372	दिल्ली में युद्ध स्मारक	5455-56
3373	दैनिक समाचार-पत्रों के मूल्य	5456
3374	ब्रिटेन में भारतीय वायुसेना के अधिकारी की मृत्यु	5456
3375	इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, बंगलोर	5456–57
3376	पश्चिमी बंगाल में प्रसारण केन्द्र	5457
3377	चलचित्र उद्योग की अर्थ व्यवस्था	5457
3378	डाक तथा तार कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाना	5458
3379	भूतपूर्व आयुध सेवा निदेशक	5458
3380	प्रधान मंत्री की यूगोस्लाविया की यात्रा	5458–59
3381	सैनिकों के परिवारों को प्राथमिकता देना	5459
3382	हिन्दी फिल्म "वह कौन थी"	5459
3383	स्वर्गीय पं० नेहरू की मृत्यु के समाचार का प्रसारण	5459-60
3385	दूतावासों द्वारा किराया न देना	5460
3386	प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान का उत्पादन	5460
3387	अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन	5461
3388	कारखानों में सुरक्षा सम्बन्धी उपाय	5461-62
3389	डाक द्वारा भेजे गये तारों का शुल्क वापिस करना	5462
3390	आगरा के निकट उड़ान दुर्घटना	5462–63
3391	उपभोक्ता मूल्य देशनांक	5463–64
3392	नैपाली और गोरखाली में समाचार बुलेटिन	5464
3393	कोयला खानों में दुर्घटनायें	5464–65
3394	पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन	5465–66
3394-क	प्रचार अभियान	5466

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . 5466–67, 5514--18

(एक) लुधियाना के एक गांव में विमान से फैंके गये एक बम के कारण हुई तीन व्यक्तियों की मृत्यु के समाचार 5466–67

श्री हुकम चन्द कछवाय 5466

श्री यशवन्तराव चह्वाण 5467

(दो) शेख अब्दुल्ला तथा मिर्जा अफजल बेग की गिरफतारी 5514--18

श्री किशन पटनायक 5514

श्री नन्दा 5514--18

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . . . 5467, 5471

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . 5468--70

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
3367	Post Offices in Orissa	5453
3368	Telephone Revenue in Punjab	5453
3369	Educated Unemployed in Punjab	5454
3370	Post Offices in Punjab	5454–55
3371	Postal Forms	5455
3372	War Memorial in Delhi	5455–56
3373	Prices of Daily Newspapers	5456
3374	Death of an I.A.F. Officer in U.K.	5456
3375	Indian Telephone Industries, Bangalore	5456–57
3376	Transmitting Centres in West Bengal	5457
3377	Economics of Film Industry	5457
3378	Teaching Hindi to P. and T. Employees	5458
3379	Ex-Director of Ordnance Services	5458
3380	Prime Minister's Visit to Yugoslavia	5458–59
3381	Preference to families of Army Personnel	5459
3382	Hindi Film 'Woh Kaun Thi'	5459
3383	News broadcast about death of late Pt. Nehru	5459–60
3385	Non-Payment of rents by Embassies	5460
3386	Defence Production	5460
3387	Afro-Asian Conference	5461
3388	Safety Measures in Factories	5461–62
3389	Refund of Telegram Charges sent by Post	5462
3390	Flying Accident Near Agra	5462–63
3391	Consumer Price Index	5463–64
3392	News Bulletins in Nepali and Gorkhali	5464
3393	Accidents in Coal Mines	5464–65
3394	Air Space Violation by Pakistan	5465–66
3394-A	Publicity Campaign	5466
	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance	5466–67 5514—18
	(i) Reported death of three persons in a Ludhiana village due to a bomb dropped from a plane	5466–67
	Shri Hukam Chand Kachhavaiya	5466
	Shri Y. B. Chavan	5467
	(ii) Arrest of Sheikh Mohammed Abdullah and Mirza Afzal Beg.	5514—18
	Shri Kishen Pattnayak	5514
	Shri Nanda	5514—18
	Re : Point of Privilege	5467, 5471
	Papers laid on the Table	5468—70

विषय	पृष्ठ
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति .	5470
कार्यवाही–सारांश .	5470
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति . .	5471
कार्यवाही–सारांश	
राज्य-सभा से संदेश	5471–72
गांधी जी के जन्म-शताब्दी समारोह के लिए राष्ट्रीय समिति के बारे में वक्तव्य	
श्री मु० क० चागला .	5472–73
दिल्ली भूमि-सुधार (संशोधन) विधेयक––पुरः स्थापित .	5475–76
केरल राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक .	5476––82
खंड 3 और 1 .	5476––79
पारित करने का प्रस्ताव	5479
श्री रंगा .	5479
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	5479
श्री कोया	5479
श्री हरि विष्णु कामत	5479–80
श्री च० का० भट्टाचार्य	5480
श्री अ० व० राघवन	5480–81
श्री हाथी . .	5481–82
अनुदानों की मांगें––केरल, 1965–66	5482
श्री यशपाल सिंह	5484–85
श्री मणियंगाडन .	5485––87
श्री मे० क० कुमारन	5487––99
श्री अच्युतन	5499–5500
श्री कोया	5500–01
श्री केप्पन .	5501–02
श्री नी० कान्तन नायर	5502–03
श्री नटराज पिल्ले	5503–04
श्री वासुदेवन नायर	5504––06
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	5506
श्री ब० रा० भगत	5506––10
केरल विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1965––पुरःस्थापित तथा पारित .	5511
रेलवे अभिसमय समिति के बारे में संकल्प	5512
श्री स० का० पाटिल	5512–13
श्री बड़े .	5513
श्री दी० चं० शर्मा . . .	5513
सरकारी कर्मचारियों को स्कूटर दिये जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	5518–19
श्री हुकम चन्द कछवाय .	5518–19

Subject	PAGES
Committee on Private Members' Bills and Resolutions	5470
Minutes	5470
Committee on Absence of Members	5471
Minutes	5471
Message from Rajya Sabha	5472–72
Statement re : National Committee for Gandhi Centenary Celebrations	5472–73
Shri M. C. Chagla	5472–73
Delhi Land Reforms (Amendment) Bill—introduced	5475–76
Kerala State Legislature (Delegation of Powers) Bill	5476–82
Clauses 3 and 1	5476—79
Motion to pass	5479
Shri Ranga	5479
Shrimati Renu Chakravartty	5479
Shri Koya	5479
Shri Hari Vishnu Kamath	5479–80
Shri C. K. Bhattacharyya	5480
Shri A. V. Raghav	5580–81
Shri Hathi	5481–82
Demands for Grants—Kerala, 1965-66	5482—5510
Shri Yashpal Singh	5484–85
Shri Maniyangadan	5485—87
Shri M. K. Kumaran	5487—99
Shri Achuthan	5599—5500
Shri Koya	5500–01
Shri Kappen	5501–02
Shri N. Sreekantan Nair	5502–03
Shri Natarja Pillai	5503–04
Shri Vasudevan Nair	5504—06
Shri Harish Chandra Mathur	5506
Shri B. R. Bhagat	5506—10
Kerala Appropriation (N. 2) Bill, 1965—Introduced and Passed	5511
Resolution re : Railway Convention Committee	5512–13
Shri S. K. Patil	5512–13
Shri Bade	5513
Shri D. C. Sharma	5513
Half-an-Hour Discussion re : allotment of scooters to Government employees.	5518–19
Shri Hukam Chand Kachhavaiya	5518–19

750 (Ai) LS—2.

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 10 मई 1965 / 20 वैशाख, 1887 (शक)

Monday, May 10, 1965/Vaisakha 20, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा

*47. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रीय कमाण्डरों की 12 अप्रैल, 1965 को भारतीय क्षेत्र में सूतकांडी में हुई बैठक में आसाम-पूर्वी-पाकिस्तान सीमा के झगड़े के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां। लेकिन सूतकांडी की जांच-चौकी, जहां मीटिंग हुई थी, पाकिस्तान की तरफ है ।

(ख) हालांकि इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा अच्छी तरह स्थिर की हुई है जिसका रेखांकन भारत और पाकिस्तान ने मिलकर 1960–61 में किया था, तो भी पाकिस्तान सीमांत सेना ने, व्यवहार में, इसे दोनों तरफ के क्षेत्राधिकार की सीमा के रूप में नहीं माना हैं। मीटिंग में पाकिस्तान के सेक्टर कमांडर ने अपने व्यक्तियों द्वारा सीमा और ग्राउन्ड रूल्स के उल्लंघन के लिए जाने का बचाव यह असाधारण दावा जता कर किया कि पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के सैनिक "पाकिस्तान के प्रतिकूल अधिकार के अन्तर्गत क्षेत्र के भीतर गश्त" लगा रहे थे । भारत की तरफ रेखांकित सीमा की किसी भूमि पर पाकिस्तान का बिल्कुल कोई दावा नहीं ठहरता और जैसा कि भारत के सेक्टर कमांडर ने पाकिस्तान के सेक्टर कमांडर को स्पष्ट कर दिया है, हमारे गश्ती सैनिक सीमा खंभों तक गश्त लगाने के अपने अधिकार का बराबर उपयोग करते रहेंगे ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या पूर्वी पाकिस्तान और आसाम के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का रेखांकन पहले से हो चुका है और यदि पाकिस्तान उसे नहीं मानता तो इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कौन से कदम उठाये गये हैं कि पाकिस्तान सही मार्ग पर चले और अन्तर्राष्ट्रीय औचित्य का ध्यान रखे ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : भूमि सीमा नियमों (ग्राउन्ड रूल्स) के अनुसार जब कभी सीमा का उल्लंघन होता है तो सेक्टर के कमांडर मिलते हैं। यदि वह सहमत न हो पायें तो उस की सूचना राज्य सरकार को दी जाती है। तब उस मामले पर उच्चतर स्तर पर बातचीत होती है। हमें आशा है कि जो बातचीत हो रही है उसका कुछ परिणाम निकलेगा।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं समझता हूं कि यह सभा बातचीत के तरीके से पूरी तरह परिचित है और यह भी जानती है कि यह तरीका असफल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उन स्थानों में उचित रूप में गश्त करने के लिये क्या कदम उठा रही है जो हमारे हैं ताकि पाकिस्तान के लोग हमारे राज्य-क्षेत्र में घुसने न पायें ?

श्री कपूर सिंह : प्रोफेसर शर्मा इस विषय में क्या सुझाव देना चाहते हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : तरीका वही है और जब तक उस तरीके में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक मैं कोई अन्य तर्क नहीं दे सकती। जहां तक इस स्थान का सम्बन्ध है, पाकिस्तान के जमींदारों की हमारे क्षेत्र में जमीनें हैं जिन पर पाकिस्तानी काश्तकार खेती करते हैं। इसी प्रकार सीमा के दूसरी ओर भारत की जमींदारों की जमीनें हैं जिन पर भारतीय खेती करते हैं। अभी तक तो कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई थी परन्तु हाल ही में हम ने देखा कि पूर्वी पाकिस्तान राईफल्स अपने काश्तकारों के साथ आते हैं और इसी कारण यह गड़बड़ पैदा हुई है।

श्री के० दे० मालवीय : चूंकि हमें इन भूमि सीमा नियमों एवं अन्य बातों का पर्याप्त अनुभव हो चुका है इसलिए क्या सरकार पाकिस्तान से कहेगी कि वह हमारे क्षेत्रों में इस प्रकार की घुसपैठ को रोकने के लिये कोई नया तरीका निकाले और इस समस्या को हल करने के लिए कोई अन्य उपाय करे ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी।

श्री अ० चं० गुप्त : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि सीमा के उस ओर भारतीय जमींदारों की जमीनें हैं और सीमा के इस ओर पाकिस्तानी जमींदारों की। क्या सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि उन जमीनों पर खेती करने और फसल लेने के मामलों में समान बर्ताव हो ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जहां तक इन दो क्षेत्रों का सम्बन्ध है इन में एक दूसरे के समान काम होता रहा है और अब तक हमें असम सरकार से इस आशय की कोई शिकायत नहीं मिली कि हमारे जमींदारों द्वारा जमीनों की खेती किये जाने के मामले में कोई बाधा न डाली गई हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस तथ्य की दृष्टि से कि आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा के विभिन्न सेक्टरों में पाकिस्तानी सेना की गतिविधियां केवल हमारे राज्य-क्षेत्र में गश्त करने तक ही सीमित नहीं रहीं, और नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लाठीटिला-दुमाबारी सेक्टर में भारी गोलाबारी की गई है और तोपों व भारी मशीनगनों का प्रयोग किया गया है, तो क्या सरकार विभिन्न स्थानों के क्षेत्रीय कमांडरों की बातचीत पर ही निर्भर रहने की बजाये इन सेक्टरों के बारे में पाकिस्तान सरकार के साथ उच्चतर स्तर पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : अभी तक पहले तरीके में परिवर्तन करने या उच्चतर स्तर तक मामले को ले जाने का तब तक कोई प्रस्ताव नहीं है जब तक कि बातचीत नीचे के स्तर पर असफल नहीं रहती ।

इस समय इस क्षेत्र में शांति है और चूंकि सैक्टर कमांडरों की बातचीत असफल रही है इसलिए हमें आशा है कि इस मामले को राज्य सरकार के स्तर पर लिया जायेगा और कुछ न कुछ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : हमारे क्षेत्रों में पाकिस्तान के बहुत अधिक अनधिकृत प्रवेश के प्रसंग में मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार मंत्रि-स्तर पर बातचीत करने की बजाये यह अधिक व्यवहार्य समझती है कि इस पर समझौते का प्रश्न सेक्टर कमांडरों पर ही छोड़ दिया जाये ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं पहले ही बता चुकी हूं कि भूमि सीमा नियमों के अन्तर्गत बातचीत करने का एक विशेष तरीका है । जब तक उन नियमों को बदला नहीं जाता तब तक हमारे लिए कोई अन्य उपाय करना बहुत कठिन है ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सही नहीं है कि रेडक्लिफ एवार्ड ने यह सिद्धान्त निर्धारित किया है जिस के आधार पर पाकिस्तान के साथ पूर्वी सीमा का रेखांकन किया जाना है और यदि हां, तो क्या हमारी सरकार को विश्वास हो गया है कि पाकिस्तान आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा का रेखांकन इस उद्देश्य से नहीं करना चाहता कि वह हम पर आक्रमण करना चाहता है और इसी प्रयोजनार्थ उस ने सीमा के पार अपनी सेना जमा कर ली है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस सेक्टर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का रेखांकन हो चुका है ।

श्री हेम बरुआ : सारी सीमा का नहीं हुआ ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Do the Government propose to arrest the Pakistanis who violate the border rules and enter into our territory? The number of arrests made, if any? If no arrest have been made what are the reasons?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हाल ही के अनधिकृत प्रवेशों के परिणामस्वरूप कमाण्डर इस बात पर सहमत हो गये हैं कि किसी भी पाकिस्तानी राष्ट्रिक को भारतीय राज्य-क्षेत्र में प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा । यहां तक कि उन्हें अपनी जमीन पर खेती करने के लिए भी तब तक नहीं आने दिया जायेगा जब तक उन के पास उचित यात्रा-पत्र न हों ।

श्री हेम बरुआ : एक औचित्य का प्रश्न है । यह कहा गया है कि सीमा के इस विशेष स्थान का रेखांकन किया जा चुका है । यदि इस का रेखांकन हो चुका है तो अनधिकृत प्रवेश करने वाले पाकिस्तानियों अथवा पाकिस्तान की सेना के लिये भारतीय राज्य-क्षेत्र में प्रवेश करना कैसे सम्भव हुआ और हमारी सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही क्यों न की ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस औचित्य के प्रश्न पर मुझे से किस प्रकार के उत्तर की आशा करते हैं । उन्होंने तो एक तर्क प्रस्तुत किया है । इस में नियम सम्बन्धी कोई प्रश्न नहीं है जिसका कि मुझे उत्तर देने की जरूरत हो ।

पाकिस्तान द्वारा अमरीकी हथियारों का प्रयोग

*1248. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अप्रैल, 1965 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुए 'बाल्टीमोर सन' के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि "प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के यह कहने के एक घंटे से भी कम समय के बाद कि पाकिस्तान ने भारतीय सीमा चौकी पर आक्रमण करने में अमरीकी हथियारों का प्रयोग किया है, एक सरकारी प्रवक्ता ने इस से प्रतिकूल बात कही . . . . . " और "वास्तव में सरकारी प्रवक्ता ने यह माना . . . . . कि भारत के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि पाकिस्तानी सीमा सेना ने किसी भी अमरीकी हथियारों का प्रयोग किया है" ; और

(ख) यदि हां, तो इस वक्तव्य पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी हां ।

(ख) प्रधान मंत्री का वक्तव्य पाकिस्तानी सेना के कुछ बन्दियों की स्वीकारोक्ति पर निर्भर था, जिन्होंने कहा था कि आक्रमण में भाग लेने वाली पाकिस्तानी सेना को अमरीकी हथियार दिये गये थे । सरकारी वक्ता इस तथ्य की ओर ध्यान दिला रहा था कि मुठ-भेड़ में कोई अमरीकी हथियार नहीं पकड़ा गया था बल्कि केवल अमरीकी साज-सामान पकड़ा गया था । इस प्रकार प्रधान मंत्री तथा सरकारी वक्ता के वक्तव्य में कोई पारस्परिक विरोध नहीं था ।

श्री हेम बरुआ : आसाम के पायलट आफिसर और मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के रहने वाले श्री उप्पल बारबरा के वीरतापूर्ण प्रयासों से इस तथ्य की अन्तिम रूप से पुष्टि हो गई है कि पाकिस्तान अमरीकी हथियारों का प्रयोग करता रहा है । इस प्रसंग में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रपति अयूब खां के उस बयान की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान कहीं से भी प्राप्त होने वाले हथियारों का प्रयोग करेगा, प्रत्येक शत्रु के विरुद्ध उन का प्रयोग करेगा और यदि हां, तो क्या यह बात अमरीकी सरकार को बताई गई है । यदि ऐसा किया गया है तो अमरीकी सरकार की इस विषय में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : जहां तक राष्ट्रपति अयूब खां के बयान का सम्बन्ध है हम ने इसे समाचार पत्रों में पढ़ा है । जहां तक मुझे मालूम है यह बात अमरीकी सरकार को बताई गई है ।

श्री शिंकरे : उन की इस बारे में प्रतिक्रिया क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या अमरीकी सरकार से कोई उत्तर आदि प्राप्त हुआ है जिस से उसकी प्रतिक्रिया जान पड़े ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : किसी ऐसी विशेष प्रतिक्रिया का पता नहीं चला है जो बताई जा सके ।

श्री हेम बरुआ : चूंकि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार देने का स्पष्ट उद्देश्य यह है कि उन का प्रयोग साम्यवादी देशों के विरूद्ध किया जाये और चूंकि पाकिस्तान का कोई साम्यवादी देश इस समय शत्रु नहीं है इसलिए वह यह नहीं चाहेगा कि उस के हथियार और गोला-बरूद पड़े पड़े बेकार हो जायें । उन का प्रयोग भारत के विरुद्ध किया जा सकता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या समस्या

का यह विशिष्ट पहलू अमरीकी सरकार के ध्यान में लाया गया है और क्या हमारी सरकार ने निश्चयात्मक ढंग से उस से कह दिया है कि वह पाकिस्तान को हथियार और गोला-बारुद न दे क्योंकि संसार के इस भाग में पाकिस्तान का कोई साम्यवादी शत्रु नहीं है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण: जहां तक मुझे ज्ञात है जिस स्थिति में आज यह दोनों देश हैं उस में पाकिस्तानी हथियारों के भारत के ही विरुद्ध प्रयोग किये जाने के खतरे सम्बन्धी पहलू को विशेष तौर पर अमरीकी सरकार के ध्यान में लाया गया है ।

श्री हेम बरुआ : उन की इस पर प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण: उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या इस बात का स्पष्ट सबूत है कि हमारी कच्छ सीमा पर आक्रमण करने के लिये पाकिस्तान ने उन हथियारों और टैंकों का प्रयोग किया है ? क्या यह भी सही है कि पाकिस्तान सरकार और विदेशी समाचारपत्रों के लोग यह कह कर हम पर दोषारोपण कर रहे हैं कि हम ने वहां पर अमरीकी हथियारों का प्रयोग उन के विरुद्ध किया है ? यदि हां, तो इस आरोप के सिलसिले में अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि किसी प्रकार की प्रतिक्रिया का पता नहीं चला है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या अमरीकी सरकार ने हमें सूचित किया है कि उन के पाकिस्तान के साथ हुए करार के इस भाग के उल्लंघन के लिए, जिस में अमरीकी हथियारों का भारत के विरुद्ध प्रयोग करना निषिद्ध है, विरोध प्रकट करने के सिवाय वह और कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं हैं ? क्या हमारी सरकार ने अमरीकी सरकार को बताया है कि चूंकि पाकिस्तान उन के हथियारों का दुरुपयोग कर रहा है इसलिए वह उसे सैनिक सहायता देना बन्द करे, और यदि वह ऐसा करने को तैयार नहीं है तो हम भी करार का पालन नहीं करेंग जैसे कि हम अब कर रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : नहीं श्रीमान्, यह प्रश्न इस विशेष रूप से नहीं उठाया गया है । परन्तु निश्चय ही हमने उनका ध्यान इस ओर दिलाया है कि इस विशेष अवसर पर पाकिस्तान ने हमारे विरुद्ध अमरीकी हथियारों का प्रयोग किया है और केवल अब ही नहीं भविष्य में भी ऐसा होने का खतरा है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस दृष्टि से कि सरकार के पास इस का निश्चित प्रमाण है कि पाकिस्तानी हमारे विरुद्ध अमरीकी हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं, इसका क्या कारण है कि अमरीका इस मामले में हमारे अभ्यावेदन की ओर कोई ध्यान नहीं देता, हालांकि हम अमरीका के सेना अधिकारियों तथा दूसरे व्यक्तियों को लड़ाई के क्षेत्र में यह जांच करने के लिये जाने की अनुमति दे रहे हैं हम उनके हथियार प्रयोग कर रहे हैं अथवा नहीं ? हमारे साथ किये जा रहे इस मत-भेद को सरकार क्यों सहन कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इसमें भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है । हम पाकिस्तान के विरुद्ध अमरीकी हथियार प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिये हमने उन्हें कहा है कि वे वहां जा कर देख सकते हैं कि हमने उनके हथियार प्रयोग किये या नहीं ।

Shri Raghunath Singh: Just now it has been said by the hon. Minister that American equipment was used. May I know the type of equipment used ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : प्रधान मंत्री के वक्तव्य के तुरन्त बाद ही सरकारी प्रवक्ता द्वारा दी गई इन्टरव्यु के इस विशेष मामले का सम्बन्ध 9 अप्रैल से 13 अप्रैल तक की अवधि से है। हमें यह सूचना मिली थी कि वे अमरीकी शस्त्र प्रयोग कर रहे हैं परन्तु उस समय हमारे पास कोई प्रमाण नहीं था या हमने उनके ऐसे हथियारों पर कब्जा नहीं किया था। साज़ सामान तथा हथियारों में जो अन्तर है वह समझा जाना चाहिये। उस समय भी साज़-सामान पर कब्जा किया गया था परन्तु शस्त्र नहीं पकड़े गये थे। बाद में जब बहादुर विमान चालक ने उन टैंकों के फोटो लिये तो हमारे पास पक्का प्रमाण था। इससे हमें प्रमाण मिला कि उन्होंने टैंकों, तोपों तथा दूसरे सामान का प्रयोग किया। उन्होंने अमरीका द्वारा दिये गये सभी प्रकार के हथियारों तथा साज़-सामान का प्रयोग किया।

श्री अल्वारेस : साज़-सामान तथा हथियारों में क्या कोई भेद है ?

श्री कपूर सिंह : इस दृष्टि से कि पाकिस्तान ने भी हमारे विरुद्ध यह आरोप लगाये हैं कि हमने भी उनके विरुद्ध अमरीकी शस्त्रों का प्रयोग किया है, क्या मैं जान सकता हूं इन शस्त्रों का जहां तक सम्बन्ध है, हमारा मामला पाकिस्तान से भिन्न है, और यदि है तो किस प्रकार ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे विचार में मैं ने पहले यह कहा था कि हमने इस विशेष मामले में अमरीकी हथियारों तथा साज़-सामान का प्रयोग नहीं किया।

श्री कपूर सिंह : यदि हम प्रयोग करते तो क्या हमारा मामला उन से भिन्न होता ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण: यह एक काल्पनिक प्रश्न है।

श्री के० दे० मालवीय : क्या हमने साधारणतया यह बात स्वीकार की है कि यदि पाकिस्तान हम पर आक्रमण भी करे तो भी हम संसार के किसी भी भाग से खरीदे हुये शस्त्रों का उनके विरुद्ध प्रयोग नहीं करेंगे ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : नहीं, श्रीमन्।

Shri Yashpal Singh: The foundation of Pakistan rests on lies and as such they will go on using American arms against us and will also continue propagating that they do not do so. May I know the action Government will take in that respect ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : अमरीकी सरकार ने हमें यह आश्वासन दिया है कि हथियार हमारे विरुद्ध प्रयोग नहीं किये जायेंगे। इस विशेष बात की ओर कि हमारे विरुद्ध उन हथियारों का प्रयोग हुआ है, अमरीकी सरकार का ध्यान दिलाया गया है। यह तो अमरीकी सरकार को देखना है कि इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : यदि हमने यह स्वीकार नहीं किया है कि हम दूसरे देशों से प्राप्त किये गये हथियारों को किसी विशेष देश के विरुद्ध प्रयोग नहीं करेंगे चाहे वह देश हम पर आक्रमण भी करे, तो कच्छ में हमारी सीमा में अमरीकी प्रेक्षक क्या देखने आये थे ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक हमें दिये गये अमरीकी साज़-सामान का सम्बन्ध है, उसके बारे में यह शर्त है कि वह पाकिस्तान के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जायेगा। श्री मालवीय ने संसार के देशों से खरीदे गये हथियारों के बारे में साधारण प्रश्न पूछा था।

श्री के० दे० मालवीय : इसमें अमरीका भी सम्मिलित है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : अमरीकी हथियारों का जहां तक सम्बन्ध है, यह विशेष आश्वासन दिया गया है कि वे पाकिस्तान के विरुद्ध प्रयोग नहीं किये जायेंगे और हमने इस आश्वासन का पालन किया है ।

Shri Prakash Vir Shastri: Pakistan used American arms not only on Kutch border. The Defence Minister stated the other day that Pakistan had used American arms on Jammu and Kashmir border. Whenever U. S. Government was told of these occurenceo asit has been recently done, U.S. Government instead of bring an answer, theretered India to take a serious view if India trined to have another front. In case it is true, what is the reaction of Government of India ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि हमें किसी ने कोई चेतावनी दी है ।

Shri Bade : The hon. Minister has just now said that Pakistan is using American arms against us. I want to know whether any action has been taken to see that American aid to Pakistan is stopped. If not, what are the reasons for the same.

श्री यशवन्तराव चह्वाण: हम ने अमरीका सरकार को यह बात बता दी है । उन्हें इस बात पर अवश्य पुनर्विचार करना होगा कि यदि दी जाने वाली सहायता का प्रयोग भारत के विरुद्ध किया जाता है तो क्या वह दी जानी चाहिए ।

श्री नाथ पाई : माननीय मंत्री यही बात कहते चले जा रहे हैं कि भारत सरकार ने अमरीका सरकार को बता दिया है कि पाकिस्तान किन्हीं और प्रयोजनों के लिये प्राप्त किये गये हथियारों को भारत के विरुद्ध प्रयोग कर रहा है । परन्तु क्या भारत सरकार ने अमरीका सरकार से कहा है कि भारत की जनता और विशेषकर संसद् अमरीकी हथियारों का पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध प्रयोग किया जाना, भारत के प्रति अमैत्रीपूर्ण समझती है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण: जो जानकारी मेरे पास थी वह मैं ने दे दी है ।

श्री नाथपाई : मैं अपने प्रश्न का उत्तर वैदेशिक-कार्य मंत्री या प्रधान मंत्री से चाहता हूं । केवल अमरीका को बतना ही पर्याप्त नहीं है । शायद पाकिस्तान के प्रति सदभावना ही प्रदर्शित की है । पाकिस्तान ने उन हथियारों का हमारे विरुद्ध प्रयोग किया है । सरकार को समूचेरूप में संयुक्त जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : वह बात अलग है कि उन्हें भिन्नरूप में कार्य करना चाहिये । परन्तु उन्होंने जो भी किया है, बता दिया है । वह जो चाहते हैं, वह अभी तक उन्हें नहीं बताया गया है ।

श्री नाथपाई : उन्होंने नहीं कहा । मैं प्रधान मंत्री या वैदेशिक-कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री नाथपाई : इस प्रकार के विषय पर . . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री नाथपाई : मैं अपना स्थान ले रहा हूं, परन्तु इस प्रकार के विषयों पर प्रक्रिया लचीली होनी चाहिये। यदि हम प्रधान मंत्री से कहें कि हम बहुत आतुर हैं तो उन को खड़े होकर उत्तर देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री को बुला नहीं सकता ।

श्री नाथपाई : आप प्रधान मंत्री से कह सकते हैं । मैं नहीं कह सकता ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कह सकता ।

श्री नाथ पाई : फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि उन की इच्छा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं देखा ।

श्री नाथ पाई : मैंने देखा है वह इच्छुक हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुकर्जी ।

श्री हो० ना० मुकर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न इस प्रकार है। आप ने माननीय श्री नाथपाई के प्रश्न की आज्ञा दी। उस में जानकारी मांगी गई थी। इस में नीति परिवर्तन के बारे में कोई बात नहीं थी। आप ने उस प्रश्न की आज्ञा दी है। मंत्री उस का उत्तर नहीं देना चाहते परन्तु इतना कहते हैं कि उन्होंने जो कहना था वह कह चुके हैं। जब वैदेशिक कार्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री यहां पर उपस्थित हैं तो उन को संसदीय पद्धति के अनुसार प्रतिरक्षा मंत्री की सहायता करनी चाहिये जो असमंजस में हैं। यदि आप सरकार से आग्रह करें कि प्रश्न का उत्तर प्रतिरक्षा मंत्री या कोई और दे तो उचित होगा। मैं इस विषय पर आपका विनिर्णय चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अन्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। यदि उन्हें कोई और बात कहनी है या उत्तर देना है तो वे ऐसा कर सकते हैं। प्रतिरक्षा मंत्री ने कह दिया है कि जो बात उन्हें कहनी थी उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा है कि अमरीका सरकार को सूचित कर दिया गया है कि पाकिस्तान ने ये हथियार हमें दिये गये आश्वासन का उल्लंघन करके हमारे विरुद्ध प्रयोग किये हैं। श्री नाथपाई ने सुझाव दिया है कि उनसे यह भी कह दिया जाये कि अमरीका का यह काम मित्रता का नहीं है . . . . (**अन्तर्बाधायें**) ।

श्री हनुमन्तैया : जो बात श्री नाथपाई ने कही है वह तो एक सुझाव है . . . (**अन्तर्बाधायें**) ।

अध्यक्ष महोदय : बिना मेरे बुलाये कोई नहीं बोले ।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : जब मैं कहता हूं कि मेरे बुलाये बिना कोई नहीं बोले तो इस में प्रधान मंत्री भी आते हैं । प्रधान मंत्री ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जैसा कि प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा है कि हम ने अपने विचार अमरीका सरकार को बता दिये हैं। यह वांछनीय है कि हमें कोई उत्तर मिले। फिर हम देखेंगे और यदि कुछ और करने की आवश्यकता हुई तो वह हम करेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : हां, मेरे विचार में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं, परन्तु जब कोई ऐसा प्रश्न हो भी तो संसद् के इस सदन में जब कोई ऐसा प्रश्न न हो तो इस प्रकार अन्तर्बाधायें खड़ी करना शोभा नहीं देता । यदि वास्तव में ही कोई व्यवस्था का प्रश्न है तो वह कहें ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन् मैं आप को आश्वासन दिलाता हूं कि मैं व्यवस्था के प्रश्न पर यथार्थ बात करता हूं । मैं इस पर स्वयं निर्णय नहीं कर सकता ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी को याद होगा कि मैंने उन के व्यवस्था के प्रश्नों को गिना था और मैंने आप को बताया भी था । यदि वह महसूस करते हैं कि व्यवस्था का प्रश्न है तो वह करें ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि सभा को जानकारी देने से पहले अमरीका की प्रतिक्रिया जानी जायेगी । इस बारे में एक पहले प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि हमने यह बात अमरीका को स्पष्ट कर दी थी और पाकिस्तान को एक विरोध पत्र भेजा था । अमरीका हथियारों की सहायता समाप्त नहीं करने जा रहा । क्या हमें प्रधान मंत्री से यह आशा नहीं करनी चाहिये कि वह अमरीका की कार्यवाही को अमैत्रीपूर्ण कार्यवाही कहें ? क्या उन्हें वही बात दोहरानी चाहिये जो हम ने समाचार-पत्रों में पढ़ी है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रधान मंत्री के लिये है कि क्या उत्तर दें ।

श्री स० मो० बनर्जी : आप प्रधान मंत्री से कह सकते हैं कि उत्तर दें ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे में बल नहीं ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम प्रधान मंत्री को उत्तर के लिये कैसे बाध्य कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

वियतनाम के बारे में ब्रिटेन से पत्र

*1250. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रिटेन की सरकार से कोई पत्र मिला है जिस में वियतनाम में पैदा हुई स्थिति से सम्बद्ध सरकारों के बीच शांति वार्ता कराने के लिये कोई रास्ता निकालने में भारतीय सरकार का सहयोग मांगा गया है ;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन की सरकार ने क्या सुझाव दिये हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत सरकार को यूनाइटेड किंगडम की सरकार से एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने वियतनाम की स्थिति पर हमारे विचार मांगे हैं ।

(ख) यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने कोई खास सुझाव नहीं दिए हैं ।

(ग) सदन को सरकार के विचार मालूम हैं । हमने हमेशा ही यह कहा है कि वियतनाम की समस्या का शांतिपूर्ण समाधान किया जाय और इसलिए, यह बड़े खेद की बात है कि अभी तक

लड़ाई चल रही है। भारत सरकार कुछ देशों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है और वह बिगड़ती हुई हालत को रोकने और एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगी। इस मामले पर श्री पैट्रिक गार्डन वाकर की हाल की भारत-यात्रा के दौरान उनके साथ भी बातचीत हुई थी।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या हमारे राष्ट्रपति ने अपने हाल ही के एक भाषण में वियतनाम में लड़ाई बन्द करने के बारे में ये तीन शर्तों वाले सुझाव दिये हैं कि वहां पर दोनों पक्षों द्वारा लड़ाई बन्द की जाये, वहां पर एक अफ्रीकी-एशियाई सेना सीमाओं की रक्षा करे तथा जब तक वियतनाम के लोग परिवर्तन न चाहें वर्तमान सीमाओं को कायम रखा जाये ? क्या ये सूत्र ब्रिटेन सरकार को भेज दिया गया है और क्या लड़ाई समाप्त कराने में रुचि रखने वाली अन्य सरकारों को भी यह सूत्र भेजा गया है ? यदि हां, तो उन की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दिनेश सिंह : राष्ट्रपति ने कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं दिये। उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं और हम सम्बद्ध सरकारों के साथ इन पर विचार विमर्श कर रहे हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : यदि राष्ट्रपति के इन सुझावों को अमरीका सरकार तथा ब्रिटेन सरकार नहीं मानती तो क्या सरकार इन को संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखेगी ताकि विश्व संस्था इस पर निर्णय करे और उचित सलाह दे ?

श्री दिनेश सिंह : वास्तव में यह सुझाव कार्यवाही करने के लिये हैं परन्तु इस समय इस का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सत्य है कि पिछले दो या तीन दिनों में दक्षिणी वियतनाम के उपप्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री दिल्ली में थे और हमारे प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री से मिले थे ? क्या इस बैठक में वियतनाम में शान्ति के लिये बातचीत हुई ? यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री या वैदेशिक-कार्य मंत्री इस सम्बन्ध में हाल की घटनाओं पर हुई प्रगति पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : हाल में कोई घटना नहीं हुई। हम ने बातचीत . . . .

श्री हरि विष्णु कामत : आप इस बातचीत में उपस्थित नहीं थे !

श्री दिनेश सिंह : मैं उपस्थित था।

श्री हरि विष्णु कामत : अच्छा, कहिये।

श्री दिनेश सिंह : हम ने वहां की स्थिति पर विचार किया और कोई समाधान ढूंढने की कोशिश की।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमन्, प्रधान मंत्री ने वियतनाम की समस्या के हल के लिये तीन शर्तें प्रस्तुत की थीं—वियतनाम में बमबारी बन्द की जाये, वहां से विदेशी सेनायें हटाई जायें तथा जनेवा सम्मेलन जैसा सम्मेलन बुलाया जाये। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार की नीति में राष्ट्रपति के प्रस्तावों के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन आ गया है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं ने पहले भी कहा था कि ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के नहीं हैं। उन्हों ने कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं दिये हैं। उन्होंने कुछ सुझाव दिये थे जिन का संकेत शायद समस्या का हल ढूंढने की ओर था। इस पर बातचीत कर रहे हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या ये प्रधान मंत्री के प्रस्तावों—बमबारी बन्द हो, विदेशी सेनाएं हटायी जायें तथा जनेवा सम्मेलन जैसा एक सम्मेलन हो—के अतिरिक्त हैं ? ये तीन प्रस्ताव भारत ने दिये थे। क्या हम अब भी इन के लिये नहीं कहते ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां।

Shri Kishen Pattnayak : Regarding Presidents' proposals Chinese Government has said that Government of India is pleading for America. Would not Government of India change its policy of giving weak support to China in south-east Asia ?

Shri Dinesh Singh: Our policy is not of weak support.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : ब्रिटेन सरकार, रूस सरकार तथा भारत सरकार के प्रस्तावों तथा भारत के राष्ट्रपति के सुझावों को चीन सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। यदि यह ठीक है तो इस समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान की क्या सम्भावना है और अमरीका सरकार को बमबारी बन्द करने को कहने तथा शान्तिपूर्ण तरीके अपनाने का क्या अर्थ है ?

श्री दिनेश सिंह : सभा को मालूम है चीन इस के शांन्तिपूर्ण हल में रुचि नहीं रखता। हम अपनी ओर से यह करते रहेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : प्रश्न यह है कि निश्चित प्रस्ताव क्या है ? चीन ने सब कुछ अस्वीकार कर दिया है। अब हम शान्तिपूर्ण प्रस्तावों पर कैसे चल सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने कहा है कि ऐसा होने पर भी हमें शान्ति के लिये कार्य करना है।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद : क्या राष्ट्रपति ने यह सुझाव भारत सरकार के कहने पर दिये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मैं बात स्पष्ट कर दूं। जैसा कि मैं ने पहले कहा था, राष्ट्रपति ने कोई प्रस्ताव नहीं दिये हैं और न ही वे हमारी नीति के विपरीत जाते हैं। यह तो वही बात है जिस पर हम प्रयत्न कर रहे हैं और राष्ट्रपति ने उसी का उल्लेख किया है।

श्री रंगा : राष्ट्रपति ने अपने पूरे अधिकार के साथ इस को स्पष्ट रूप में कहा है। क्या सरकार यह आज या कल तक बताने की कृपा करेगी कि वियतनाम के उपप्रधान मंत्री के साथ क्या बात-चीत हुई है और उन्होंने हमारी सरकार तथा देश से किस प्रकार की सहायता मांगी है ताकि वह बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त रह सकें ?

श्री दिनेश सिंह : उन्होंने कोई विशिष्ट सहायता नहीं मांगी। ऐसी बातचीत को संक्षेप में बताने की प्रथा नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा : श्रीमन् श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा था उस का उत्तर भी स्पष्ट होना चाहिये था। प्रश्न यह था कि क्या राष्ट्रपति ने यह आम वक्तव्य सरकार के कहने पर दिया है ? इस का उत्तर भी स्पष्ट होना चाहिये था। मंत्री महोदय ने ऐसा नहीं किया। मैं इस बारे में आप से संरक्षण चाहता हूं। ऐसे उत्तरों से हमें कोई सहायता नहीं मिलती है।

अध्यक्ष महोदय : जिस माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था वह संरक्षण के लिये नहीं कह रहे हैं। अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

श्री शिकरे : श्रीमन्, एक सदस्य को आप द्वारा पुकारे जाने के लिये कितनी बार आप का ध्यान आकर्षित करना होगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं वह संख्या नहीं जानता ।

श्री शिकरे : मैं ने समझा था कि आप मुझे कह रहे हैं, किन्तु आपने ऐसा नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय : यह हो सकता है ।

श्री शिकरे : क्या यह मेरी भूल थी ?

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी भूल होगी ।

Exhibition of 'Haqeeqat'

\+

*1251 **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Utiya :
Shri Gokaran Prasad :
Shri Y. D. Singh :
Shri Bade :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the film "Haqeeqat" is leaving very unhealthy effect on the cinegoers of Rajasthan and the entire country;

(b) if so, the reasons for which the said film is not being banned ;

(c) when the film was produced; and

(d) the number of complaints against the film received by Government in which requests have been made to ban the film ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indra Gandhi): (a) (b) & (d). The film "Haqeeqat" was certified by the Central Board of Film Censors in September, 1964 and has since been released in Rajasthan, Punjab Madhya Pradesh, Bengal, Uttar Pradesh and Maharashtra States. Only two complaints were received recently that this film was creating an unhealthy impact on the public, and should be banned. Government however, do not agree with these complaints on the other hand. The film has a very healthy impact as it depicts the heroic resistance put up by Officers and Jawans of the Indian Army against Chinese aggression. Several State Governments have granted exemption from Entertainment Tax for this film. The question of banning it therefore does not arise.

(c) The film was presented for censorship after its completion on 3rd September, 1964.

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know from the hon. Minister whether she has seen this film ? If so, whether it is not a fact that in the last reels of this film merciless killing of Rajasthani soliders have been shown and their commander has been shown to have abandoned the front. The soldiers were not given the orders to shoot. Whether it is also a fact that there was a demand in the Rajasthan Legislative Assembly to impose a ban on this

film, because it produces unhealthy effect on the people of Rajasthan and other States. May I know the names of States from where the complaints have been received and the action taken by Government thereon.

Shrimati Indira Gandhi : I have already said that complaints from only two persons were received and both these persons belong to Rajasthan. This film has been appreciated throughout the country and the Press as a whole. There are two copies of the film--one with songs and the other without songs. I have seen the copy without songs and I found nothing objectionable.

Shri Onkar Lal Berwa : Whether any complaint has been received that killing of Rajasthani soldiers has been shown in this picture ?

Shrimati Indira Gandhi : No such complaint has been received.

Shri Bade: Whether it is a fact that it has been shown in this picture that Rajasthani soldiers were killed in NEFA and the commander did not give orders to shoot, as a result of which there has been disconten ment in Rajasthan.

Shrimati Indira Gandhi : The soldiers are killed in every battle.

Shri Bade : It has been shown in this film that they were killed due to the fault of the Commander. It has also been shown that Rajasthani soldiers are cowards. That produces bad effect on the army.

श्री हेम बरुआ : मैं ने यह चित्र देखा है और

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं ने आप को बुलाया है ।

श्री हेम बरुआ : जी, नहीं ।

Shri Onkar Lal Berwa: Rajasthani soldiers . . .

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार प्रश्न नहीं पूछा जा सकता । आप को अवसर मिल चुका है ।

Shri A. S. Saigal : May I know the number of complaints on receipt of which the Ministry will consider to ban this film ?

Mr. Speaker : The Minister has said that two complaints have been received.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the points in the film on which complaints have been made ? Will the Minister read those complaints ?

Shrimati Indira Gandhi : Those letters are quite lengthy. I can show them afterwards.

Shri Ram Sewak Yadav : Extract may be given.

Mr. Speaker They may be laid on the Table.

Shri Prakash Vir Shastri : In this film, a soldier says that had the soldiers in NEFA and Ladakh been fully equipped they would have shown their worth while appreciating this film for showing reality. I would like to know whether the hon. Minister would persuade the present Minister of Defence to see this picture.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह एक सुझाव है ।

Mr. Speaker : That is a suggestion.

श्री हेम बरुआ : मैंने यह चित्र देखा है । अब यह चित्र राष्ट्रीय चित्र पुरस्कार समिति के सामने है और उस समिति के सदस्य के रूप में मैंने यह चित्र देखा है । इस चित्र का सम्बन्ध नेफा से नहीं, लद्दाख से है और इस में वहां लड़ने वाली हमारी सेनाओं का उच्च मनोबल, वीरता से लड़ने की क्षमता तथा देशभक्ति की भावना दिखाई गई है । इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि कुछ लोगों को इस पर आपत्ति क्यों है ?

अध्यक्ष महोदय : इस का निपटारा उन लोगों के साथ कर लिया जाये । शायद आप का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : मुझे एक प्रश्न पूछना है ।

श्री नाथ पाई : वह मंत्री जी की सहायता कर रहे हैं । इस से पता लगता है कि वह दिल के कितने साफ हैं ।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस चित्र को काश्मीर से कन्याकुमारी तथा कन्याकुमारी से आसाम, नेफा तथा नागालैंड तक दिखाने पर विचार कर रही है, क्योंकि इस से जनता की देशभक्ति की भावनायें जागृत होती हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह धन कमाने की दृष्टि से बनाया गया चित्र है और इस में कोई सन्देह नहीं कि यह सभी स्थानों पर दिखाई जायेगी । मैं श्री बरुआ की इस बात के लिए आभारी हूं कि उन्होंने इस की ठीक अभिव्यक्ति की है । मैं यह भी बता देना चाहती हूं कि सम्बन्धित सेनायें केवल राजस्थान की नहीं बल्कि समूचे भारत की थीं ।

Shri Tan Singh : May I know the names of persons who have sent the complaints ?

Mr. Speaker : I have already said that they may be laid on the Table.

मोजामबिक से स्वदेश लौटने वाले भारतीय

*1252. + { **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : **श्री बूटा सिंह** :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोजामबिक से स्वदेश लौटने वाले भारतीयों की संस्था की कार्यकारिणी ने, जो यह दावा करती है कि वह स्वदेश लौट कर आये गुजरात में कोई 600 परिवारों का प्रतिनिधित्व करती है, सरकार से अनुरोध किया है कि पुर्तगाली सरकार द्वारा मोजामबिक में ज़ब्त की गई उनकी सम्पत्ति के लिये प्रतिकर दिया जाये ;

(ख) क्या उस समय जबकि गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिये हम ने सीधी कार्यवाही की, पुर्तगालियों ने भारतीयों को मोजामबिक छोड़ने पर बाध्य कर दिया और वहां उनकी 5.3 करोड़ रु० की सम्पत्ति छूट गई ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ प्रत्यावर्तित लोगों ने स्वयं ही कुल मिलाकर 5.3 करोड़ रुपए के दावे सरकार के पास भेजे हैं । लेकिन उनका अनुमान है कि भारतीयों ने मोजाम्बकि में जो कुल परिसम्पत्ति छोड़ी है, वह कहीं ज्यादा है ।

(ग) भारत सरकार ने मैक्सिको सरकार से निवेदन किया है कि वह दावों की जांच-पड़ताल करे और लिस्बन-स्थित मैक्सिको के मंत्री, श्री ज़ोरिल्ला इस सम्बन्ध में पहले ही मोज़ाम्बीक जा चुके हैं । उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या भारत सरकार ने गोआ, दमन तथा दीव में पुर्तगाली सम्पत्ति को जब्त कर लिया है ?

श्री शिंकरे : गोआ में कोई पुर्तगाली सम्पत्ति नहीं है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : जो भी सम्पत्ति थी, पोत भी थे । क्या हमारी सरकार पुर्तगाली सम्पत्ति अधिकार में लेने पर कोई प्रतिकर देगी ?

श्री दिनेश सिंह : मैं नहीं जानता कि गोआ में कोई पुर्तगाली सम्पत्ति हैं । वहां गोआवासियों की सम्पत्ति है जोकि भारतीय है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : देश लौटने वाले उन लोगों की स्थिति दयनीय है जोकि गुजरात में आकर बसे हैं । क्या सरकार का विचार उनकी सहायता करने का है ?

श्री दिनेश सिंह : सभा को विदित हैं कि मैंने कुछ समय पूर्व पटल पर एक विवरण रखा था जिसमें उन सुविधाओं का ब्यौरा दिया गया था जोकि हम इन व्यक्तियों को दे रहे हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस तथ्य की दृष्टि से कि दिल्ली तथा पंजाब में इन पुर्तगाली उपनिवेशों के कुछ प्रत्यावर्तित व्यक्ति हैं और उन में से कुछ को उन छोटे से मकानों से भी निकाला जा रहा है जिनमें वे रह रहे हैं, क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि यद्यपि उन्हें हिसाब लगाने और पुर्तगाल से सूचना प्राप्त करने की कठिनाई के कारण प्रतिकर नहीं दिया जा सकता तो उनके पुनर्वास के लिए तदर्थ आधार पर सहायता दी जाये ?

श्री दिनेश सिंह : मैं पहले बता चुका हूं कि मैंने सभापटल पर वह योजना रख दी है जिसमें उनके पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता तथा अनुदानों की व्यवस्था है ।

श्री जसवन्त मेहता : क्या सरकार ने कोई ऐसा सिद्धांत बनाया है जिसके अनुसार मोज़ामबिक में छोड़ी गयी आस्तियों और सम्पत्ति के लिए प्रतिकर देने का विचार हो। यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन के मिलने के बाद सरकार उन्हें प्रतिकर देने पर विचार करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : हम अन्तरिम सहायता दे रहे हैं । हमें आशा है कि पुर्तगाली सरकार उन्हें अपनी आस्तियां देश लाने की अनुमति देगी ।

डा० सरोजिनी महिषी : मोज़ामबिक से भारत लौटने वालों द्वारा वहां छोड़ी गयी आस्तियों का अनुमान क्या है और उन प्रत्यावर्तित लोगों के दावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने वह अनुमान पढ़ कर बताया है जो उन्होंने उत्तर में लिखा है। कहा जाता है कि आस्तियों का वास्तविक अनुमान बहुत अधिक हैं जिसके लिए हमें प्रत्यावर्तित लोगों से अधिक सूचना पाने की आशा है ।

श्री शिंकरे : क्या माननीय मंत्री अथवा सरकार को इस बात की जानकारी है कि मोज़ामबिक में बसने वाले इन भारतीयों में से अनेक भारतीय पुर्तगाली नागरिक थे और गोआ, दमन तथा दीव की स्वतंत्रता के बाद वहां की पुर्तगाली सरकार ने यह कार्यवाही इस कारण की कि वे भारत मूलक नागरिक थे और इसी कारण उन्हें मोज़ामबिक से चले जाने के लिए कहा। यदि हां, तो सरकार इस बात के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ताकि पुर्तगाली सरकार अपने देश में अपने ही विधान का पालन और सम्मान करें ?

श्री दिनेश सिंह : हम जानते हैं कि उन में से कुछ पुर्तगाली नागरिक थे और पुर्तगाली सरकार ने उन्हें निकाल दिया और वे यहां आ गये। हमारे पास पुर्तगाल सरकार के विरुद्ध कार्यवाही करके उन्हें बाध्य करने के कोई साधन नहीं हैं। हम कुछ मित्र राष्ट्रों से हस्तक्षेप करने के लिए और यह देखने के लिए कि यह मामला निपटाया जाये प्रार्थना कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात की दृष्टि से कि भारत और पुर्तगाल के बीच अनेक मामले अनिश्चित हैं, जैसे प्रत्यावर्तित लोगों की आस्तियों का प्रश्न या गोआ की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को लगातार बन्दी बनाये रखने का प्रश्न, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार पुर्तगाल के साथ सीधे सामान्य राजनयिक सम्बन्ध पुनः स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है जबकि इस समय देश का कोई भी भाग पुर्तगाल के अधिकार में नहीं हैं ताकि हम किसी अन्य माध्यम की बजाये पुर्तगाल के साथ सीधे इन मामलों पर बातचीत कर सकें ?

श्री दिनेश सिंह : अभी नहीं। सभा जानती है कि संसार भर में विवेकयुक्त लोकमत पुर्तगाल के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने का है, उसके साथ सम्बन्ध सुदृढ़ करने का नहीं ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या सरकार का विचार प्रत्यावर्तित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति के लिए प्रतिकर न देने का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का हैं ?

श्री दिनेश सिंह : जी, नहीं। हमने यह कार्यवाही करने पर विचार नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्रीमान्, प्रश्न संख्या 1253 प्रधान मंत्री की व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित है, इसलिए इसका उत्तर किसी अन्य व्यक्ति की बजाय वह ही अच्छी तरह दे सकते हैं ।

परमाणु संरक्षण

\+

*1253. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **प्रधान मंत्री** ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के साथ उस प्रस्ताव के बारे में सम्पर्क बनाए हुए है जो उन्होंने परमाणु संरक्षण के बारे में रखा था ;

(ख) इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है और ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने किन अन्य देशों से इस प्रस्ताव के बारे में बातचीत की है ; और

(ग) जिन देशों से इस प्रस्ताव के बारे में बातचीत की गई है उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जैसा कि 22 फरवरी के तारांकित प्रश्न सं० 75 और 2 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 228 के उत्तर में पहले कहा जा चुका है, कि प्रधान मंत्री ने श्री हैरल्ड विल्सन के सम्मुख कोई खास प्रस्ताव नहीं रखे । लेकिन उन्होंने उस अवसर पर अणु अस्त्रों के उत्पादन से उत्पन्न खतरों का सवाल उठाया था ; और इस संबंध में यह आम सवाल रखा कि गैर एटमी देशों के सामने जो एटमी खतरा है, उसे कम करने की जिम्मेवारी एटम-शक्ति वाले देशों पर है । प्रधान मंत्री ने खुद इस मामले को आगे नहीं चलाया बल्कि उस पर अमरीका (यू० एस० ए०) तथा (य० एस० एस० आर०) के साथ अनौपचारिक ढंग तथा आम तरीके से बातचीत की गई है जो कि मित्र देशों के साथ राजनयिक स्तर पर समान हित के मामलों पर बराबर बातचीत करते रहने का एक अंग है ।

यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री ने अपनी हाल की अमरीका यात्रा के दौरान इस मामले के बारे में एक प्रेस सम्मेलन में कहा था लेकिन हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है कि उन्होंने कोई प्रस्ताव तैयार किया है अथवा उस पर कोई बातचीत की है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या माननीय प्रधान मंत्री बतायेंगी कि क्या यह ठीक है कि जो भी प्रबन्ध किये गये हैं, चाहे आप इसे परमाणु संरक्षण कहें या इसे परमाणु शक्तियों द्वारा किसी प्रकार का आश्वासन कहें, इसमें अन्तर्निहित बात यह हैं कि हमें अर्थात सभी गैर-परमाणु शक्तियों को परमाणु शक्तियों के वचनों पर निर्भर करना होगा । यदि हां, तो क्या इस दृष्टि से कि पाकिस्तान को दिये गये शस्त्रास्त्रों सम्बन्धी अमरीका तथा ब्रिटेन के आश्वासनों के बावजूद भी कोई परवाह नहीं की जा रही है और उन्हें कोई महत्व कहीं दिया जा रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्वा प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में पुनः विचार किया है ? यदि हां, तो वह क्वा है और हमारे जैसे देशों को जिनके पास परमाणु हथियार नहीं हैं, अब क्या रवैया अपनाना चाहिये ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) जहां तक अन्य हथियारों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह बात कुछ भिन्न है, परन्तु जहां तक इस विशेष मामले का सम्बन्ध है, यह सच हैं कि अमरीका और रूस दोनों में राजनयिक स्तर पर कुछ विचार विमर्श हुआ था । और हमने जो प्रस्ताव दिये हैं उनका कोई विशिष्ट उत्तर नहीं मिला है ।

श्री नाथ पाई : प्रस्ताव क्या थे ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : कोई विशेष प्रस्ताव नहीं था । जैसा कि मैंने पहले कहा था . . .

श्री हरि विष्णु कामत : कोई विशेष बात नहीं थी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : कोई विशेष बात नहीं थी । मैंने साधारणतया यह सुझाव दिया था कि परमाणु शक्ति वाले बड़े देश इस बात पर विचार करें कि जहां तक गैर-परमाणु देशों का

सम्बन्ध है परमाणु शस्त्रों का भय समाप्त कैसे किया जाये । मैं नहीं कह सकता कि क्या इस मामले में आगे कार्यवाही करना आवश्यक है परन्तु जहां तक परमाणु शस्त्रों का और अधिक फैलाव न करने का सम्बन्ध है यह किसी न किसी रूप में निशस्त्रीकरण समिति या संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने आयेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : परमाणु शक्तियों के फैलाव का मामला कई वर्षों से निशस्त्रीकरण समिति के सामने हैं । प्रधान मंत्री यह कैसे सोचते हैं कि भारत परमाणु हथियार न बनाकर इस मामले में सहायता कर सकता है जबकि इसराइल जैसा छोटा देश भी परमाणु हथियार बनाने लगा है और अन्य देश परमाणु शस्त्र बनाने की गुप्त जानकारी ऐसे देशों को दे रहे हैं? हम इस मामले में आगे क्या कार्यवाही कर रहे हैं । अधिकृत सूत्रों के अनुसार अगले पांच वर्षों में चीन अपने बने परमाणु हथियार प्रयोग करने लगेगा और इसमें उदजन बम भी शामिल होंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि कितना . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत लम्बा है । प्रश्न संक्षेप होना चाहिये ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय प्रधान मंत्री यह कैसे समझते हैं कि इस प्रकार हमारे परमाणु हथियार न बनाने से उनका फैलाव रुकेगा और हाल ही की घटनाओं और परिस्थितियों की दृष्टि से वह देश को सुरक्षा के बारे में कैसे विश्वस्त करायेंगे ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह बिल्कुल भिन्न मामला है । भारत सरकार ने अणु बम के निर्माण के सम्बन्ध में नीति का निर्णय कर लिया है और हम इस पर दृढ़ रहेंगे । इस दौरान हमारा यथासम्भव प्रयत्न यह होगा कि परमाणु हथियारों के प्रयोग का अन्त किया जाये और परमाणु शस्त्रों का फैलाव न हो ।

श्री नाथ पाई : प्रधान मंत्री कहते हैं कि नीति सम्बन्धी निर्णय ले लिया गया है । मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री भी इस बात को मानेंगे कि जब यह नीति सम्बन्धी निर्णय किया गया था तब से परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं । यह निर्णय लेने से पहले भी अधिक सोच विचार नहीं किया गया था परन्तु इस बात को दृष्टि से कि तब से परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं और देश की रक्षा करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है---यह स्पष्ट हो गया है कि कोई हमारी सहायता नहीं करेगा---, क्या हम जान सकते हैं कि क्या तथाकथित नीति सम्बन्धी निर्णय पर, जो अन्य परिस्थितियों में लिया गया था, कम से कम सरकार द्वारा पुनः विचार किया जायेगा, या उस पर हठ-पूर्वक चला जायेगा, और यह कहा जायेगा कि यह निर्णय लागू रहेगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह निर्णय अभी लागू रहेगा ।

श्री नाथ पाई : यह हठ है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पाकिस्तान को अमरीका से मिल रही सहायता के कारण बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये, हिन्द महासागर के द्वीपों में परमाणु अड्डे स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ? ब्रिटेन सरकार भी ऐसे अड्डे स्थापित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है । क्या यह भविष्य में हमारे लिए कठिनाई का कारण नहीं होगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह भिन्न प्रश्न हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी इस बात से सहमत हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इसका सम्बन्ध भी परमाणु संरक्षण से है ।

Shri Prakash Vir Shastri : The Prime Minister said sometime ago that we will not produce nuclear bombs for the present but this is not our final decision. May I know the obstacles in the way of taking such a final decision ?

Shri Lal Bahadur Shastri : I did not say that we have not taken the final decision. I said that that was the decision of Government and we could not say anything regardng distant future.

Shri Prakash Vir Shastri : I also mean the same you said that it was not the final decision and nothing could be said about the future. May I know the reason of such indecision on the part of the Government.

डा० सरोजिनी महिषी : यदि परमाणु परीक्षण करने पर प्रतिबन्ध लगाने वाली सन्धि और परमाणु हथियारों की विभीषिका की समाप्ति विभिन्न देशों में पारस्परिक डर तथा सन्देह पर निर्भर है, तो क्या मैं जान सकती हूं कि भारत सरकार क्या कोई ठोस उपाय ढूंढने का प्रयत्न करेगी जिससे इस सम्बन्ध में सफलता प्राप्त हो सके ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं समझ नहीं सका । परन्तु जहां तक निशस्त्रीकरण के लिए अब भी किये जा रहे प्रत्येक प्रयत्न का सम्बन्ध है वह गलतफहमी को यथासंभव दूर करने की दृष्टि से किये जा रहे हैं । निशस्त्रीकरण समिति तथा निशस्त्रीकरण आयोग बनाये गये हैं । निशस्त्रीकरण समिति में भारत को भी प्रतिनिधित्व मिला हुआ है । इन निकायों के सामने रखे गये प्रस्तावों की सफलता के लिए हम भरसक प्रयत्न करते हैं ।

Shri Ram Sevak Yadav : Whether the Government will manufacture Atom Bomb or not is a separate issue. I want to know whether India has sufficient industrial resources to manufacture Atom Bombs ? If not, how long will it take for India to be in this position

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार अथवा प्रधान मंत्री जी एशिया तथा अफ्रीका के अन्य गैर-आण्विक राष्ट्रों के सम्पर्क में रहे हैं और यदि हां तो प्रधान मंत्री द्वारा अमरीका तथा रूस की सरकारों को दिये गए सुझावों के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमने अन्य देशों से इस बारे में अधिक बातचीत नहीं की ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक स्पष्टीकरण का प्रश्न है । प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि अधिक बातचीत नहीं हुई जिसका अर्थ हुआ कुछ बातचीत हुई है । 'अधिक बातचीत' का क्या अर्थ हुआ ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमें उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई ।

श्री दी० चं० शर्मा : आण्विक परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाने संबंधी समझौता केवल कागजी सिद्ध हुआ है और निशस्त्रीकरण आयोग की कार्यवाही ऐसी बातचीत है जिसका कोई फल नहीं निकलता । इस दृष्टि से चीन जैसे युद्धप्रिय तथा अणु शक्ति सम्पन्न देश से खतरे के विरुद्ध भारत तथा एशिया के अन्य देशों की सुरक्षा की क्या गारंटी है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर कुछ दिनों में विचार बिमर्श करके निर्णय किया जा सके । इसके लिये निरन्तर प्रयत्न करना होगा और अणु शस्त्रों का प्रयोग न करने का निश्चय करने में कुछ समय लगेगा ।

गीत तथा नाटक डिवीजन

+

*1254. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गीत तथा नाटक डिवीजन का उद्देश्य क्या है और वह अपने प्रचार कार्यक्रमों के लिये किन किन माध्यमों को प्रयोग में लाता है ;

(ख) क्या प्रचार कार्यक्रम केवल बड़े नगरों तथा कस्बों में ही होते हैं ;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों के लिये कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता ; और

(घ) यदि लिया जाता है, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चें० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) गीत और नाटक विभाग का काम मनोरंजन के साधनों द्वारा जनता में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रचार करना है । संकट काल की घोषणा के बाद देशरक्षा के बारे में भी प्रचार होने लगा है । इस के लिए नाटक, नौटंकी, बड़कथा, हरिकथा, लोक-गीत, कवि सम्मेलन, कठपुतली के तमाशे, नृत्य-नाटिका, आदि माध्यम काम में लाए जाते हैं ।

(ख) जी, नहीं । ये कार्यक्रम छोटे नगरों और ग्रामों में भी किए जाते हैं ।

(ग) और (घ). कार्यक्रमों के लिए कोई टिकट नहीं लगता, परन्तु जहां दर्शकों की भारी संख्या होने की आशा होती है, वहां प्रवेश पर नियंत्रण के लिए प्रवेश शुल्क लिया जाता है ।

श्री सुबोध हंसदा : प्रश्न के भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि जहां दर्शकों की संख्या अधिक होती है वहां प्रवेश शुल्क लिया जाता है । क्या यह सच है कि दिल्ली में सम्मानार्थ टिकट केवल विशिष्ट वर्ग को ही दिये जाते हैं और यदि हां तो यह भेद-भाव क्यों ?

श्री चें० रा० पट्टाभिरामन : ऐसा तो केवल उन्हीं स्थानों पर विशेषकर बड़े नगरों में होता है, जहां लोग बहुत बड़ी संख्या में कार्यक्रम देखने आते हैं । वहां कुछ शुल्क रखा जाता है । गांवों तथा छोटे शहरों में कार्यक्रम मुफ्त होते हैं ।

श्री सुबोध हंसदा : क्योंकि यह नाटक विभाग पंचवर्षीय योजनाओं के प्रचार के लिये बनाया गया है, क्या इन योजनाओं की सफलताओं का प्रचार किया जाता है और क्या जनता पर इसका कोई प्रभाव पड़ा है ?

श्री चें० रा० पट्टाभिरामन : 1964-65 में 4,627 कार्यक्रम आयोजित किये गए । विभागीय पार्टियों ने 5 ; गीत तथा नाटक समारोह 14 ; नृत्य कार्यक्रम 9 । इन सब में दर्शक काफी संख्या में आए ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच है कि इस विभाग की देखरेख करने वाले क्षेत्रीय प्रचार भाग से कर्मचारी संभल नहीं पा रहा है ? क्या प्रचार विभाग के विस्तार का भी कोई प्रस्ताव है ?

श्री चें० रा० पट्टाभिरामन : हमें इसका ज्ञान है और संसाधन बढाने का प्रयत्न कर रहे हैं । इस बारे में एक रिपोर्ट हमें पहले ही प्राप्त हो चुकी है ।

Shri Onkar Nath Berwa : Hon. Minister just now said that dances are arranged. There it is shown that step mother wants to indulge with step son and on his refusal gets him killed. I do not know what purpose do immoral dances serve ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : वहां तो राम लीला, कृष्ण लीला आदि नाटक खेले जाते हैं। यदि सदस्य महोदय किसी नाटक विशेष की सूचना दें तो मैं जांच करा सकता हूं।

Shri Yashpal Singh : I want to know the amount spent on Drama Division durng the 3rd Plan and the extent to which it helped in the country's development ?

श्री चें० रा० पट्टाभिरामन : इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

Explosion in Ordnance Factory, Khamaria

16. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri P. C. Barooah :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a severe explosion took place in the ordnance factory at Khamaria near Jabalpore on the 29th April, 1965 ;

(b) if so, the number of persons killed or injured therein ;

(c) the amount of compensation to be paid to the persons concerned or the bereaved families ;

(d) whether an inquiry has been conducted into the incident ; and

(e) if so, whether a sabotage is suspected in it ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) एक व्यक्ति मरा और 5 घायल हुए।

(ग) मृत व्यक्तियों के परिवारों को दिये जाने वाले प्रतिकर की राशि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अनुसार निश्चित की जाएगी। घायल व्यक्तियों के बारे में इस राशि का निर्धारण उनकी अंगहीनता का ठीक ठीक निश्चय होने के पश्चात होगा।

(घ) आयुध कारखानों के महानिदेशक द्वारा एक जांच न्यायालय बनाने के आदेश दे दिये गए हैं।

(ङ) यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि यह घटना तोड़-फोड़ के कारण नहीं हुई।

Shri Hukm Chand Kachhavaiya : The causes of the explosion, the material (chemicals etc) found and the number of persons arrested in this connection ?

श्री अ० म० थामस : यह सच है कि 29 अप्रैल को सायं 4 बजे खमडिया के आयुध कारखाने में नवां सेक्शन भरते समय विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट के कारणों की जांच आयुध कारखानों के महानिदेशक द्वारा नियुक्त एक जांच न्यायालय द्वारा हो रही है, इसलिये मैं इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहना चाहता।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : This is my important factory and it is evident that even little carelessness can result into heavy losses. There is a state of emergency in the country at present and as such it is all the more necessary to be vigelent in this regard. In view of this will Government excrcise full vigelence to avoid recurrence of such incidents.

श्री अ० म० थामस : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, कारखाना कार्यकुशलता के लिए प्रसिद्ध है और सतर्कता बरतने के बावजूद भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। देखना यह है कि क्या वे रोकी जा सकती हैं या नहीं ? इसी बात की जांच हो रही है।

श्री रंगा : माननीय मंत्री ने कहा है कि यह तोड़फोड़ का मामला नहीं है और क्योंकि मरे व घायलों के पास पर्याप्त मात्रा में इतने साधन अथवा धन नहीं हैं जिससे वे अंगहीन होने पर अपनी देखभाल कर सकें, क्या सरकार ने जांच के दौरान उनके परिवारों को कोई अन्तरिम सहायता देने पर विचार किया हैं ?

श्री अ० म० थामस : इस पर अवश्य ही विचार किया जाएगा।

Shri Onkar Lal Berwa : Will the compensation to be given to these workers be the same as provided in the Compensation Act or will something be given to them apart from it ?

श्री अ० म० थामस : प्रतिकर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन दिया जाता है।

श्री स० मो० बनर्जी: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस घटना में मृत्यु हो गई थी तथा क्या ऐसी घटनायें ऐसे खतरनाक स्थानों पर होती हैं जैसे खमाडिया में आयुध कारखाना है जहां हथियार बनाये जाते हैं, और यदि हां, तो इन खतरनाक स्थानों में जोखिम में काम करने वाले व्यक्तियों की रक्षा के लिये क्या कोई ठोस कार्यवाही की गई है और, यदि हां, तो क्या आयुध कारखानों के महानिदेशक इस बात पर विचार करेंगे ?

श्री अ० म० थामस : सभी पूर्वोपाय किये गये हैं। सभी जानते हैं कि यह इमारत जहां यह विस्फोट हुआ था खतरनाक इमारत है। इसलिये सभी पूर्वोपाय किये जाते हैं।

Shri Bade : The hon. Minister said that it was not a case of sabotage. The enquiry has also been instituted but fifth columnists are working there and the manager of that factory has lodged a complaint in this respect. May I, threfore, know which Union is working there.

श्री अ० म० थामस : वास्तविकता तो यह ह कि हम ने स्थिति का पता लगा लिया है। हमें विस्फोट के बारे में ब्यौरा भी मिल चुका है। ब्यौरे से तो यह पता चलता है कि सैबेटेज नहीं हुआ है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

\+

अ० सू० प्र० संख्या 17.

श्री प्र० कु० घोष :
श्री प्रभात कार :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री प० ह० भील :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री यू० ना० सिंह :
डा० उ० मिश्र :
डा० रानन सेन :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 19 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 492 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के निर्माण प्रभाग में जो तकनीकी और

गैर-तकनीकी व्यक्ति फालतू हो जायेंगे उनके बारे में अन्तिम रूप से कोई हिसाब लगा लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भिन्न भिन्न श्रेणियों में उनकी संख्या क्या है और उनमें से कितने व्यक्तियों को बोकारो तथा अन्य इस्पात परियोजनाओं में रोजगार की पेशकश की गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क) अभी इसका अन्तिम रूप से कोई हिसाब नहीं लगाया गया है । फिर भी इस मामले पर निगम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बराबर पुनर्विलोकन किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री प्र० कु० घोष : प्रश्न 492 के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि उन्होंने इस मामले को इस्पात तथा खान मंत्रालय के पास भेज दिया है । परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जब बोकारो इस्पात परियोजना में बहुत सी नौकरियां खाली होती हैं तो हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों को वहां पूर्ववर्तिता नहीं दी जाती है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस मामले को प्रधान मंत्री अथवा मंत्रिमंडल स्तर तक ले जायेंगे ताकि जो भी नौकरियां बोकारो इस्पात परियोजना में खाली हों उन पर हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों को रखा जाये ।

श्री त्रि० ना० सिंह : हमने पहले ही प्रयत्न किये हैं तथा हम इन में से बहुत से लोगों को बोकारो तथा अन्य स्थानों पर नौकरियां दिलवाने में सफल हो गये हैं । हम एसे प्रयत्न भविष्य में भी करते रहेंगे तथा इस समय इस के अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री प्र० कु० घोष : जनशक्ति निदेशालय ने जो अनुमान लगाया है कि चौथी योजना अवधि में 8000 से 9000 इंजीनियरों की कमी होगी । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार ऐसे वर्तमान पदधारियों से इंजीनियरों का पूल बनाने का है जो अनुमान है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में फालतू हो जायेंगे ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह बहुत बड़ा प्रश्न है ।

श्री प्रभात कार : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस का कोई हिसाब नहीं लगाया गया है कि कितने व्यक्ति फालतू हो जायेंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि तकनीकी व्यक्तियों की छंटनी करने के लिये क्या आधार निर्धारित किया गया है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : सच तो यह है कि अभी तक छंटनी बिल्कुल नहीं हुई है । प्राक्कलन समिति ने मार्च 1964 में सिफ रिश की थी कि निर्माण प्रभाग में बहुत से फालतू लोग काम कर रहे हैं । हम इस पर ध्यान दे रहे हैं । जब हमें यह पता लगता है कि कुछ लोगों के फालतू हो जाने की संभावना है तो हम उनके आवेदन-पत्र बाहर भेज देते हैं तथा उन्ह नौकरी दिलवाने में सहायता करते हैं । जो कुछ भी सम्भव हो सकता है हम कर रहे हैं ।

श्री प्रिय गुप्त : मंत्री महोदय ने कहा है कि मंत्रालय प्रति वर्ष 6000 क्वार्टर बनाने के अपने मूल प्रस्ताव का ध्यान रखेगा, यदि ऐसा है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि निर्माण कार्य के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी तथा पहले रखे गये कर्मचारी फालतू नहीं हो सकेंगे । परन्तु यदि वे फालतू हो जाते हैं तो क्या उनको अन्य व्यवसायों का प्रशिक्षण देने तथा चौथी योजना में अपेक्षित इंजीनियरों के पूल में रखने के प्रश्न पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा ?

श्री त्रि० ना० सिंह : ऐसे मामलों में प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति को सिफारिशों को लागू करने की मेरी मंशा है तथा हम उस नीति पर चल रहे हैं । जहां तक उनको अन्य कामों के लिये प्रशिक्षण देने का सम्बन्ध है हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं ।

डा० उ० मिश्र : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस्पात कारखानों तथा अन्य स्थानों पर कार्य करने वाले इंजीनियर तथा तकनीशन सन्तुष्ट नहीं हैं क्योंकि किन्हीं को योग्यता से कम वेतन मिलता है तथा भाई-भतीजावाद के कारण कुछ कम पढ़े लिखे आदमियों को योग्यता से अधिक वेतन दिया जाता है । क्या सरकार किसी ऐसी मशीनरी बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि ऐसे व्यक्तियों को इंजीनियरों के पूल में रखा जा सके ? क्या सरकार कोई ऐसी मशीनरी भी बनायेगी जो उनको उचित स्थानों पर उचित नौकरी दिलवाने में सहायता कर सके ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मेरे विचार से माननीय सदस्य का निर्देश इस्पात कारखानों में नौकरियों के अवसरों की ओर है ।

डा० उ० मिश्र: मैंने तो यह उदाहरण दिया था । मेरा निर्देश तो सामान्य इंजीनियरों की असन्तुष्टि के बारे में था ।

श्री त्रि० ना० सिंह : सामान्य प्रश्न पर तो सरकार हमेशा ही विचार तथा उसका पुनर्विलोकन करती है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में कितने और क्वार्टर बनाये जाने का अनुमान है तथा उनके निर्माण-कार्य में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैंने पहले भी कह दिया है कि हम प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति की सिफारिशों को लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिनमें क्वार्टरों तथा बस्तियों पर खर्च में कमी करने के लिये कहा गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अतिरिक्त क्वार्टरों की संख्या जानना चाहता था ।

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं इस का इस समय उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रधान मंत्री के वक्तव्य से यह प्रतीत होता है कि मंत्रालय ने शायद कार्यभार का अनुमान नहीं लगाया है और चूंकि प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति ने कह दिया है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में अधिक स्टांफ है, इसलिये इन अर्हताप्राप्त इंजीनियरों को निकाल दिया गया है । इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कार्यभार निर्धारण समिति नामक कोई समिति बनाई गई है तथा क्या यह समिति प्राक्कलन समिति को सिफारिशों को लागू करने से पहले इस प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इस प्रश्न का सम्बन्ध निर्माण कर्मचारियों से है । जब कार्य पूरा हो जाता है तो निर्माण कार्य बन्द कर दिया जाता है । काम के हिसाब से ही लोगों को नौकरी दी जाती है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चीन में भारतीय दूतावास के अधिकारी

*1249. **श्रीमती मैमूना सुल्तान**: क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन सरकार ने पेकिंग में भारतीय दूतावास के अधिकारियों की गतिविधियों पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिबन्धों का ठीक ठीक ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) यह सच है कि चीन सरकार ने चीन में प्रत्यायित सभी राजनियकों के आवागमन पर बहुत सी पाबंदियां लगा रखी हैं। पीकिंग-स्थित भारतीय राजदूतावास के कर्मचारियों पर भी ये पाबदियां लागू होती हैं।

(ख) पीकिंग में राजनयिकों को पीकिंग के केन्द्र से 20 किलोमीटर के दायरे के भीतर आने जाने की छूट है। 20 किलोमीटर के इस दायरे के बाहर और पीकिंग के आसपास के ऐतहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कुछ स्थानों पर आने जाने की भी छूट है। विदेशी राजनयिक चीन के विदेश कार्यालय को पहले सूचना देकर कुछ शहरों में भी जा सकते हैं, जैसे—तियनस्तिन, शंघाई, हांगचो, सुर्चा, कैंटन और नानकिंग। परन्तु, ऊपर के दोनों वर्गों में जो स्थान नहीं आते उन सभी स्थानों की यात्रा के लिए चीन सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होती है।

(ग) भारत की लोकतंत्रीय व्यवस्था के अनुरूप, सरकार ने राजनयिकों के आवागमन पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं लगाया है, जैसा कि चीन में किया जाता है। परन्तु, इस मामलें में पारस्परिकता का व्यवहार करना पूरी तरह सरकार के अपने हाथ में है।

कच्ची फिल्मों सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति

***1255. श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्ची फिल्मों सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति ने सरकार से कच्ची फिल्मों का रक्षित भंडार बनाने और समय पर लाइसेंस तथा माल देने की सिफारिश की है ताकि निर्माताओं को कमी का सामना न करना पड़े ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार सिफारिश से सामान्यतः सहमत है। इस सिफारिश के अनुसार निम्नलिखित कदम उठाये गए है :—

(1) रिजर्व स्टाक बनाए रखने के लिए, लाइसेंस अवधि अप्रैल-सितम्बर, 1964 और अक्तूबर, 1964—मार्च, 1965 के दौरान, नेगेटिव और साउंड कच्ची फिल्में आयात करने के लिए मेसर्स कोदाक्स को तीन लाख रुपये के तदर्थ लाइसेंस दिए गए। चालू लाइसेंस अवधि में, मेसर्स कोदाक्स को साउंड और नेगेटिव कच्ची फिल्मों के आयात के लिए दो लाख रुपये का और तदर्थ लाइसेंस देने की व्यवस्था की जायेगी।

(2) अगस्त/फरवरी की प्रत्येक छमाही में पांच लाख रुपये की नेगेटिव और साउंड कच्ची फिल्में आयात करने के लिए मेसर्स कोदाक्स को अग्रिम लाइसेंस दिया जा रहा है, ताकि वे बिना किसी बाधा के माल देते रहें।

I. A. F. Plane Crash

*1256. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Warior :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Narendra Singh Mahida :
Shri Lahri Singh :
Shri Rameshwaranand :
Shri Shinkre :
Shri D. C. Sharma :
Shri Nath Pai :
Shri Vasudevan Nair :
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Ram Harkh Yadav :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that I.A.F. plane met with an accident on the 22nd April, 1965 near village Randhava Masandan (Punjab) ;

(b) if so, the cause thereof; and

(c) whether Government have conducted any enqiry into the accident ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). In accordance with the Air Force Rules, a Court of Inquiry has been ordered to investigate the accident. Full details of the accident will be known when the report of the Court of Inquiry is received.

लंका से भारत आने वाले भारतीयों को विमान द्वारा लाना

*1257. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लंका सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिससे लंका से भारत आने वाले भारतीयों को विमान द्वारा भेजा जा सके ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : हालांकि हमारी स्वीकृति के लिए बाजाब्ता तरीके-से कोई अनुरोध नहीं किया गया है, तो भी, कहा जाता है कि, श्रीलंका सरकार अवैध आप्रवासियों को श्रीलंका से तिरूची तक हवाई जहाज द्वारा ले जाने पर विचार कर रही है ।

हट्टी सोना खानों में तालाबन्दी

*1258. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :**
श्री बृजराज सिंह :
श्री ओंकार सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री अ० प्र० सिंह :
श्री यू० द० सिंह :
श्री लहरी सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 जनवरी, 1965 को हुई त्रिपक्षीय बैठक में हैदराबाद के प्रादेशिक

श्रम अधिकारी के समक्ष हट्टी सोना खानों के बारे में उसके प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच कोई समझौता हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो हट्टी सोना खानों के अभी तक ताला बन्द रहने के क्या कारण है ;

(ग) हट्टी सोना खानों के कितने कर्मचारियों को सेवा से निकाले जाने का नोटिस दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, सामान्य काम के लिए हट्टी सोना खानों को पुनः खोलने के लिए सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) जी हां ।

(ख) क्योंकि समझौता दबाव में हुआ था, इसलिए मैनेजमेंट ने उसे अस्वीकार कर दिया। खान में संकट की आशंका के कारण मैनेजमेंट ने तालाबन्दी घोषित कर दी जो कि अब भी जारी है ।

(ग) लगभग 316 ।

(घ) विवादास्पद मामलों को न्याय निर्णय के लिए भेजने और तालाबन्दी हटाने के सवाल पर राज्य सरकार से परामर्श कर के विचार किया जा रहा है।

बांडुंग सम्मेलन में ध्वज घटना

*1259. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री बागड़ी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री किशन पटनायक :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :
श्री अल्वारेस :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री बड़े :
श्री दाजी :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बसवन्त :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 अप्रैल, 1965 को जकार्ता में बांडुंग सम्मेलन की दसवीं वर्षगांठ के अवसर पर बंग कानों क्रीड़ांगण में हुई ध्वज यात्रा (फ्लैग परेड) में भारत का राष्ट्रीय ध्वज शामिल नहीं किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में इंडोनेशिया की सरकार ने कोई सफाई पेश की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) इन्डोनेशिया सरकार ने हमें सूचना दी है कि इस अवसर पर भारतीय झंडा लहराया गया था।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

नागालैंड में शांति वार्ता

*1260. **श्री राम हरख यादव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड शांति वार्ता में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या नागालैंड शांति वार्ता पुनः आरम्भ करने के लिए कोई तारीख निश्चित की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि छिपी विद्रोही नागा सेना के अध्यक्ष ने शिकायत की है कि वहां भारतीय सेना ने अपनी सुरक्षा चौकियों पर कुमक पहुंचा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) अप्रैल, तक शांति वार्ता में जो प्रगति हुई थी, वह 19 अप्रैल, 1965 को तारांकित प्रश्न संख्या 915 के उत्तर में बता दी गई थी। शांति मिशन छिपे नेताओं से अपने 20 दिसम्बर, के प्रस्ताव की स्वीकृति पाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि आगे की बातचीत का आधार तैयार हो सके।

4 और 5 मई, 1965 को खेन्सा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल तथा छिपे नागा प्रतिनिधिमंडल के बीच एक मीटिंग हुई थी, जिसमें इस सवाल पर और आगे बातचीत की गई थी।

चूंकि शांति मिशन का यह ख्याल है कि आपस में सलाह-मशविरा करने के लिए छिपे नेताओं को और समय दिया जाना चाहिए, इसलिए युद्ध विराम की अवधि 15 जुलाई, 1965 तक बढ़ा दी गई है ।

(ख) अगली बातचीत के लिए कोई तारीख निश्चित नहीं हुई है । यह शायद छिपे नागाओं पर निर्भर करेगा जिसका शांति मिशन इन्तजार कर रहा है।

(ग) और (घ). छिपे नागाओं के प्रतिनिधिमंडल ने कई बार यह आरोप लगाया है कि भारतीय सुरक्षा सेनाओं ने नागालैंड में अपनी चौकियों पर सैनिकों की संख्या बढ़ा ली है और खबर है कि इस तरह का आरोप छिपी नागा सेना के तथाकथित एक जनरल ने भी लगाया है । यह आरोप झूठा है । 6 सितम्बर, 1965 को जब से युद्ध विराम हुआ है, तब से हमने नागालैंड में अपनी चौकियों पर सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाई है।

टेलीविज़न

*1261. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगो कि :

(क) क्या भारत में बड़े पैमाने पर टेलीविजन व्यवस्था स्थापित करने के लिये सहयोग करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये ब्रिटेन की दो प्रतिपक्षी टीमें हाल में दिल्ली आई थीं ;

(ख) यदि हां, तो भारत में बड़े पैमाने पर टेलीविज़न व्यवस्था की शुरूआत करने की इच्छुक इन दोनों प्रतिपक्षी पार्टियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) यात्रा के दौरान सरकार के साथ हुई उनकी बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख). जी हां। लन्दन से एक सज्जन जो मेसर्स रेडिफ्यूजन एंड पेई लिमिटेड, लन्दन से सम्बंधित बताए जाते हैं, और मैसर्स थोम्सन टेलीविज़न (इन्र्ट) लिमिटेड, लन्दन के प्रतिनिधि, टेलीविज़न लगाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत आए थे ।

(ख) टेलीविज़न चालू करने का पूरा प्रश्न, जिसमें इस ढंग की पड़ताल आदि के प्रश्न भी शामिल हैं, सरकार के विचाराधीन है ।

केन्दवाडीह कोयला खान में दुर्घटना

*1262 { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 अप्रैल, 1965 को केन्दवाडीह कोयला खान, धनबाद में छः खनिक डूब गये क्योंकि जिस समय वे काम कर रहे थे तब पास के गड्ड से उस खान में पानी आ गया;

(ख) क्या वे सबके सब मिल गये हैं ;

(ग) क्या इस दुर्घटना की जांच की गई है ;

(घ) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ङ) मृतकों के परिवारों को प्रसादतः कितनी राशि दी गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जांच जारी है ।

(घ) परिणाम की प्रतीक्षा है ।

(ङ) मैनेजमेंट द्वारा मृतकों के प्रत्येक परिवार को दो दो सौ रुपये की अनुग्रह-पूर्वक अदायगी की गई है । प्रत्येक परिवार को कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि संगठन से एक-एक सौ रुपये देने की व्यवस्था की जा रही है । कालियरी मज़दूर संघ ने तीन मृतकों के परिवारों को, जो संघ के सदस्य थे, एक-एक सौ रुपया दिया है ।

पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन

*1263. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानियों ने अप्रैल, 1965 के दूसरे व तीसरे सप्ताह में छम्ब तथा पूंछ क्षेत्र के बीच सीमा पर युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन करके 90 छापे मारे और स्वचालित हथियारों, बमों, व राकेटों का प्रयोग किया तथा 97,000 गोलियां चलाई ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) जी नहीं । इस समय के अन्तर्गत पाकिस्तानी सेना/हथियार बन्द सिविलियनों ने छम्ब तथा पूंछ क्षेत्रों के बीच 6 छापे मारे, जिसमें उन्होंने मझोली मशीनगनों, मारटरों तथा राकेटों का इस्तेमाल किया । उनके द्वारा फायर किये गये कुल राउण्डों की संख्या ज्ञात नहीं ।

(ख) हमारी सुरक्षा सेनाओं ने जवाबी फायर किया और छापे बेकार कर दिये । संयुक्त राष्ट्र के सैनिक प्रेक्षकों के पास युद्ध विराम उल्लंघन सम्बन्धी शिकायतें दर्ज कर दी गई थीं ।

सुरक्षा परिषद् को पाकिस्तान का पत्र

*1264. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के रेजिडेंट प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद् को दो विभिन्न पत्र लिखे हैं जिनमें सिन्ध-कच्छ सीमा और काश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तानी आरोपों को दोहराया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उनकी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हो गयी हैं ; और

(ग) इन पत्रों में ठीक ठीक क्या लिखा है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) और (ख). जी हां ।

(ग) जहां तक काश्मीर का सम्बन्ध है, पाकिस्तान के 20 अप्रैल, 1965 पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है । भारत सरकार ने 5 मार्च, 1965 को जो पत्र सुरक्षा परिषद् को लिखा था और 19 अप्रैल, 1965 को उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी थी, पाकिस्तान ने उसमें उल्लिखित एक भी साखत तथ्य का खण्डन नहीं किया ।

जहां तक कच्छ सिंध सीमा का सम्बन्ध है, पाकिस्तान द्वारा सुरक्षा परिषद् को लिखे पत्रों की प्रतियां और हमारे पत्रों सहित सभा-पटल पर रखे हैं। **[पुस्तकालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी०—4395/65]** । पाकिस्तान का 19 अप्रैल, 1965 का पत्र निराधार आरोपों और बिगड़े हुए तथ्यों से परिपूर्ण है । अपने उत्तरों में हमने ठीक तथ्य और अकाट्य साक्ष्य दिया है ।

पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन

*1265. { श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 अप्रैल, 1965 को जम्मू और छम्ब के निकट अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी जेट विमान टोह उड़ान करते हुए देखा गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) 26 अप्रैल, 1965 को पाकिस्तानी क्षेत्र के अन्तर्गत एक पाकिस्तानी जेट विमान जम्मू के पास सीमा पर उड़ता हुआ देखा गया था ।

(ख) चूंकि विमान ने भारतीय वायु सीमा का उल्घंघन नहीं किया अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

भारत में से गुजर कर जाने की सुविधाओं के लिए पाकिस्तानियों के आवेदन पत्र

*1266. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढाका स्थित भारतीय उप-उच्चायुक्त को बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों से, जो अपने को फल बेचने वाला बताते हैं, भारत में से हो कर पश्चिमी पाकिस्तान जाने के लिये पारगमन सुविधाओं के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या ऐसा बताया जाता है कि आवेदनकर्त्ताओं ने आयुक्त को यह सूचना दी थी कि वे पश्चिमी पाकिस्तान से फल बेचने के लिये विमान द्वारा ढाका आये थे और वे अब थल मार्ग से वापस जाना चाहते थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या आयुक्त को 1000 से अधिक ऐसे आवेदन पत्र मिले हैं ; और

(घ) इस सबंध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) से (ग). जी नहीं। परन्तु मार्च, 1965 में जब भारत के डिप्टी हाई कमीशन के पांच पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को भारत होते हुए पूर्व पाकिस्तान से पश्चिम पाकिस्तान ने मार्ग वीज़ा दिए तो उसके बाद इसी तरह के वीज़ाओं के लिए करीब पचास प्रार्थना-पत्र और आए । पूछताछ करने पर प्रार्थियों ने बताया कि वे मसाले, सुरमा वगैरा बेचने के लिए समुद्री रास्ते से पश्चिम पाकिस्तान से ढाका आए थे और अब सड़क के रास्ते पश्चिम पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं । जब डिप्टी हाई कमीशन ने उन्हें यह बताया कि उनके मामलों पर विचार करने में कुछ समय लगेगा तो उन्होंने यह कहकर अपने पासपोर्ट वापस ले लिए कि वे जल्दी पश्चिम पाकिस्तान लौटना चाहते हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कच्छ में अमरीकी हथियारों का प्रयोग

1267. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमरीकी सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कच्छ में हो रही लड़ाई में, अमरीकी सैनिक सहायता के रूप में दिये हथियारों का प्रयोग करने के विरुद्ध कड़ा विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अमरीकी सरकार ने भारत को आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान अमरीकी सैनिक सहायता (हथियारों) का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं करेगा; और

(ग) इसका सम्बन्धित सरकारों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) हमारा यह ख़्याल है कि पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अमरीकी हथियारों का इस्तेमाल करने का मामला अमरीकी सरकार ने पाकिस्तान के साथ उठाया है ।

(ख) पहले संयुक्त राज्य सरकार ने हमें यही आश्वासन दिया था ।

(ग) अमरीका के वर्तमान रुख पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया मालम नहीं है ।

छिपे नागाओं के नेता से आश्वासन

*1268. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छिपे नागा सेना के नेता द्वारा नागालैंड शांति मिशन के एक सदस्य पादरी माइकेल स्काट को हथियारों के आयात के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासनों की, जिसके समाचार प्रकाशित हुए थे, एक प्रमाणीकृत प्रति मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो वस्तुतः क्या आश्वासन दिये गये थे;

(ग) क्या शांति मिशन के प्रस्तावों का, जिन्हें सरकार अग्रेतर शांति वार्ता के आधार के रूप में स्वीकार कर चुकी है कोई उत्तर मिल गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कब तक मिलने की आशा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). रेवरेंड माइकेल स्काट ने शांति मिशन के सदस्य की हैसियत से हमारे प्रतिनिधिमंडल के नेता को अपने 22-4-1965 के प्रेस वक्तव्य के आधार पर सूचना दी है कि उन्हें तथाकथित छिपे नागा सेना प्रमुख द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि 6-9-64 के बाद से नागालैंड में किसी हथियार का आयात नहीं किया गया है और जब तक नागालैंड में लड़ाई बन्द रहेगी, तब तक छिपे नागा लोग कोई हथियार नहीं मंगायेंगे ।

(ग) आगे बातचीत के आधार के रूप में शांति मिशन के प्रस्तावों के बारे में छिपे नेताओं से कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला है ।

(घ) हमें मालूम नहीं है कि कब तक जवाब आ जायेगा ।

कुट्टनाड में मकानों की कमी

3336. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुट्टनाड, केरल में खेतिहर मजदूरों के लिए मकानों की बहुत कमी है; और

(ख) यदि हां, तो मकानों की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां ।

(ख) ग्राम आवास निर्माण योजना के विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

इल्मेनाइट का निर्यात

3337. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **प्रधान मंत्री** 5 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 731 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इल्मेनाइट के उत्पादन में लगे हुए कर्मचारियों की सेवा की शर्तों तर, उसके उत्पादन तथा निर्यात में कमी होने का कुछ प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी दशा सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेफा में पीने का पानी

3338. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेफा में सैनिकों के लिये शुद्ध तथा उपयुक्त पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Unemployed Persons in Maharashtra

3339. **Shri D. S. Patil**: Will the **Minister of Labour and Employment** be pleased to state :

(*a*) the number of unemployed persons registered with the different Employment Exchanges in Maharashtra as on the 31st March, 1965 ;

(*b*) the number of matriculates and graduates among them ;

(*c*) the number of artisans, doctors and engineers among them; and

(*d*) the number of educated women among them ?

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayaya) : Statistics in respect of educated persons and the occupational break up of applicants on the live register of Employment Exchanges are collected on a half yearly basis relating to June and December. As such information relating to 31st December, 1964 has been given below :

(*a*)	2,55,275
(*b*) Matriculates & Higher Secondary passed (including Intermediates)	64,380
Graduates (including post-graduates) . .	4,962
(*c*) Artisans (Craftsmen & production process workers)	13,908
Medical Graduates	23
Engineering Graduates . .	278
(*d*) Educated women (Matriculates and above) . . .	10,920

Panchayat Samiti Offices in Maharashtra

3340. Shri D. S. Patil : Will the **Minister of Communications** be pleased to state the number of Panchayat Samitis' offices in Maharashtra where the telegraph offices and telephones have not been provided so far ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : 59 Panchayat Samiti Offices have not yet been provided with telegraph and 61 offices have not been provided with telephone facilities.

Telephones in Panchayat Samiti Offices

3341. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(*a*) the number of Panchayat Samiti Offices in Maharashtra where telephones have been installed during the Third Plan period so far ; and

(*b*) the expansion to be effected in this connection during the next three years and the amount allocated for this purpose ?

The Deputy Minister [in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (*a*) 90

(*b*) 17 Panchayat Samiti Offices are likely to be provided with telephones during the remaining period of the Third Plan and the expenditure will be Rs. 2,20,000.

कोयला खान मजदूरों के लिए हेलमेट

3342. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मैसर्स सिंगरेनी कोलरीज़ लिमिटेड गत् छः महीनों से कुछ मजदूरों को हेलमेट्स यह बहाना बना कर नहीं दे रही है कि इनका अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) मैसर्स सिंगरेनी कोलरीज़ ने मज़दूरों को हेलमेट देने बन्द नहीं किये हैं। गत् आठ माह में पांच हज़ार हेलमेट सप्लाई किये गये हैं और आगामी तीन माह में दस हज़ार हेलमेट सप्लाई किये जाने की आशा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंग्रेनी कोयला खानें

3343. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरेनी कोयला खान कर्मचारी संघ ने उनके मंत्रालय के क्रियान्विति तथा मूल्यांकन डिवीज़न को 1 अप्रैल, 1965 तक कितने मामले भेजे थे;

(ख) इनमें से डिविज़न के पास ऐसे कितने मामले हैं जो एक वर्ष से अधिक से अनिर्णित पड़े हैं; और

(ग) इनके कब तक निपटाये जाने की संभावना है ?

श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) बारह।

(ख) एक।

(ग) कोयला परिवहन में ठेका पद्धति के उन्मूलन का मामला अंतिम निर्णय के लिए निदेशक-बोर्ड के पास भेजा जा रहा है।

पोप पाल–6 को भेंट

3344. **श्री राम हरख यादव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महामहिम पोप पाल-6 को उनकी हाल की भारत यात्रा के स्मृति चिह्न के रूप में गिरि जंगल से शेर के बच्चों का एक जौड़ा भेंट करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों में भारत का शामिल होना

3345. **श्री कृष्णदेव त्रिपाठी :**
श्री बाल्मीकी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने भूभागीय सागर तथा संस्पर्शी क्षेत्र सम्बन्धी अभिसमय (सागर-विधि सम्बन्धी संयुक्त-राष्ट्र सम्मेलन द्वारा 29 अप्रैल, 1958 को स्वीकृत) महासमुद्र सम्बन्धी अभिसमय (सागर-विधि सम्बन्धी संयुक्त-राष्ट्र सम्मेलन द्वारा 29 अप्रैल, 1958 को स्वीकृत), मछली पकड़ने तथा महासमुदों के विद्यमान संसाधनों को बनाये रखने सम्बन्धी अभिसमय (सागर-

विधि सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा 28 अप्रैल, 1958 को स्वीकृत), और महाद्वीप मग्नतट भूमि सम्बन्धी अभिसमय (सागर-विधि सम्बन्धी संयुक्त-राष्ट्र सम्मेलन द्वारा 29 अप्रैल, 1958 को स्वीकृत) में भाग लिया था ;

(ख) क्या भारत ने किसी अथवा सभी अभिसमयों का अनुसमर्थन किया है ;

(ग) यदि हां, तो अनुसमर्थन की तारीख क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र के समुद्र विधि-सम्बन्धी पहले सम्मेलन में भारत ने हिस्सा लिया था (जेनेवा में 24 फरवरी से 28 अप्रैल, 1958 तक) जिसमें कि समुद्र विधि-सम्बन्ध चार अभिसमय तैयार किये गये थे। भारत ने समुद्र-विधि सम्बन्धी दूसरे सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था (जेनेवा में, 16 मार्च —26 अप्रैल, 1960) जिसमें उन मसलों पर विचार किया गया था जिनमें पहले सम्मेलन में कोई फैसला नहीं हो पाया था। भारत ने इन दोनों सम्मेलनों के केवल अंतिम अंकों (फाइनल एक्टों) पर ही हस्ताक्षर किये हैं। भारत ने अभी तक न तो उनमें से किसी अभिसमय पर ही हस्ताक्षर किये हैं और न ही उन्हें स्वीकार ही किया है।

(ख) ऊपर (क) में जो कुछ कहा गया है, उसे देखते हुए यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) समुद्र अभिसमयों से सम्बन्ध कानून को स्वीकार करने के सवाल पर सरकार विचार कर रही है।

नाभिकीय अनुसन्धान के लिए अन्तर्विश्वविद्यालय केन्द्र

3346. **श्री राम हरख यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नाभिकीय अनुसन्धान के लिये दो अन्तर्विश्व-विद्यालय केन्द्र खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और ये केन्द्र कहां खोले जायेंगे ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किये गये विकास कार्यों से प्राप्त साधनों की सहायता से विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं में न्यूक्लीय अनुसंधान तथा प्रगत-अनुसंधान करने के उद्देश्य से देश में दो अन्तर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना की योजना विचाराधीन है। इनमें से एक केन्द्र देश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा तथा दूसरा उत्तरी क्षेत्र में। इन केन्द्रों में अनुसंधान कार्यों के लिए रिऐक्टर या त्वरक (accelerator) या सब-क्रिटिक्ल एसेम्बली आदि जैसे उपकरण, जिनका अलग अलग विश्वविद्यालयों द्वारा लगाया जा सकना सम्भव नहीं है, लगाये जायेंगे। उत्तरी क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला केन्द्र जम्मू कश्मीर से लेकर आसाम तथा उड़ीसा तक के उत्तरी तथा पूर्वी राज्यों के विश्वविद्यालयों के लिये तथा दक्षिण भारत में स्थापित किया जाने वाला केन्द्र आन्ध्र, केरल, मद्रास तथा मैसूर राज्यों के विश्वविद्यालयों

के लिए होगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति टाटा मूल अनुसंधान संस्थान, बम्बई तथा परमाणु ऊर्जा संस्थान, ट्राम्बे द्वारा की जायेगी। इन केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थान का चुनाव करने के बारे में दोनों क्षेत्रों के विभिन्न विश्वविद्यालयों की राय ले ली गई है तथा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही कर दिया जायेगा।

पारपत्र रैकेट

3347. श्री रा० गि० दुबे : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने उस दल का पता लगा लिया है जिसने जाली पारपत्र बेचकर पंजाब के ग्रामीणों को साठ हजार से भी अधिक रुपये का धोखा दिया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हां। खबर है कि जो 10 व्यक्ति जाली पासपोर्ट की अवैध बिक्री में लगे हुए थे, गिरफ्तार कर लिये गए हैं। ख्याल किया जाता है कि इसमें बड़ी रकम शामिल है।

Chinese Presidents Message to Maharaja of Sikkim

3348. Shri Madhu Limaye :
Shri Kishen Pattanayak:
Shri Bagri :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the President of the People's Republic of China, sent a message of congratulations to the Maharaja of Sikkim directly while the convention is to channelise such messages through India ; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India's reaction was conveyed in a note to the Chinese Government dated 9th April, 1965. This note was placed on the Table of the House on 26-4-1965.

Hindi in P. & T. Directorate

3349. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Naval Prabhakar :
Shri S. N. Chaturvedi :
Shri Vishram Prasad :
Dr. Govind Das:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the employees of Directorate General of

Posts and Telegraphs are being discouraged to do noting on files and correspondence work in Hindi ;

(b) if so, the reason therefor when Hindi has been declared the official language for all purposes at the Centre; and

(c) whether some clear orders are being issued to remove this bar or some steps are being contemplated in this connection ?

Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) No.

(b) & (c) Do not arise.

Hindi in P. & T. Department

3350. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri S.M. Banerjee :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Naval Prabhakar :
Shri S. N. Chaturvedi :
Shri Vishram Prasad :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Bade :
Dr. Govind Das :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that employees of the subordinate offices of the Posts and Telegraphs Department have been asked not to work in Hindi ; and

(b) if so, the number of Orders issued by the Director General, Posts and Telegraphs and his subordinate Offices during the last four months forbidding the use of Hindi in official work?

Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) No.

(b) Does not arise.

बांडुंग सम्मेलन में भारत का भाग लेना

3351. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मुरली मनोहर :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडोनेशिया में बांडुंग सम्मेलन के दसवीं वर्ष गांठ समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किन अधिकारियों को भेजा गया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : बांडुंग सम्मेलन के दसवें वार्षिकोत्सव में जिस भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया था, उसमें ये थे :

1. श्री सी. सुब्रामणियम, खाद्य और कृषि मंत्री (प्रतिनिधिमंडल के नेता) ।
2. श्री पी. रत्नम्, जकार्ता में भारत के राजदूत ।
3. श्री आई. जे. बहादुर सिंह, सह सचिव, विदेश मंत्रालय ।

प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिए लोहा ढलाई कारखाना

3352. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर, मध्य प्रदेश में रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए लोहे से ढली वस्तुओं का निर्माण करने के लिए एक कारखाना स्थापित करने हेतु भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच हाल में एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जबलपुर में रक्षा सेवाओं के लिए आइरनकास्टिंग का निर्माण करने के लिए एक प्लांट स्थापित करने के लिये विस्तृत योजना बनाने के लिए हाल ही में चेकोस्लोवाकिया तथा भारत सरकार के बीच एक करारनामे पर हस्ताक्षर हुये हैं ।

(ख) इस करारनामें की मुख्य शर्तें यह हैं :—

(1) प्रस्तावित प्लांट में 15,000 मीट्रिक टन लोहे की ढलाई की कार्य-क्षमता होनी चाहिये ।

(2) चेक तकनीकी विशेषज्ञों को आवश्यक सामग्री तथा कागजात देने के 11 महीनों के अन्दर विस्तृत योजना रिपोर्ट प्राप्त होजानी चाहिये; तथा

(3) विस्तृत योजना रिपोर्ट बनाने के लिए 8 लाख रुपये की राशि देय है ।

(ग) विस्तृत योजना रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उस पर विचार कर लेने के बाद योजना के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जायगा ।

दी हेग में भारतीय दूत

3353. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हेग में हमारे दूत ने बाडुंग सम्मेलन का वर्ष दिन मनाने के लिये इंडोनेशिया, श्री लंका, पाकिस्तान तथा बर्मा द्वारा प्रायोजित संयुक्त भोज में भाग लेने से इन्कार कर दिया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) दहेग में बोडुंग स्मृति भोज नहीं हुआ था। परन्तु इन्दोनेशियाई छात्र संघ की ओर से एक समारोह किया गया था जिसमें कुछ ऐफ्रो-एशियाई देशों के राजदूतों ने हिस्सा लिया था और उनमें भारत का राजदूत भी शामिल था।

Southern Rhodesia

3354. **Shri Brij Basi Lal :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have asked the U.K. Government not to use force in regard to the Unilateral declaration of Independence by the Government of Ian Smith in Southern Rhodesia; and

(b) if so, the reaction of the U.K. Government thereto?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Calcutta Dock Labour Board

3355. **Shri Tulsidas Jadhav :**
Shri M. L. Jadhav :
Shri Jedhe :
Shri D. S. Patil:

Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state when the judgement of the Supreme Court, delivered on the 22nd March 1965 in the dispute between the Calcutta Dock Labour Board versus Jaffar Imam and others will be implemented?

Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjibayya) : The workers concerned have been re-instated with effect from 28-4-1965.

National Defence Fund

3356. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the account of the National Defence Fund is still open;

(b) if so, the quantity of ornaments (both gold and silver) and amount of cash received so far; and

(c) the amount spent out of it?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) Yes.

(b) The contributions received upto the 30th April, 1965 in cash, gold and silver were as under:

Cash . .	Rs. 59·37 crores.
Gold	24,18,961 grammes.
Silver	14,15,306 grammes.

(c) The total expenditure so far authorised is about Rs. 33 crores.

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट

3357. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या आयोग की हाल में न्यूयार्क में हुई बैठक की कार्यवाही की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस चर्चा में भारत ने क्या भाग लिया ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) अभी नहीं ।

(ख) भारत ने आयोग के निर्वाचित सदस्य के रूप में भाग लिया था ।

लाइसेंस शुल्क के लिये ब्रिटिश सहायता

3358. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रिटेन की सरकार ने हमारी यह प्रार्थना कहां तक स्वीकार कर ली है कि निर्माण तथा तकनीकी सहायता आदि के सम्बन्ध में उसके द्वारा साधारणतया लिये जाने वाले लाइसेंस शुल्क के विषय में सहायता दी जाये ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : ब्रिटिश सरकार ने सैनिक सहायता निधि से फिलिंग फैक्टरी चांदा की तकनीकी सहायता फीस देने का वादा कर लिया है । उन्होंने मझगांव डाक, बम्बई में फ्रिगेट बनाने के सम्बन्ध में दी जाने वाली कुछ डिजाइन फीसों को भी या तो माफ करना मान लिया है या उन्हें सैनिक सहायता निधि से देना स्वीकार किया है ।

मोहन लक्ष्मण रानाडे की नजरबन्दी

3359. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ स्वतन्त्रता सेनानी मोहन लक्ष्मण रानाडे अब भी एक पुर्तगाली जेल में कैद हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें रिहा कराने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार उनकी देखभाल के सिलसिले में और उन्हें छुड़वाने के सिलसिले में आवश्यक क़दम उठाती रही है ।

बर्मा से भारतीय

3360. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 अप्रैल, 1965 को 1286 भारतीय राष्ट्रजनों का एक नया जत्था बर्मा से मद्रास के लिए रवाना हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें बसाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) 1930 मुसाफिरों का एक दल (भारत-मूलक लोग) 18 अप्रैल, 1965 को रंगून से मद्रास के लिए जहाज से रवाना हुआ । इस दल में 802 बालिग व्यक्ति और 528 बच्चे थे ।

(ख) 30 मार्च, 1965 को राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 713 के उत्तर में, बर्मा से आने वाले लोगों को दी जाने वाली मुख्य सुविधाओं का एक ब्यौरा राज्य सभा की मेज पर रख दिया था ।

Rifle Shooting Area in Phulvaria, U. P.

3361. Shri Sarjoo Pandey: Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the area for rifle shooting is being extended in Phulvaria (Varanasi Cantoument Railway Station U.P.);

(b) if so, the area of the land acquired for this purpose; and

(c) whether it is also a fact that the villages of Bhavanipur, Pissaur Dindayalpur, Kadipur and Bharlai have been included in the said area?

The Minister of Defence (Shri Y.B. Chavan) : (a) There is no proposal to extend the area for rifle shooting range Phulvaria.

(b) & (c) Do not arise.

डाक तथा तार सर्किल, विदर्भ

3362. श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डाक तथा तार कर्मचारी संघ द्वारा यह मांग की गई है कि विदर्भ के लिए एक पृथक डाक तथा तार सर्किल बनाया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार विभाग में उप-मंत्री (श्री भगवती) :(क) डाक-तार कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ से कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। किन्तु इससे सम्बद्ध एक शाखा यूनियन ने और कुछ स्थानीय व्यक्तियों ने इस प्रकार का अभ्यावेदन भेजा है ।

(ख) सरकार उक्त राज्य में एक से अधिक डाक-तार परिमण्डल रखना उचित नहीं समझती ।

श्रोता-अनुसंधान के लिये निदेशालय

3363. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानिदेशक, आकाशवाणी के अधीन श्रोता-अनुसंधान के लिए एक निदेशालय स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके ठीक-ठीक कार्य क्या होंगे ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। आकाशवाणी के श्रोता-अनुसंधान व्यवस्था को और व्यापक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए इसके पुनगठन पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है ।

(ख) पुनर्गठित व्यवस्था के मुख्य काम ये होंगे :—

(1) रेडियो के वर्तमान और सम्भावित श्रोताओं के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठा करना,

(2) विभिन्न कार्यक्रमों को कितने श्रोता सुनते हैं और उन पर क्या प्रभाव होता हैं, इसका अंदाज़ लगाना,

(3) प्रसारित कार्यक्रमों के बारे म आने वाले श्रोताओं के पत्रों व मत का विश्लेषण और व्याख्या करना ;

(4) प्रसारण विषयक नीतियां निर्धारित करने के लिए तदर्थ अध्ययन करना, और

(5) प्रसारण और सम्बन्धित समस्याओं चे बारे में पूरे आंकड़े देना ।

सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर में प्रवेश

3364. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष भुवनेश्वर में सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए कितना कोटा आरक्षित किया गया; और

(ख) 1963–64 तथा 1964–65 थे उस सैनिक स्कूल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवारों को प्रवेश दिया गया ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० द० स० राज) : (क) सैनिक स्कूलों में भरती के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोई कोटा नहीं रिजर्व किया गया है । उन्हें जो सुविधा दी गई है वह यह है कि यदि कोई लड़का भरती परीक्षा में अर्हक अंक प्राप्त कर लेता है तो योग्यता-सूची में उसके स्थान का ध्यान किये बिना ही उसे भरती कर लिया जाता है ।

(ख) 1962 से सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चों के भरती होने की संख्या इस प्रकार है :—

1962	1 (पंजाब से)
1963	कोई नहीं।
1964	6 (नेफा तथा नागालैण्ड)
1965	38 (उड़ीसा से 3, नागालैण्ड से 34 तथा नेफा से 1)

सैनिक स्कूल भुवनेश्वर को केन्द्रीय सहायता

3365. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 भुवनेश्वर में सैनिक स्कूल को कितनी और किस प्रकार की सहायता दी गई ; और

(ख) 1965–66 में उस स्कूल को कितनी सहायता देने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (दा० द० स० राजू) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकार लेफ्टि० कर्नल-मेजर-कप्तान पदों या नौ सेना तथा वायु सेना के समकक्ष पदों वाले 3 सैनिक अफसर प्रिंसिपल-हैडमास्टर-रजिस्ट्रार पदों पर नियुक्त करने के लिए प्रत्येक सैनिक स्कूल को देती है। और उनके वेतन का सारा व्यय उठाती है, जो एक स्कूल में प्रतिवर्ष 50,000 रुपये के लगभग होता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार सैनिक स्कूलों में राष्ट्रीय छात्र दल पर व्यय होने वाले अपने भाग का भार उठाती है। केन्द्रीय सरकार ने रक्षा सेवाओं के कार्मिकों के बच्चों के लिए छात्र-वृत्तियां भी चलाई हैं। केवल इस मद का व्यय 1965 के लिए भारत के सभी सैनिक स्कूलों के लिए 4 लाख रुपये के लगभग अनुमानित किया गया है। संघ सरकार द्वारा किसी अन्य सैनिक स्कूल को और कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती।

सम्बलपुर में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

3366. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उडीसा मे आकाशवाणी के कटक तथा सम्बलपुर स्टेशनों के कर्मचारियों के लियें पर्याप्त क्वार्टर बन गयें हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उनको आवास देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों थे कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। क्वार्टर किन नगरों ने बनाए जाएं इसका निर्णय इस पर होगा कि मकानों

की कहां कितनी कठिनाई है । बनाये जाने वाले क्वार्टरों की संख्या भी इस मद में उपलब्ध धन-राशि के हिसाब से होगी ।

उड़ीसा में डाकघर

3367. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा राज्य में कितने डाकघर किराये के मकानों में काम कर रहे हैं ;

(ख) सरकार ने 1964-65 में विभिन्न डाकघरों के किराये के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान किया; और

(ग) उड़ीसा में उक्त डाकघरों के लिए विभागीय भवनों की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 280 .

(ख) 1,57,900 रुपये 80 पैसे ।

(ग) विभागीय इमारतों की व्यवस्था करने के लिए निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(1) 6 डाकघरों के लिए विभागीय इमारतें बनाई जा रही हैं और उनके 1965–66 के दौरान पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

(2) सत्रह डाकघरों के लिए विभागीय इमारतें बनाने का काम 1965–66 में शुरू किया जाएगा ।

(3) पांच डाकघरों की इमारतें बनाने के लिए ज़मीन प्राप्त की जा रही है; और

(4) 31 डाकघरों की इमारतें बनाने के लिए ज़मीन प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

पंजाब में टेलीफोन राजस्व

3368. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पंजाब में टेलीफोन राजस्व की कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ख) सरकार ने इसको वसूल करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 1 फरवरी, 1965 को 31 जुलाई, 1964 तक जारी किये गये बिलों की 8.12 लाख रुपये की रक़म बकाया थी ।

(ख) निपटान करने की दृष्टि से दोषी उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने और जहां आवश्यक हो कानूनी कार्रवाई करने जैसे कदम उठाये जाते हैं । निजी तथा सरकारी, दोनों ही प्रकार के दोषी उपभोक्ताओं के टेलीफोन काटने की प्रणाली को लागू करने की कार्रवाई भी की गई है ।

पंजाब में शिक्षित बेरोजगार

3369. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी योजना की अवधि में पंजाब राज्य में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की समस्या को हल करने के लिए कोई योजना प्रायोजित की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन पंजाब में चल रही विभिन्न विकास प्रायोजनाओं को इस प्रकार बनाया गया है जिससे शिक्षित और अन्य रोजगार खोजने वालों को नियुक्ति सहायता मिल सके। इसके अलावा यमुनानगर और पटियाला के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में "प्रशिक्षण तथा अनुस्थापन' पाठ्यक्रम के अधीन शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए वाणिज्य व्यवस्था सम्बन्धी विशेष अनुदेश दिये जाते हैं।

पंजाब में डाकघर

3370. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965–66 में पंजाब में कुछ उप-डाकघरों को मुख्य डाकघर तथा शाखा-डाकघरों को उप-डाकघर बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार विभाग में उप-मंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) (i) निम्नलिखित डाकघरों को पदोन्नत करके प्रधान डाकघर बनाने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

1. अम्बाला सिटी
2. कुल्लू
3. मोगा
4. स्वर्ण मन्दिर अमृतसर
5. नांगल बांध
6. कुरुक्षेत्र
7. रेवाडी
8. सिरसा
9. पठानकोट
10. जगरांव
11. सोनीपत
12. सोलन

(ii) निम्नलिखित शाखा डाकघरों को उप-डाकघरों में बदलने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है :—

1. जनसा
2. बल्लाह
3. चीका
4. पट्टी कल्याना

5. प्रतापपुरा, करनाल	19. मगता भाईका
6. नवल कोठी	20. गोलेवाला
7. काठू नांगल	21. बाजाखाना
8. कोठी थान सिंह	22. झुनीर
9. ससारा	23. सारदुलगढ़
10. लंगरोया	24. पीर सालुही
11. ब्यासपिंड	25. कक्कर
12. अड्डा कथार	26. पाहरा
13. ससूरी	27. रैल
14. मुबारकपुर	28. जालोरी
15. भादसाली	29. जागा
16. मनोक	30. संगल
17. धाल खर्द	31. माहल कलां
18. वामला	32. अमरगढ़

उक्त प्रस्तावों को लागू करना इस बात पर निर्भर करेगा कि निर्धारित मानदंड पूरे हों और उनके लिये उपयुक्त स्थान उपलब्ध हों।

पोस्टल फार्म

3371. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि विभिन्न राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ डाकघरों में पोस्टल फार्म उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इससे डाक-विभाग की आय पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है ?

संचार विभाग में उप-मंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं। अभी हाल में ही कोई कमी नहीं हुई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

War Memorial in Delhi

3372. **Shri Yudhvir Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) Whether Government have decided to erect a memorial in Delhi in memory of those soldiers who laid down their lives during the Chinese aggression ;

(b) if so, the estimated expenditure to be involved thereby ; and

(c) the site chosen for this purpose ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

Prices of Daily Newspapers

3373. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the prices of daily newspapers whould be increased ;

(b) if so, the reasons therefore;

(c) whether it is also a fact that a rule has been framed under which costly newsprint would have to be used by a newspaper for its first page; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) :

(a) Government have no information .

(b) Does not arise .

(c) No. Sir.

(d) Does not arise.

ब्रिटेन में भारतीय वायु सेना के अधिकारी की मृत्यु

3374. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री ब्रिटेन में भारतीय वायु सेना के एक अधिकारी की मृत्यु के बारे में 26 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2608 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृत अधिकारी के परिवार को कोई प्रतिकर अथवा पेंशन दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो किस रूप में तथा अब तक कुल कितनी राशि दी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) तथा (ख) मृत अफसर की विधवा को पारिवारिक ग्रेचुएटी का 75 प्रतिशत, अर्थात् 2002.50 रुपये दिया जा चुका है। विधवा द्वारा भरे गये प्रार्थना-पत्र मिलने पर रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) ने 160 रुपये प्रति मास की दर पर अस्थायी-तौर पर विशेष पारिवारिक पेंशन तथा विधवा की दो पुत्रियों में से प्रत्येक को 360 रुपये सालाना सन्तान भत्ता देने की मंजूरी दे दी है।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर

3375. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर स्थित इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ने एक नये टेलीफोन रिसीवर का आविष्कार किया है ;

(ख) क्या इसका प्रयोगशाला परीक्षण पूरा हो चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका उत्पादन कब आरम्भ होगा ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) प्रयोगशाला-परीक्षण पूरा हो चुका है और अब इसके क्षेत्र-परीक्षण हो रहे हैं।

(ग) यदि क्षेत्र-परीक्षण सफल सिद्ध हुए तो 1967-68 से इस रिसीवर का उत्पादन आरंभ हो जायेगा ।

पश्चिमी बंगाल में प्रसारण केन्द्र

3376. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में नये प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कौन से स्थान चुने गये हैं; और

(ग) केन्द्रों के कब तक स्थापित होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रसारण के विकास विषयक प्रस्तावों को, जिनमें पश्चिमी बंगाल सम्बन्धी प्रस्ताव भी शामिल हैं, अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

चलचित्र उद्योग की अर्थ व्यवस्था

3377. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या चलचित्र उद्योग की अर्थ व्यवस्था की जांच में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि नहीं, तो मन्द प्रगति के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या चलचित्र उद्योग ने व्यापारिक हित के लिये इस जांच का बहिष्कार किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपनी इच्छानुसार कार्य करने का है तथा अन्तिम निष्कर्ष कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) फ़िल्म उद्योग की अर्थ व्यवस्था की इस रूप में कोई जांच भारत सरकार ने नहीं कराई है। हां, मंत्रालय के गवेषणा तथा संदर्भ विभाग ने फ़िल्म उद्योग में लगे व्यक्तियों से फ़िल्म उद्योग, इस में लगी पूंजी, स्टूडियो में लगे यंत्रादि, फ़िल्म निर्माण के लिए रुपये का प्रबन्ध और वितरण व्यवस्था, तथा निर्यात और आयात के ताजे आंकड़े प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। इस सम्बन्ध में विभाग ने जो प्रश्नावली जारी की थी, उनका उत्तर देना बिलकुल उत्तरदाता की इच्छा पर था। क्योंकि प्रश्नावली के उत्तर बहुत कम आए, अतः इस कार्य को बंद कर दिया गया। इसे फिर से चालू करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

Teaching Hindi to P. and T. Employees

3378. { **Shri Vishram Prasad:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Communication** be pleased to state :

(a) the arrangements made for teaching Hindi to the postal employees in Madras, Kerala, Mysore and Andhra Pradesh States ;

(b) the number of Head Post Offices in these States where none of the employees are Hindi knowing ; and

(c) the number of letters bearing addresses in Hindi returned in these States during the past three months on the plea that the addresses thereon were not written in English?

Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati). (a) The Ministry of Home Affairs Hindi Training Classes are functioning at various centres in these States where P. & T. employees learn Hindi along with the other Central Govt. Employees. P. & T. Night Schools are also functioning at some stations in these States. Hindi classes are also being run in the departmental training centres, where Hindi training is imparted to new entrants along with their professional training.

(b) and (c) The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

भूतपूर्व आयुध सेवा निदेशक

3379. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना मुख्यालय के एक भूतपूर्व आयुध सेवा निदेशक ने सेवा-निवृत्त होने के बाद 1964 में मैसर्स मार्टिन बर्न एण्ड कम्पनी में नौकरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने दो वर्ष समाप्त होने से पहले यह नौकरी कर ली ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस फर्म को प्रतिरक्षा मंत्रालय से 1964 में भारी आर्डर मिले ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

प्रधान मंत्री की यूगोस्लाविया की यात्रा

3380. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने यूगोस्लाविया सरकार का यूगोस्लाविया की यात्रा करने का नियंत्रण स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा की तारीखें क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । प्रधान मंत्री ने यूगोस्लाविया सरकार का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है ।

(ख) यह अभी तय नहीं हुआ है कि प्रधान मंत्री यूगोस्लाविया कब जाएंगे । इस बारे में राजनीतिक सूत्रों के जरिए बातचीत चल रही है ।

Preference to Families of Army Personnel

3381. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to give preference to the wives and children of the military personnel fighting on the border in the matter of recruitment to Government services in case they fulfil the prescribed conditions laid down in that behalf; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) There is no such proposal before Government.

(b) Does not arise.

हिन्दी फिल्म "वह कौन थी"

3382. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पृथ्वी पिक्चर, बम्बई द्वारा निर्मित हिन्दी फिल्म "वह कौन थी" को पेसारो, इटली में होने वाली नयी सिनेमा की प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए चुना है ;

(ख) यदि हां, तो इस फिल्म के चुनाव का आधार तथा कसौटी क्या है ; और

(ग) क्या सरकार इसके संक्रमण काल का व्यय उठायेगी ?

सूचना और प्रसारण मत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) फिल्म "वह कौन थी" इण्डियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कारपोरेशन, बम्बई की सिफारिश पर चुनी गई थी ।

(ग) जी, नहीं । अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लेने पर जो खर्च होता है, वह सारा निर्माता उठाते हैं ।

News Broadcast About Death of Late Pandit Nehru

3383. **Shri Raghunath Singh** : Will the Minister of **Information & Broadcasting** be pleased to state the wording of the news broadcast in English and Hindi in the first instance at 2·24 P. M. on the 27th May, 1964 on A. I. R. regarding the passing away of the late Pandit Jawaharlal Nehru ?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : The wording of the news broadcast was as follows :—

English

We announce with deep regret that the Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru, passed away a little while ago.

Hindi

हम अत्यन्त शोक के साथ यह समाचार दे रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले नई दिल्ली में प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया ।

दूतावासों द्वारा किराया न देना

3385. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी दूतावास अथवा दूतावास अधिकारियों के विरुद्ध उनके द्वारा किराये पर लिये गये मकानों का किराया न देने पर किसी नागरिक को मुकदमा चलाने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा विशेष अनुमति लेना आवश्यक है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार ऐसे दूतावासों तथा दूतावास अधिकारियों के मामलों में क्या कार्यवाही करने का है जो किसी व्यक्ति से लिये गये मकान का किराया नहीं देते हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 86 के अंतर्गत किराया अदा न करने के कारण विशेषाधिकार-प्राप्त व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध कोई दीवानी मुकदमा दायर करने के लिए विदेश-मंत्रालय की सहमति लेनी होती है ।

(ख) इसको ध्यान में रखते हुए, जब कभी इस मंत्रालय के पास किराया अदा न करने के बारे में प्राइवेट नागरिकों से शिकायतें आती हैं तब मामले को बातचीत और रजा-मंदी के जरिये तय करने की पूरी कोशिश की जाती हैं । इसके अलावा, इस मंत्रालय ने राजनयिक मिशनों द्वारा किए गए पट्टा करारों के विरुद्ध आचरण करने पर अमल न करने के बारे में सभी मिशन प्रमुखों को समय-समय पर इस आशय के परिपत्र (सरकुलर) जारी किए हैं जिनमें उनके द्वारा स्वेच्छा से किए गए पट्टा करारों पर अमल करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ।

प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान का उत्पादन

3386. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य के कुछ औद्योगिक उपक्रमों की सूची भेजी थी जिन में 1964–65 और 1965-66 में प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान का उत्पादन किया जा सकता है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक निर्णय कर लिया है और उड़ीसा सरकार को निर्णय के बारे में सूचित कर दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव रक्षा उत्पादन विभाग में नहीं प्राप्त हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन

3387. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रधान मंत्री अल्जीयर्स में जून के अन्त में होने वाले अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन में भेजे जाने वाले भारतीय प्रतिनिधियों के नाम सत्रावसान से पहले घोषित कर देंगे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : सरकार ने अभी अंतिम रूप से यह तय नहीं किया है कि दूसरे ऐफ्रो-एशियाई सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कौन-कौन होंगे । इसमें कुछ समय और लग सकता है ।

कारखानों में सुरक्षा सम्बन्धी उपाय

3388. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कारखानों तथा खानों में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए अपनाये गये सुरक्षा उपायों के बारे में गत दो वर्षों में कारखानों के मुख्य सलाहकार द्वारा या अन्यथा कोई अध्ययन किया गया है ; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ख) 1963 तथा 1964 में प्रति कार्य दिवस ऐसी दुर्घटनाओं की दर क्या रही जिनमें श्रमिकों की जान चली गई अथवा वे अंगहीन हो गये ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां । मुख्य कारखाना-सलाहकार द्वारा सुरक्षा सर्वेक्षण किए गए हैं और किए जा रहे हैं । उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) इस प्रकार का सर्वेक्षण 1962 में लौह और इस्पात उद्योग में किया गया, जिससे पता चला कि इस उद्योग में घातक और अघातक चोटों की दरें अन्य उद्योगों की दरों की अपेक्षा काफी अधिक थीं और अधिकांश दुर्घटनाएं सामान या वस्तुएं इस्तेमाल करने, वस्तुओं पर पांव रखने या उनसे टकराने, पदार्थों और व्यक्तियों के गिर जाने, हाथ के औजारों और जलने के कारण हुईं ।

(2) रेल कारखानों में एक सुरक्षा सर्वेक्षण किया गया है और उसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

(3) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और भवन तथा निर्माण उद्योग में सुरक्षा सर्वेक्षण के बारे में डेटा संकलित किया जा रहा है ।

जहां तक खानों का सम्बन्ध है, प्रत्येक घातक दुर्घटना तथा अधिक गम्भीर दुर्घटनाओं की जांच की जाती है और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के लिए आदेश दिए जाते हैं ।

(ख) प्रति एक हज़ार नियुक्त कामगरों की दुर्घटना दर इस प्रकार है :—

	1963		1964	
	घातक	अघातक	घातक	अघातक
कारखाने .	0·12	45·02	अभी तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।	
खानें .	0·49	5·84 (कच्चे)	0·41	4·80 (कच्चे)

डाक द्वारा भेजे गये तारों का शुल्क वापिस करना

3389. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कपूर सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने डाक द्वारा भेजे गये तारों का तार शुल्क लौटाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि धन को वापिस करने से पहले डाक व्यय के लिए 50 पैसे काटे जायेंगे ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं, विशेषत: जब कि साधारण तारों का शुल्क आम तौर पर 50 पैसे से 75 पैसे तक होता है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, सेवा सम्बन्धी खर्च के लिए ।

(ग) साधारण देशीय तार का न्यूनतम शुल्क 1 रुपया है 75 पैसे नहीं ।

सेवा सम्बन्धी खर्च के 50 पैसे इसलिए वसूल किए जाते हैं क्योंकि तारों को ठीक रजिस्ट्री पत्र की तरह ही रसीद देकर बुक किया जाता है और सूची में दर्ज करके बांटा जाता है । इसके लिए अतिरिक्त जब इन तारों को इस वजह से कि वे अत्यधिक या अनिश्चित समय तक न रुके रहें, डाक द्वारा भेजा जाता है, तो उनका उसी तरीके से निपटान किया जाता है जैसे कि तुरन्त वितरण-पत्रों का क्योंकि उन्हें भी असाधारण डाक के रूप में ही विशेष लिफाफों और थैलों में भेजा जाता है ।

आगरा के निकट उड़ान दुर्घटना

3390. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री युद्धवीर सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बड़े :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 अप्रैल, 1965 को आगरा के निकट हुई उड़ान दुर्घटना में दो व्यक्ति मर गये ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रशिक्षण उड़ान करते हुए एक कैनबैरा विमान दुर्घटना-ग्रस्त हो गया । वायु-सेना नियमों के अनुसार दुर्घटना की छान-बीन करने के लिए कोर्ट आफ इन्क्वायरी का आदेश कर दिया गया है । कोर्ट आफ इन्क्वायरी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर ही पूरा विवरण मिल सकेगा ।

उपभोक्ता मूल्य देशनांक

3391. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें गत वर्ष के लिए अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता मूल्य देशनांक के मासिक आंकड़े दिये हों ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या) : एक विवरण, जिसमें अखिल भारतीय (अंतरिम) श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1949–100) के मार्च, 1964 से मार्च, 1965 तक के मासिक आंकड़े दिए गए हैं निम्न है :—

माह और साल	सूचकांक
मार्च, 1964	143
अप्रैल, 1964	144
मई, 1964	147
जून, 1964	150
जुलाई, 1964	154
अगस्त, 1964	156
सितम्बर, 1964	159
अक्तूबर, 1964	163
नवम्बर, 1964	163

महीना और साल	सूचकांक
दिसम्बर, 1964	164
जनवरी, 1965	165
फरवरी, 1965	162
मार्च, 1965	159

News Bulletins in Nepali And Gorkhali

3392. Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that news bulletins in Nepali and Gorkhali are broadcast by A. I. R. every morning and evening;

(b) whether Nepali and Gorkhali are different languages; and

(c) if not, the reasons for giving different names to the said bulletins?

Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) The Gorkhali bulletin forms part of the daily programme for the Armed Forces broadcast from the Delhi Station. It is primarily meant for Gorkha soldiers and hence the name Gorkhali. The Nepali bulletin, which was introduced later, is broadcast in the External Services and is intended for listeners in Nepal and the nearby areas of India where Nepali is spoken. The names Gorkhali and Nepali are used only to distinguish the two bulletins.

कोयला खानों में दुर्घटनायें

3393. श्री मुहम्मद इलियास : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री 12 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2183 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगाल तथा बिहार में उन कोयला खानों के नाम क्या हैं जहां ऐसी दुर्घटनायें हुई ; और

(ख) कितने मामलों में यह निश्चित कर लिया गया कि दुर्घटनाओं के लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी थे ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) और (ख). तीन वर्षों में गम्भीर और घातक दुर्घटनाओं की कुल संख्या 8072 थी । इनमें से 75 प्रतिशत से अधिक दुर्घटनाएं बंगाल और बिहार की कोयल खानों में हुईं । दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में इन कोयला खानों की सूची तैयार करने से इतना लाभ प्राप्त नहीं होगा जितना कि उसमें समय और

परिश्रम लगेगा । जहां तक जिम्मेवारी निश्चित करने का सवाल है, जैसा कि पिछले जवाब में पहले ही बताया गया है, जिम्मेवारी उन्हीं मामलों में निश्चित की जाती है जहां जांच की जाय । ऐसा सभी घातक दुर्घटनाओं में किया जाता है परंतु केवल मुख्य गम्भीर दुर्घटनाओं में ही जांच की जाती है ।

पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन

3394. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 अप्रैल, 1965 को अथवा इसके आस पास दो पाकिस्तानी विमानों ने घरिन्दा क्षेत्र में भारतीय सीमा का उल्लंघन किया और पंजाब के रतल हवेलियन एवम् अन्य गांवों के ऊपर उड़ान की तथा भारतीय सीमा में 8 से 10 मील अन्दर तक घुस आये और पाकिस्तान वापिस चले गये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) 28 अप्रैल, 1965 को अमृतसर के पास घरिन्दा क्षेत्र में कोई वायु-सीमा अतिक्रमण नहीं हुआ । तद्पि, पाकिस्तानी विमान ने अमृतसर के पास दिनांक 27 तथा 29 अप्रैल को भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण किया । ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

क्रम संख्या	अतिक्रमण की तारीख	अतिक्रमण का समय	अतिक्रमण का ब्यौरा
1	27-4-1965	0945 से 0947 तक	दो पाकिस्तानी एफ०-86-एफ० विमान अटारी के ऊपर दिखलाई पड़े, जी० टी० रोड पर चिड्डन तथा कुसिया पर उड़े और फिर पाकिस्तान की ओर मुड़ पड़े । वे भारतीय सीमा में 8 मील तक घुस थे ।
2	29-4-1965	1445 से 1501 तक	दो टी०-33 पाकिस्तानी विमानों ने पठानकोट के पश्चिम की ओर भारतीय वायु-सीमा का अतिक्रमण किया । विमान में कथुवा के पश्चिम, दक्षिण पश्चिम

क्रम संख्या	अतिक्रमण की तारीख	अतिक्रमण का समय	अतिक्रमण का ब्यौरा
			10 नाटिकल मील के आस-पास भारतीय वायु-सीमा में घुसा। गुरदास पुर के उत्तर में लगभन तीन मील के बाद उसका रास्ता धुंधला पड़ गया। विमान 10 मील तक भारतीय वायु-सीमा में घुसा।

(ख) हमारी वायु सीमा का अतिक्रमण करने के विरोध में हमने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को एक नोट भेजा है।

Publicity Campaign

3394—A { **Shri Madhu Limaye :**
Dr. Ram Manohar Lohiya :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether some publicity campaign has been formulated in order to solve the food problem ; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi): (a) A publicity campaign relating to the present food situation was formulated in order to create public confidence in the steps taken by Government to maintain supplies of foodgrains in all parts of the country at reasonable prices and also to secure public cooperation for the success of these measures.

(b) This campaign broadly includes publicity, through all media organizations of the Central and State Governments, to the facts regarding the availability of foodgrains, prices, distribution arrangements as well as the need for a national approach. Also restraints on consumption, action taken against hoarders and blackmarketeers and avoidance of waste.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(एक) लुधियाना के एक गांव में विमान से फेंके गये बम के कारण हुई तीन व्यक्तियों की मृत्यु के समाचार

अध्यक्ष महोदय : शेख अब्दुल्ला को बन्दी बनाने तथा उससे संबंधित मामलों के बारे में मुझे कई ध्यान दिलाने वाली सूचनायें प्राप्त हुई हैं। क्या गृह मंत्री शाम को पांच बजे इस पर वक्तव्य देंगे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : जी हां। इससे मैं दिन की घटनाओं पर गौर कर सकूंगा और यदि कोई नई सूचना हुई तो सभा को दे सकूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वह पांच बजे वक्तव्य देंगे।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : उन्होंने राज्य सभा में शनिवार को वक्तव्य दिया था। वह यहां अब क्यों नहीं वक्तव्य देते ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि वह दिन में हुई घटनाओं को भी शामिल करना चाहते हैं। परन्तु नियमों के अनुसार भी ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं का उत्तर वह अमुक समय देंगे।

एक दूसरी ध्यान दिलाने वाली सूचना भी है जिसकी सूचना श्री बूटा सिंह ने दी थी। श्री कपूर सिंह।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मेरे पास इसकी प्रति नहीं है और न ही मुझे दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : इसे मैं पढ़ देता हूं :

> "मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :
>
> लुधियाना के निकट जंगपुरा ग्राम में विमान से फैंके गये एक बम के कारण हुई तीन व्यक्तियों की मृत्यु के समाचार।"

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मेरे पास इस बारे में तथ्य नहीं हैं, क्योंकि कुछ मिनट पहले ही मुझे इसकी सूचना मिली थी। मैं सूचना एकत्र करने के उपरान्त कल एक वक्तव्य दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री कपूर सिंह से मुझे एक बहुत कड़ा पत्र प्राप्त हुआ है कि ऐसी तीन घटनायें पहले भी हो चुकी हैं और यह पत्र मैंने पहले ही उनको भेज दिया है। वह इसे भी देख लें जिससे वह पूर्ण सूचना दे सकें।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इसे भी देख लूंगा।

Shri Gulshan (Bhatinda) : I had given a Notice on 3rd.

Mr. Speaker : I had called the hon. Member but he didn't stand.

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE : POINT OF PRIVILEGE

Shri Bagri (Hissar) : I had given notice of a Privilege Motion.

Mr. Speaker : You cannot raise anything here of which I have not given the permission.

Shri Bagri : You had told me that I could raise it on Monday.

Mr. Speaker : I will said the information to you just now.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रमाणित लेखे तथा सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1962–63 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 4378/65]**

(दो) उक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4378/65]**

आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई [कार्यवाही]

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं तीसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

(एक)	अनुपूरक विवरण संख्या 1	ग्यारहवां सत्र, 1965
(दो)	अनुपूरक विवरण संख्या 5	दसवां सत्र, 1964
(तीन)	अनुपूरक विवरण संख्या 7	नवां सत्र, 1964
(चार)	अनुपूरक विवरण संख्या 12	सातवां सत्र, 1964
(पांच)	अनुपूरक विवरण संख्या 14	छठा सत्र, 1963

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4379 से 4383/65]

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : श्रम मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया था कि वह बोनस विधेयक पुरःस्थापित करेंगे। उसका क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर शुक्रवार को दिया जा चुका है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : प्रतिरक्षा मंत्री और प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री ने ई० एम० ई० वर्कशाप में छंटनी के बारे में कुछ आश्वासन दिये थे। मुझे पता चला है कि यह नोटिस वापिस ले लिये गये हैं। मैं संसद कार्य मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह प्रतिरक्षा मंत्री को कहें कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय चाहें तो कल वक्तव्य दे सकते हैं।

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : मैं निम्नपत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उपधारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(1) खान (संशोधन) नियम, 1965, जो दिनांक 13 फरवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर०, 239 में प्रकाशित हुये थे।

(2) कोयला खानें मुख-द्वार स्नानागार (संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 20 फरवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 260 में प्रकाशित हुये थे।

(3) कोयला खानें मुख- ार स्नानागार (दूसरा संशोधन) नियम, 19 5 जो दिनांक 10 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 557 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० 4384/65]**

(एक) मजूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मजू ी भुगतान (रेलवे) संशोधन नियम, 1965, जो दिनांक 2 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 890 में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4385/65]**

(दो) लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 की धारा 8 की उपधारा (4) के अन्अन्तर्गत लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर (संशोधन) नियम, 1965, जो दिनांक 20 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या. जी. एस. आर. 450 में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4386/65]**

(तीन) एक विवरण जिसमें कोयले के अतिरिक्त अन्य खानों संबंधी औद्योगिक समिति के चौथे अधिवेशन के, जो नई दिल्ली में 20 और 21 फरवरी, 1965 को हुआ था, मुख्य निष्कर्ष बताये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4387/65]**

(चार) एक विवरण जिसमें स्थायी श्रम समिति के तेईसवें अधिवेशन के, जो नई दिल्ली में 27 मार्च, 1965 को हुआ था, मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें बतायी गई हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4388/65]**

केरल के बारे में पत्र

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : श्री व० रा० भगत की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुये उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उदघोषणा के खंड (ग)

(चार) के साथ पठित, केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 की धारा 130 के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना संख्या एस. आर. ओ. 76/64, जो दिनांक 25 मार्च, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केरल भूमि सुधार (पट्टेदारी) नियम, 1964 दर्ज है।

(दो) भूमि न्यायाधिकरणों के पास जमा की गई राशियों का लेखा करने के लिये केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 की धारा 101 (2) के अन्तर्गत भूमि बोर्ड द्वारा जारी किये गये नियम तथा उसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र। **[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० 4389/65]**

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुये उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित, केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 की धारा 130 के अन्तर्गत निम्नलिखत अधिसूचनाओं की, जिनके द्वारा केरल भमि सुधार (पट्टेदारी) नियम, 1964 में कुछ संशोधन किये गये थे, एक एक प्रति :—

(एक) एस. आर. ओ. संख्या 275/64 जो दिनांक 1 सितम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) एस. आर. ओ. संख्या 358/64 जो दिनांक 24 नवम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) एस. आर. ओ. संख्या 357/64 जो दिनांक 24 नवम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(चार) एस. आर. ओ. संख्या 410/64 जो दिनांक 22 दिसम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० 4390/65]**

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 24 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 599 में प्रकाशित हुये थे, व्याख्यात्मक टिप्पण सहित की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4391/65]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

कार्यवाही-सारांश

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों संबंधी समिति की चालू अधिवेशन के दौरान हुई पचपनवीं से छियासठवीं बैठकों तक के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS MINUTES

कार्यवाही-सारांश

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की चालू अधिवेशन के दौरान हुई बारहवीं तथा तेरहवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है :

> "मुझे विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1965 जिसको लोक सभा ने अपनी 1 मई, 1965 की बैठक में पारित किया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिये भेजा था, वापिस करने का निदेश मिला है और यह कहने का कि राज्य सभा को इस विधेयक के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : A petition regarding Demand No. 109 of this Appropriation Bill is under the consideration of Punjab High Court.

Mr. Speaker : What is the subject about which the hon. Member is reffering to ?

Shri Ram Sewak Yadav : Demand No. 109 is the part of the Appropriation Bill about which the message has been received.

Mr. Speaker : We had already passed this Bill and sent to Rajya Sabha for its concurrence. No question can be raised about it now.

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में—जारी

RE : POINT OF PRIVILEGE —*Contd.*

Shri Bagri (Hissar) : You told me that you would give me some time later on.

Mr. Speaker : Give me some time to enquire about it.

गांधी जी के जन्म शताब्दी समारोह के लिए राष्ट्रीय समिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re : NATIONAL COMMITTEE FOR GANDHI CENTENARY CELEBRATIONS

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : 24 मार्च, 1965 को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 548 के उत्तर पर किये गये श्री सिद्धेश्वर प्रसाद के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने सदन को यह आश्वासन दिया था कि मैं 1969 में गांधी शताब्दी समारोह के आयोजन के लिये सरकार द्वारा एक सर्वदलीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना के प्रश्न को हाथ में लूंगा।

मुझे यह सूचना देते हुये प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति, डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कृपा करके गांधी शताब्दी समिति का अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया है। सरकार प्रमुख व्यक्तियों को समिति से सम्बद्ध करने के लिये निमंत्रण भेज रही है और उनके नाम विवरण में दिये गये हैं जो मैं सभा पटल पर रख रहा हूं।

मुझे विश्वास है कि इस प्रतिनिधि समिति के बुद्धिमत्तापूर्ण और परिपक्व मार्ग दर्शन में हम गांधी शताब्दी समारोह का आयोजन राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समुचित रूप से कर सकेंगे।

विवरण

गांधी शताब्दी समारोह के लिए राष्ट्रीय समिति

1. डा० एस० राधाकृष्णन—अध्यक्ष
2. श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
3. श्री बी० पी० चालिहा
4. श्री के० बी० सहाय
5. श्री बलवन्त राय जी० मेहता
6. श्री जी० एम० सादिक
7. श्री डी० पी० मिश्र
8. श्री एम० भक्तवत्सलम्
9. श्री वी० पी० नायक
10. श्री एस० निजलिंगप्पा
11. श्री पी० शिलु ओ
12. श्री सदाशिव त्रिपाठी
13. श्री राम कृष्ण
14. श्री मोहन लाल सुखाड़िया
15. श्रीमती सुचेता कृपलानी
16. श्री प्रफुल्ल चन्द्र सेन
17. डा० जाकिर हुसैन
18. श्री लाल बहादुर शास्त्री
19. श्री हुक्म सिंह

20. श्री टी० टी० कृष्णमाचारी
21. श्रीमती इन्दिरा गांधी
22. श्री मोहम्मद अली करीम चागला
23. श्री गुलजारी लाल नन्दा
24. श्री के० कामराज
25. श्री अशोक मेहता
26. श्री यू० एन ढेबर
27. श्री मोरारजी देसाई
28. श्री आर० आर० दिवाकर
29. श्री सी० राज गोपालाचारी
30. आचार्य जे० बी० कृपलानी
31. श्री जयप्रकाश नारायण
32. श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित
33. श्री जी० डी० बिरला
34. श्री जे० आर० डी० टाटा
35. श्री मनमोहन चौधरी
36. श्री जी० रामचन्द्रन
37. श्री हिरेन मुकर्जी
38. प्रो० एन० जी० रंगा
39. श्री यू० एन० त्रिवेदी
40. श्रीमती ए० जे० मथाई
41. डा० सुशीला नायर
42. श्रीमती प्रेमलीलाबेन ठाकर्सी
43. श्री नाथ पाई
44. श्री जगजीवन राम
45. श्री फ्रैंक एंथनी

श्री रंगा (चित्तूर) : क्या यह ठीक रहेगा यदि हम में से कुछ व्यक्तियों को देश के इतने ही प्रमुख व्यक्तियों के नाम पता लगे और हम उन्हें मंत्री महोदय के पास पहुंचा दें और वह उन नामों में से जिनको उचित समझे सूची में शामिल कर दें ?

श्री मु० क० चागला : जिन नामों का मेरे माननीय मित्र सुझाव देंगे उन पर मैं निश्चय ही विचार करूंगा ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Furrukabad) : I would like to suggest that just as the ideals of Ashoka were inscribed on stones, it would be better if in the same way the ideals of Mahatma Gandhi are also inscribed on stones.

Mr. Speaker : It would be much better if such things are written directly to the Minister.

Dr. Ram Manohar Lohia : No attention is being paid to my betters and even speeches.

Mr. Speaker : What can I do ?

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में—जारी

RE : POINT OF PRIVILEGE—*Contd.*

Mr. Speaker : Shri Bagri has given notice of a Privilege motion alleging that Swami Rameshwaranand has been insulted. He had said once before also that he was thrown out. I had, in a statement explained the whole situation and said that the allegation was wrong.

Secondly, he said he was not allowed to enter Parliament House on Sunday. The Parliament is closed on Sunday and no body is allowed in side on Sunday. I had provided all the possible facilities. But he wanted to be inside the Parliament House for the whole of the day, but we do not allow any body to come in after the Parliament has been closed.

We did not allow the police doctor to come in because he had not taken our permission. We had sent our own doctor. I had also said that we had no objection if he wanted to call his own doctor.

Therefore, there is no question of privilege involved in it.

Shri Bagri : Shri Rameshwarnand who is agitating against cow slaughter.

Mr. Speaker : Now we are discussing whether there is a case of privilege.

Shri Bagri : In fiew words I wnat to tell about the treatment meted out to Swamyji.....

Mr. Speaker : I am prepared to discuss it.

Shri Kishan Pattnayaak (Sambalpur) : At least he should be allowed to complete his sentence.

Shri Bagri : I would request you not to lose the temper to quickly.

Mr. Speaker : You only say the thing for which you were called.

Shri Bagri : It is good neither for us nor for the House, if there is the slightest impression that you are angry with us.

Swami Rameshwarnand, who is a member of this House, for certain reasons has been on a hunger strike for last two weeks. He has not gone on fast with an agitational approach. If I come to attend the Parliament without taking food. Then I do not lose my membership of the Parliament but supposing you thought that Swami Rameshwaranand could not remain here, was not it your duty to go to him personally and ask him to leave the premises. If he had refused, then you could have got him arrested. But it was not proper on your part to ask your petty employees to throw him out.

Secondly, I want to stress that although the Parliament does not meet on Sundays and holidays, yet any Member can come to the Parliament or come to the library. So long as I am a Member of the Parliament and I am not suspended, I have the right to call any doctor of my choice. The arrangement for water that you made could have done earlier also. Perhaps you may advance this arrangement that if all the Members start doing it, but if all the Members want to do, no power can stop them.

Therefore, I submit that this is a question of privilege and should be referred to Privilege Committee.

Mr. Speaker : I have said whatever I had to say.

श्री रंगा (चित्तूर) : मुझे स्वामीजी के भूख हड़ताल करने के प्रयोजन का पता नहीं था। समाचार पत्रों ने भी इस संबंध में पर्याप्त सूचना नहीं दी है, यद्यपि स्वामीजी 15 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। मेरे विचार में वह यह भूख हड़ताल आपके अथवा सदन के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उन्हें कम से कम सम्भव सुविधायें दें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें सभी सम्भव सुविधायें दे दी हैं।

श्री रंगा : हम उनको एक और सुविधा जो दे सकते हैं वह यह है कि उन्हें एक बड़ी सी छतरी दे दी जाय। और मैं यह भी चाहता हूं कि आप हमारी और अपनी ओर से उनसे सहानुभूति भी प्रकट कर दें।

Shri Bade (Khargone) : In the first instace, Sir, I thank you for having seen Swamiji, on my request and when I told you about the water difficulty, you made arrangement for one month. I also want to know whether a Member of Parliament has the right to come in this House and lawns on Sunday. Secondly, can your employees stop us from coming to the gardens here on a holiday, if we show them our identity card. If they can stop us, then a decision should be taken in this House whether it is proper to insult and throw out any member as has happened with Swamiji.

Mr. Speaker : It is a wrong allegation that he was thrown out. I have enquired into it and it is not use repeating it.

I am prepared to provide any facility to the Members which is necessary. If any Member wants to come to the Parliament House when it is closed, then he will have to give reason and only then the permisson will be granted. But I am not prepared to allow them to use this place for demonstration purposes. This thing has happened with other Members also, *e.g.*, Shri Gopalan, Shri Banerjee and Shri Saksena.

Therefore, no question of privilege is involved in what has been stated. The facility regarding installation of an umbrella has referred to by Shri Ranga cannot be provided. I am sorry for it.

दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक

DELHI LAND REFORMS (AMENDMENT) BILL.

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री नन्दा : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

केरल राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक--जारी

KERALA STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा इस विधेयक पर आगे खण्डवार विचार करेगी । इस समय खण्ड 3 पर चर्चा चल रही है और श्री हरि विष्णु कामत अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): मैं ने विधेयक के खण्ड 3 के दो संशोधन रखे हैं। संशोधन सं० 1 राष्ट्रपति को उन स्वेच्छा वाले अधिकारों से वंचित करना है जो उन्हें समिति से सलाह लेने के बारे में दिये जाने का प्रस्ताव है । मैं राष्ट्रपति के लिये सलाह लेना अनिवार्य बनाना चाहता हूं । मुझे आशा है कि सभा सरकार को बाध्य करेगी कि गठित होने वाली समिति की बैठक राष्ट्रपति द्वारा केरल के लिये विधान बनाते समय अवश्य बुलाई जाए। यदि सभा ने यह संशोधन स्वीकार न किया तो इसके बदले संशोधन में मेरा सुझाव है कि यदि राष्ट्रपति के लिए ऐसा करना सम्भव न हो तो इस समिति को इसके कारणों की सूचना दी जाएगी । यह कार्यवाही बहुत आवश्यक है क्योंकि केरल के लोगों से संवैधानिक तथा संसदीय अधिकार छीन लिये गये हैं और हमें चाहिये कि हम उन्हें यह विचार मन में लाने का अवसर न दें कि उनकी उपेक्षा की जा रही है । इसीलिये मैं चाहता हूं कि सरकार भी केरल पर कानून बनाते समय पूरी ज़िम्मेदारी और गंभीरता से काम ले।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा): मैं श्री कामत द्वारा पेश किए गए संशोधनों का पूरा पूरा समर्थन करता हूं । राष्ट्रपति के लिये इस समिति की बैठक बुलाना अनिवार्य न बनाने से इस विधेयक का मनोरथ ही समाप्त हो जाएगा । हमें पहले ही बहुत कटु अनुभव हो चुका है और हमारा विश्वास सरकार पर से उठ चुका है। लगता है कि अब सरकार दोनों सदनों के केरल से निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के कांग्रेसी सदस्यों को भी इस समिति में शामिल करने का इरादा रखती है । इसका कारण कांग्रसी सदस्यों का अल्पसंख्या में होना है जो केरल से चुने गये हैं। परन्तु यदि सरकार केरल की जनता के निर्णय का आदर करना चाहती है तो इस समिति में कांग्रेस को ही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये जिसकी वास्तव में वह हकदार है । अध्यक्ष महोदय इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप इस संबंध में हमारी सहायता करें।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मेरा अनुभव पिछली सलाहकार समिति के संबंध में अच्छा नहीं है । यद्यपि एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक समिति के समक्ष रखा गया था परन्तु उसे शीघ्रता से ही पारित करवा लिया गया और पूर्ण रूप से इस पर चर्चा का अवसर नहीं दिया गया । यह तरीका बिल्कुल अनुचित है । मेरा निवेदन है कि इस समिति के सदस्यों को होने वाली कार्यवाही की पूर्ण सूचना काफी समय पहले दे दी जानी चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं भी श्री कामत के संशोधन का समर्थन करता हूं । केरल में सरकार ने साम्यवादियों को सरकार बनाने की आज्ञा न देकर प्रजातंत्र का बध किया है और यदि इस समिति में भी कांग्रेस को ही बहुमत मिला तो यह संसदीय प्रजातंत्र से खिलवाड़ के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य इतना तर्कसंगत भाषण दे रहे हैं परन्तु सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है .... अब सभा में गणपूर्ति है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह कह रहा था कि सरकार का यह निर्णय प्रजातंत्रीय प्रथा के बिलकुल विरूद्ध है । एक तो समिति की शक्तियां सीमित हैं और दूसरे यह समिति सरकार अपनी इच्छानुसार बना रही है । इसलिये आपके द्वारा मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस संशोधन को मान ले ।

श्री प० गो० मेनन (मुकन्दपुरम) : मैं प्रस्तावित समिति को चर्चा का पूर्ण अवसर देने तथा चर्चा के लिये पर्याप्त समय दिये जाने के पक्ष में हूं परन्तु मैं सर्व श्री कामत, वासुदेवन नायर और बनर्जी के त्रुटिपूर्ण तर्कों से सहमत नहीं हूं । क्योंकि यदि यह सुझाव मान लिया गया तो उसे श्री रंगा और स्वयं श्री कामत जैसे सदस्यों की सेवाओं से वंचित होना पड़ेगा । इसी प्रकार भारतीय साम्यवादी दल का भी एक ही सदस्य लिया जा सकेगा और वह भी तब जब कि समिति में 44 सदस्य हों । यह आवश्यक नहीं है कि इस समिति की रूपरेखा वही हो जो केरल विधान सभा की थी क्योंकि यदि ऐसा ही किया जाना होता तो विधान सभा को विघटित ही क्यों किया जाता । मैं न तो यह चाहता हूं कि कांग्रेस का बहुमत हो और न ही यह चाहता हूं कि अन्य दलों को प्रतिनिधित्व न मिले, परन्तु अपने राज्य के हित के लिये मैं तो यह चाहता हूं कि केरल के लिये विधान बनाने के लिये ऐसी समिति बनायी जाए जिसका स्वरूप संसद् जैसा ही हो क्योंकि इस समय संसद् ही केरल के प्रशासन के लिये जिम्मेदार है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : श्री कामत के दो संशोधनों के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये मान्य नहीं हैं। अब श्री वासुदेवन नायर ने सुझाव दिया है कि यदि राष्ट्रपति जी समिति की बैठक न बुला पायें तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। परन्तु इसका प्रभाव क्या होगा ? एक ओर तो हम उन्हें विधान बनाने का अधिकार दे रहे हैं और दूसरी ओर उन्हें अध्यादेश जारी करने को कह रहे हैं जिसे विधान मण्डल में पेश करना होगा । इस स्थिति में समिति का गठन करना निरर्थक हो जायेगा । यह संवैधानिक कठिनाइयां हैं ।

[श्री हाथी]

हां, समिति को चर्चा के लिये उचित समय आदि देने का सुझाव अवश्य ही मान्य है ।

समिति के गठन के बारे में अध्यक्ष महोदय तथा राज्य सभा के सभापति को सदस्य नियुक्त करने का पूरा अधिकार है । इसके साथ ही मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय क्या दोनों संशोधन मतदान के लिये इकट्ठे रखे जांए ?

श्री हरि विष्णु कामत : जी, नहीं, पृथक रूप से ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा तो मैं संशोध सं० 1 मतदान के लिये रखता हूं ।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 18; **विपक्ष में** 110

Ayes 18, Noes 110

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखता हूं

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 17; विपक्ष में 109

Ayes 17, Noes 109

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negivated.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3, was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting formula & the title were added to the Bill.

श्री हाथी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं ने केरल के बारे में कई बार यह सुझाव दिया है कि कि क्योंकि वहां किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ इसलिये वहां "स्विस" पद्धति के अनुसार संसदीय सरकार बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। इस पर श्री गोविन्द मेनन ने यह तर्क रखा था था कि स्वतंत्र दल तथा अन्य विरोधी दल चुनाव जीतने की आशा छोड़ बैठे हैं और अब वह किसी न किसी प्रकार प्रशासन में भाग लेना चाहते हैं परन्तु उन्हें यह पता होना चाहिये कि केरल में स्वयं कांग्रेस को अभी तक स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इसलिये यदि मैं यह सुझाव दे रहा हूं तो किसी दल विशेष के लाभ के लिये नहीं। मैं तो आशा कर रहा था कि हमारे दल को, जो प्रजातंत्र में विश्वास रखता है और शांतिपूर्ण तरीके अपनाये हुये है, उसके जन्म तथा प्रयत्नों की सराहना की जायेगी क्योंकि इससे जनता का लोकतंत्र में विश्वास घटने के बजाय बढ़ेगा। इसीलिये हम चाहते हैं कि केरल में प्रजातंत्र लाया जाना चाहिये और मैं अपनी अपील फिर दोहराता हूं कि सभी दलों को, जिनका प्रजातंत्र में विश्वास है, मिल बैठ कर इस समस्या को कोई प्रजातंत्रात्मक हल निकालना चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर): खेद है कि पहले तो कांग्रेस ने केरल में बहुमत प्राप्त करने वाले दल को सरकार नहीं बनाने दी और अब इस सलाहकार समिति की शक्तियों को सीमित करके उसे प्रभावहीन बनाया जा रहा है। यह प्रजातंत्र के बिल्कल विरूद्ध है। वर्तमान सरकार तानाशाही तरीके से शासन चला रही है और जनता के मन में शंका उत्पन्न कर रही है कि यदि अन्य राज्यों में भी केरल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई अर्थात्, जनता ने कांग्रेस को बहुमत न दिया तो उनके साथ भी वही बर्ताव किया जाएगा। यह अन्याय है। यह संसदीय प्रजातंत्र का बध है।

श्री कोया (कोजीकोड़) : क्योंकि केरल में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला इसलिये वहां की जनता को दोषी ठहराया जाता है, हालांकि केरल में साक्षरता सब राज्यों से अधिक है। क्या यही हमारा दोष है? केरल को प्रजातंत्र के ज्ञान की भावना सब से अधिक है। वहां प्राचीन काल से प्रजातंत्र रहा है। हमारे सभी "पेरूमाल" निर्वाचित होते थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति का शासन यथासम्भव कम समय के लिये लागू रखा जाये और केरल की जनता को प्रजातंत्रीय सरकार की सेवायें प्रदान की जायें।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं यह कहने के लिये विवश हूं कि सरकार तथा कांग्रेस दल ने राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर संकल्प को स्वीकार कर के, केरल राज्य के विधान मंडल को कानून बनाने की शक्ति को राष्ट्रपति में निहित करने वाले

[श्री हरि विष्णु कामत]

विधेयक को पारित करके तथा इस विधेयक पर प्रस्तावित युक्तियुक्त संशोधन को स्वीकार करने से इन्कार करके संविधान तथा इस दशा में संसदीय लोकतंत्र को आघात पहुंचाया है । सरकार ने अपने दल के हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व देकर लोकतंत्रात्मक चुनावों के भविष्य तथा देश पर इससे बाद में पड़ने वाले प्रभावों के लिये एक बहुत ही गलत परिपाटी चलाई है और इससे भविष्य में किसी भी उस राज्य में ऐसा किया जा सकेगा जिस में किसी गैर-कांग्रेसी दल अथवा दलों को बहुमत प्राप्त होगा अर्थात् यदि किसी राज्य में चुनावों के पश्चात् कांग्रेस दल को बहुमत नहीं मिलेगा तो वहां भीयही किया जायेगा जो कि अब केरल के मामले में किया गया है । सरकार ने केरल में एक स्थायी सरकार बनाने के लिये वह हर सम्भव प्रयत्न नहीं किया जो कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार किया जाना चाहिए था । मेरी राय में यदि वहां पर राज्यपाल द्वारा विधान सभा की बैठक बुलाई जाती तो चुनावों के तुरन्त बाद केरल में एक लोकतंत्रात्मक सरकार बन जाती ।

मुझे पूर्ण आशा है कि केरल के वर्तमान राज्यपाल अपनी इस नई जिम्मेवारी को ठीक तरह से निभायेंगे जिससे इस राज्य का, जो सरकार की मनमानी कार्यवाही के फलस्वरूप अपना विधान मंडल खो बैठा है, भविष्य सुरक्षित तथा उज्जवल बन सकेगा ।

सरकार को वहां पर एक लोकतंत्रात्मक सरकार के गठन के बारे में सभी सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिये था । सरकार को कम से कम उन एक अथवा दो तथाकथित बाम-पक्षी साम्यवादियों के विरूद्ध मुकदमा चलाना चाहिये था जो वास्तव में चीन के समर्थक हैं । मैं यह भी आशा करता हूं कि सरकार भविष्य में फिर ऐसी कार्यवाही कभी नहीं नहीं करेगी जो इसने केरल के बारे में अब की है । सरकार देश को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न करेगी कि वह संसदीय लोकतंत्र तथा संविधान में विश्वास रखती है ।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज): श्रीमान, सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों पर चर्चा में जो इस सभा ने दिलचस्पी दिखाई है इससे स्पष्ट है कि संसद् के हाथों में केरल राज्य तथा वहां के लोगों के हित पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। संसद् उस राज्य के सभी तत्वों के हितों का ध्यान रखेगी चाहे वह सरकार के पक्ष में हो अथवा विपक्ष में ।

सरकार संसद् द्वारा स्थापित की गई समिति के अधीन कार्य करेगी । मुझे विश्वास है कि यह समिति पूर्ण न्याय से अर्थात् राग द्वेष आदि से विमुक्त होकर काम करेगी । मैं विपक्षी दल तथा केरल के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि वहां पर सभी लोगों के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा जायेगा ।

श्री अ० व० राघवन (बड़ागरा): अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम के अन्तर्गत पिछलीबार स्थापित की गई समिति की पहले दो बार बैठक हुई थी—एक बार दिल्ली में तथा दूसरी बार त्रिवेन्द्रम में । प्रथम अवसर पर सदस्यों को केवल 5 दिन की सूचना दी गई थी, जबकि केरल से रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली पहुंचने में ही 4 दिन लगते हैं और इतने थोड़े दिनों में वायुयान में स्थान को आरक्षित कराना भी बहुत कठिन होता है । दूसरे अवसर पर पहले हमें बताया गया कि बैठक दिल्ली में होगी परन्तु बाद में सदस्यों को तार द्वारा सूचित किया गया कि बैठक त्रिवेन्द्रम में ही होगी । ऐसा करने से उन सदस्यों

को, जो तार पहुंचने से पहले दिल्ली जा चुके थे तुरन्त त्रिवेन्द्रम आना पड़ा । गृह-कार्य मंत्रालय की अनिश्चितता तथा अपर्याप्त सूचना के पूर्व कारण कई सदस्य इन बैठकों में शामिल ही नहीं हो सके। तीसरी बैठक दिल्ली में बुलाने का निश्चय किया गया परन्तु इस बीच में नई उद्घोषणा के जारी होने से वह तीसरी बैठक न हो सकी । इसके फलस्वरुप कुछ अधिनियम पहले ही व्यपगत हो गये हैं । चूंकि न्यायालय बन्द हैं इसलिये कोई कठिनाई नहीं हुई, परन्तु इस मास की 17 तारीख को न्यायालयों के खुलने की सम्भावना है अतः इस समिति की बैठक 17 तारीख से पहले बुलाई जानी चाहिये ताकि केरल भवन पट्टा तथा किराया नियंत्रण अधिनियम को जो व्यपगत हो गया है, पुनः बनाया जा सके । सदस्यों को इसकी पूर्व सूचना भी दी जानी चाहिये कि बैठक बुलाई कब जा रही है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए अधिनियम को, चाहे वह परामर्शदात्री समिति की सलाह से अथवा अन्यथा बनाया गया हो, परम नहीं समझना चाहिये क्योंकि इस बारे में धारा 3 के खण्ड (4) के अन्तर्गत सर्वोपरि शक्ति संसद् को प्राप्त है । इस खण्ड में यह कहा गया है :—

> "उप-धारा (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये प्रत्येक अधिनियम को यथासंभव शीघ्र ही संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जावेगा । संसद् का कोई सदन उप-धारा (3) के अन्तर्गत उसके समक्ष रखे गये अधिनियम की तारीख से सात दिनों के भीतर पारित किये गये संकल्प द्वारा उस अधिनियम में कोई रूप-भेद करने का निदेश दे सकेगा और यदि संसद का अन्य सदन उसी सत्र अथवा अनुवर्ती सत्र में उन रूप भेदों से सहमत हो जाता है जिस में यह अधिनियम उस के समक्ष रखा गया था, तो ऐसे रूप-भेदों को राष्ट्रपति द्वारा उप-धारा (2) के अन्तर्गत एक संशोधी अधिनियम को बना कर लागू किया जायेगा ।"

श्री हरि विष्णु कामत : अपने संशोधन प्रस्तुत करने से पूर्व मैंने विधेयक को अच्छी तरह पढ़ लिया था ।

अध्यक्ष महोदय : क्या 7 दिनों में पूर्वसूचना देनी पड़ेगी अथवा 7 दिनों में रूप भेद करना पड़ेगा ?

श्री हाथी : पूर्व सूचना देनी पड़ेगी ।

अध्यक्ष महोदय 7 दिनों के भीतर पूर्व सूचना देनी पड़ेगी ।

श्री रंगा (चित्तुर) : जी, नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। मान लीजिये एक अधिनियम पहली तारीख को सभां पटल पर रखा जाता है तो संकल्प को 8 तारीख तक पारित करता होता है । इस से पूर्व कार्य सलाहकार समिति संसद के कार्यों को निर्धारित कर देती है तो ऐसे संल्प के बारे में पूर्व सूचना देने तथा उस पर चर्चा कराने के लिये एक विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी । इन सात दिनों में यह कैसे हो सकता है ।

श्री हाथी : मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि इस समिति की बैठक सभी अवसरों पर बुलाई जायेगी और सदस्यों को कार्य-सूची आदि के बारे में पूर्व सूचना दी जायेगी, क्योंकि हम ने तो सदस्यों के मतों को जानना, और उन के ज्ञान तथा अनुभव से लाभ उठाना होता है ।

दूसरी बात जो प्रोफेसर रंगा ने कही उस बारे में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं । हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र का बोलबाला रहे, लोग अपने प्रतिनिधियों का स्वयं चुनाव करें तथा उनको बहुमत प्राप्त हो । परन्तु जब किसी को भी बहुमत प्राप्त न हो, तो उस हालत में हमारे पास केवल एक ही उपाय रह जाता है । जिसका संविधान में उल्लेख है । अल्बत्ता यह ठीक है कि कि इस मामले में अग्रेत्तर अनुसन्धान किया जा सकता है जिस से हम कोई और उपाय निकालें और उसकी व्यवस्था करें । परन्तु जहां तक वर्तमान स्थिति का सम्बन्ध है, हमारे पास इस के अतिरिक्त और कोई रास्ता ही नहीं था । जब राज्यपाल ने वास्तविक स्थिति के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है और कहीं से इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता था । मैं केरल के सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि यद्यपि समिति एक सहलाहकार समिति है, फिर भी यह समिति आपकी अनुज्ञा से केरल से सम्बन्धित अन्य मामलों तथा समस्याओं जैसे केरल का विकास, विभिन्न परियोजनायें, उद्योग, शिक्षा तथा अन्य चीजों पर भी विचार कर सकेगी, । इसके अतिरिक्त, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, एक मंत्रिमंडल की छोटी उप-समिति भी है जो इन मामलों पर विचार करती है । केरल का विकास करना तथा वहां के लोगों के हितों का ध्यान रखना भारत सरकार की प्रथम जिम्मेदारी है । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 96; विपक्ष में 26

Ayes : 96, Noes : 26.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुदानों की मांगें—केरल, १९६५-६६

DEMANDS FOR GRNATS—KERALA, 1965-66

अध्यक्ष महोदय : अब हम वर्ष 1965-66 के लिये केरल राज्य से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेंगे । जो सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वे 15 मिनट में प्रस्तुत कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1965-66 के लिये केरल राज्य के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक का नाम	राशि
		रुपये
1	कृषि संबंधी आयकर और बिक्री कर .	37,21,600
2	भू-राजस्व	1,11,02,900
3	उत्पादन-शुल्क .	24,20,500
4	गाड़ियों पर कर .	8,25,600
5	स्टाम्प	11,21,400
6	रजिस्ट्री फीस . .	32,86,300
7	राज्य विधान मंडल	7,63,600
8	निर्वाचन . . .	7,81,100
9	राज्यों के प्रमुख , मंत्री और मुख्यालय के कर्मचारी	65,12,900
10	जिला प्रशासन और विविध	83,25,000
11	न्याय प्रशासन ,	87,44,900
12	जेल	45,82,500
13	पुलिस .	4,07,20,700
14	राज्य बीमा और विविध	17,22,300
15	वैज्ञानिक विभाग	8,44,200
16	विश्वविद्यालय शिक्षा	1,67,70,000
17	सामान्य शिक्षा	20,69,23,700
18	तकनीकी शिक्षा	1,06,01,400
19	चिकित्सा	4,90,01,400
20	लोक-स्वास्थ्य .	1,98,70,700
21	लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरी	87,71,500
22	कृषि	2,31,87,100
23	मीन-क्षेत्र .	1,20,62,300
24	ग्राम विकास .	45,97,300
25	पशुपालन	94,53,500
26	सहकारिता . . .	62,67,300

मांग संख्या	शीर्षक का नाम	राशि
27	उद्योग	81,98,900
28	सामुदायिक विकास प्रायोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	2,45,50,400
29	श्रम और नियोजन	73,61,900
30	हरिजन कल्याण	1,45,26,900
31	अंक संकलन और विविध	42,09,700
32	सिंचाई	2,48,30,100
33	लोक-निर्माण-कार्य	7,82,64,200
34	बन्दरगाह	6,26,700
35	परिवहन योजनायें	4,91,68,200
36	दुर्भिक्ष	16,81,000
37	पेंशन	2,48,66,100
38	लेखन-सामग्री और छपाई	67,15,500
39	बन	1,17,57,000
40	विविध	49,13,500
41	विविध क्षतिपूर्तियां और समर्पण (असाइनमेंट)	13,68,400
42	राष्ट्रीय संकटकाल	41,000
43	लोकस्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	93,27,300
44	कृषि सुधार पर पूंजी परिव्यय	5,84,400
45	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	2,85,52,800
46	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	2,77,23,800
47	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4,80,78,000
48	अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	33,25,300
49	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	66.77,000
50	परिवहन योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	3,71,800
51	वनों पर पूंजी परिव्यय	34,65,700
52	पेंशनों का राशिकृत मूल्य	2,08,000
53	सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	69,26,76,900
54	सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	14,92,90,700

Shri Yashpal Singh (Kairana) Mr. Speaker, Sir, the Government itself is responsible for what has happened in Kerala. The Government could not create favourable atmosphere for democracy during the last seventeen years.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*)

In these circumstances the Government could have consulted the people as to what should be done in this matter. We people are not against the Government, we are their well-wishers. We are here to guide them.

Wherever Congress could not come into majority, bureaucratic ways were adopted there. The Government did all this in order to remain in power. Such things had happened in Patiala, Pepsu, two three times in Kerala and also in Rajasthan. I fail to understand this as to how the Government can come forward with these demands. The Government should have created first an atmosphere for democracy before bringing these demands before the House.

Self-confidence has not been created amongst the people of the country. Whereas in a country like America not even once firing had taken place during the last 50 years, in India so many times firing has been resorted to.

The Government should consult others as to what should be done in Kerala. They should consult other parties as to how the problem of Kerala can be solved. The Congress party cannot suppress the voice of 45 crores of people. They purchased votes in Kerala. I doubt if this sort of thing can continue for ever. But in spite of all these things they could not be successful there. In these circumstances it does not behove if the feelings of the people of that State are suppressed and President's rule is imposed there. When we have a legal Government then the ordinances should not have been issued.

श्री मणियंगाडन (कोट्टयम) : माननीय सदस्य इस बात का समर्थन करेंगे कि मैं आगामी वर्ष के लिए केरल सरकार का केवल अन्तःकालीन आयव्ययक ही प्रस्तुत कर रहा हूं। जब यह आयव्ययक पहली बार प्रस्तुत किया गया था तो वित्त मंत्री ने कहा था कि यदि आवश्यकता हुई तो विस्तृत आयव्ययक प्रस्तुत किया जायेगा और उस के पश्चात् हालात ऐसे हो गये थे कि केन्द्रीय सरकार को राज्य के प्रशासन का काम अपने हाथ में लेना पड़ा। राज्य के वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य विकास कार्यों के सम्बन्ध में पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष के आयव्ययक में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यदि वस्तुस्थिति को ऐसे ही रहने दिया गया तो संसद् अपने कार्यों का उचित रूप से पालन नहीं कर सकेगा।

मैं प्रसन्न हूं कि सभा के सभी सदस्य केरल के मामले में रुचि लेते हैं। परन्तु वे अधिकतर रुचि राजनैतिक मामलों में लेते हैं। उनकी रुचि आर्थिक अथवा सामाजिक मामलों में कम होती है। अतः मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वे उस राज्य की आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान दें और जब तक राष्ट्रपति का शासन वहां पर है तब तक राजनैतिक मामलों को भूल जायें। तब ही केवल वहां की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकेगा जो उस राज्य तथा देश के लिए अच्छा होगा।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वित्त मंत्री कुछ ऐसे अधिकारियों को वहां भेजें जो वहां पर जा कर उद्योगों को स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगा सकें। इस के पश्चात् उन के सुझावों को कार्यान्वित किया जाना चाहिये ताकि वहां पर उद्योगों का विकास हो सके।

[श्री मणियंगाडन]

अब मैं उस राज्य की ऋण स्थिति के बारे में सभा को अवगत करना चाहता हूं। ये जो पेपर हमें दिये गये हैं, इन से पता चलता है कि केरल ने केन्द्रीय सरकार को बहुत ऋण देना है। कुछ समय पहले राज्य सरकार द्वारा एक सुझाव दिया गया था कि केन्द्रीय सरकार जो ऋण दे उसे तीन श्रेणियों में बांटा जाना चाहिये। यदि ऋण उत्पादी प्रयोजनों के लिए लिया जाये तो उस पर उचित ब्याज दिया जाना चाहिये यदि ऋण कम उत्पादी प्रयोजनों के लिए लिया जाये तो उस पर कोई ब्याज नहीं होना चाहिये। और यदि ऋण अनुत्पादी प्रयोजनों के लिए लिया जाये तो उस ऋण को ऋण नहीं बल्कि अनुदान समझा जाना चाहिये। यदि यह तरीका नहीं अपनाया जाता है तो मेरे विचार से राज्य के लिए इस प्रकार ब्याज देते जाना सम्भव नहीं होगा।

इस सम्बन्ध में यह जान कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई ह कि केन्द्रीय सरकार ने समुद्र द्वारा किये जाने वाले भूमि के कटाव को रोकने के लिए जो ऋण दिये जायेंगे उन्हें अनुदानों के रूप में स्वीकार करना मान लिया है। इसी प्रकार मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे सभी ऋणों को भी अनुदानों के रूप में ही दिया जाना चाहिये जो अनुत्पादी प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाये जाने होते हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा उद्योगों के क्षेत्रों में बहुत कमी रही है। जो धन आवंटित भी किया गया है उस का उपयोग नहीं किया गया है। इस के लिये मैं वित्त मंत्री या केन्द्रीय सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह एक गम्भीर विषय है और इस पर विचार अवश्य किया जाना चाहिये। इस के परिणाम-स्वरूप बेकारी और बढ़ गई है तथा राज्य में खाद्यान्न का अभाव हो गया है। इसलिये राज्य सरकार ने विकास कार्यों के लिए लगभग 15 या 20 करोड़ रुपये मांगे हैं और इस पर मेरे विचार से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

बहुत सी सिंचाई तथा अन्य परियोजनाओं का काम विदेशी मुद्रा की कमी के कारण रुक गया है। बहुत सी सिंचाई योजनायें दूसरी योजना में सम्मिलित थीं परन्तु विदेशी मुद्रा की कमी के कारण, उनको तीसरी योजना में सम्मिलित करना पड़ा परन्तु अब भी विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण उन में काम आरम्भ नहीं हो पाया है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं एक विशेष परियोजना का उल्लेख करना चाहता हूं। वह परियोजना इद्दिकी परियोजना है। इस परियोजना में बहुत ढील किये जाने का समाचार है। मेरी जानकारी तो यह है कि हाल ही में वित्त मंत्री, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत् परिषद् के अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था जिस में यह निर्णय किया गया था कि इस परियोजना पर कम से कम व्यय किया जाना चाहिये। यदि मेरी यह जानकारी ठीक है तो इस का मतलब यह होगा कि इद्दिकी परियोजना को अभी चालू नहीं किया जायेगा। परन्तु इस परियोजना की राज्य को बहुत आवश्यकता है। इसीलिये राज्यपाल, श्री अजित प्रसाद जैन तथा राज्य के सभी अधिकारियों ने केन्द्रीय सरकार, सिंचाई और विद्युत् मंत्री तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत् परिषद् से अनुरोध किया है कि वे इस की आवश्यकता को समझने का प्रयत्न करें। परन्तु यदि इस में ढील बरती गई तो केरल के लोगों के लिए यह दुःखदायी बात होगी।

बिजली की कमी के कारण पिछले वर्ष कारखानों तथा उद्योगों में कम आय हुई थी। परन्तु वहां पर बिजली का उत्पादन हो सकता है यदि यह परियोजना चालू कर दी जाये। और इस के चालू होने पर वहां भारत में सब से सस्ती बिजली का उत्पादन होगा।

एक और बात जिस की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह भूमि कर के बारे में है। भूमि कर अधिनियम, उच्चतम न्यायालय द्वारा 1961 में रद्द कर दिया गया था। परन्तु संसद् ने उसे फिर मान्य कर दिया है। इस अधिनियम के अधीन कृषकों से भूमि कर लिया जाता है।

इस बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कृषकों को कई और भी कर देने पड़ते हैं। उनको भूमि कर, बागान कर, अतिरिक्त भूमि कर, तथा कृषि सम्बन्धी आयकर भी देने पड़ते हैं। भूमि कर अधिनियम को उच्च न्यायालय ने अमान्य कर दिया था इसलिये तीन वर्ष तक कोई कर इकट्ठा नहीं किया गया था। परन्तु यदि अब सरकार का विचार बकाया करों को एक ही बार में लेने का है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस से कृषकों को बहुत कठिनाई होगी। इसलिये उनको कर देने के लिए एक तो समय दिया जाना चाहिये तथा दूसरे उन्हें इस कर को किश्तों में देने की अनुमति दी जानी चाहिये। इस के लिए राजस्व अधिकारियों को हिदायतें जारी की जानी चाहियें।

बिक्री कर अधिनियम के विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है परन्तु इस के प्रशासन के बारे में मुझे अवश्य कहना है। विभिन्न नगरों में कई लोग दोनों बिक्री कर तथा केन्द्रीय आय-कर देते हैं। उनका कहना है कि जहां तक केन्द्रीय आय-कर का सम्बन्ध है उस में उन्हें कोई कष्ट नहीं होता है। परन्तु जहां तक बिक्री कर का सम्बन्ध है इस बारे में ऐसी अफवाह फैली हुई है कि कई क्षेत्रों में प्रत्येक अधिकारी को एक निश्चित राशि इकट्ठी करने को कहा गया है। व्यापारियों से बिक्री कर लेखों के आधार पर नहीं लिया जाता है। अधिकारियों से कहा गया है कि इस स्थान से इतना धन इकट्ठा करना है। चाहे वे लोगों को ऐसा नहीं बताते हैं परन्तु ऐसी अफवाह है कि वे ऐसा करते हैं। मैं यह निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाना चाहिये। बिक्री कर विभाग का प्रशासन भी केन्द्रीय आयकर विभाग जैसा होना चाहिये।

मैं एक बात रबड़-बागान के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। रबड़ बोर्ड द्वारा जारी किये गये पत्र से पता चलता है कि प्राकृतिक रबड़ का उपयोग संश्लिष्ट रबड़ की तुलना में कम हो गया है। चूंकि सरकार निर्माताओं को संश्लिष्ट रबड़ का अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए कहती है इसलिये वहां के लोगों को कठिनाई हो रही है। इस की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

हमें पता चला है कि राज्य में चावल के भाव बढ़ गये हैं। इसलिये वहां के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मैं इस के हक में नहीं हूं कि कानूनी तौर पर राशन व्यवस्था हो परन्तु "लैवी सिस्टम" (उद्ग्रहण प्रणाली) समाप्त किया जाना चाहिये। मेरा यह भी सुझाव है कि मद्रास तथा आन्ध्र से चावल के आयात में कोई रोक नहीं होनी चाहिये।

श्री मे० क० कुमारन (चिरयिन्कील) : केरल की मुख्य समस्या आर्थिक समस्या है परन्तु इस का यह मतलब नहीं कि वहां पर और समस्यायें हैं ही नहीं। वहां पर राजनीतिक

[श्री मे० क० कुमारन]

समस्या, साम्प्रदायिक समस्या तथा अन्य बहुत सी समस्यायें हैं। परन्तु इन समस्याओं को दूर कैसे किया जाये यह समस्या संसद् तथा सारे देश के लिए है।

जब से केरल राज्य बना है तब से वहां का आयव्ययक घाटे का आयव्ययक रहा है। वहां के सभी वित्त मंत्रियों ने सन्तुलित आयव्ययक पेश करने का प्रयत्न किया परन्तु वे अपने प्रयत्न में सफल न हो सके। इस घाटे के आयव्ययक से वहां की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। सब मंत्रियों में से वहां के वित्त मंत्री को सब से अधिक अपयश मिलता है क्योंकि उसे प्रत्येक वर्ष नये कर लगाने पड़ते हैं। परन्तु अब वहां पर ऐसी स्थिति आ गई है जब कि और नये कर नहीं लगाये जा सकते क्योंकि जनता पहले से ही करों से पिसी हुई है। इसलिये केन्द्रीय वित्त मंत्रालय का इस ओर ध्यान देना चाहिये और राज्य की इस वित्तीय स्थिति को बदलने का हल ढूंढना चाहिये।

जैसे मेरे माननीय मित्रों ने पहले भी कहा है केरल उद्योग कृषि उत्पादन, नौकरियों की व्यवस्था करने तथा बिजली पैदा करने में पिछड़ा हुआ है। परन्तु केरल में जल संसाधन बहुत हैं। यदि इन संसाधनों को उपयोग में लाया जाये तो न केवल इस राज्य को ही बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी सस्ती बिजली मिल सकती है। केरल, उद्योगों में बहुत पिछड़ा हुआ है परन्तु इस का कारण वहां पर सस्ती बिजली का न मिलना है। वहां पर सस्ती बिजली इस लिये नहीं मिल पाती है क्योंकि विदेशी मुद्रा न मिलने के कारण बहुत सी महत्व-पूर्ण परियोजनाओं को स्थगित करना पड़ा है।

बहुत से माननीय मित्रों ने इद्दिकी परियोजना के महत्व के बारे में कहा है। वह परियोजना सारे दक्षिण क्षेत्र में सब से अधिक महत्वपूर्ण बिजली सम्बन्धी परियोजना है परन्तु विदेशी मुद्रा की कमी के कारण इसे चालू करना कठिन हो गया है। कनाडा सरकार ने इस परियोजना की सहायता करने के लिए कहा है। उन्होंने अपने इंजीनियरों को यहां पर भेजा और उन्होंने अपना प्रतिवेदन भी दिया है। उन्होंने पचास लाख डालर का प्रबन्ध भी किया है परन्तु वित्त मंत्रालय ने इस बारे में समझौता करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री हाथी ने कहा था कि इद्दिकी परियोजना को शीघ्रता से लागू करने के लिए सरकार हर सम्भव उपाय करेगी परन्तु इस परियोजना को लागू करने के विरुद्ध इस सभा तथा केरल की जनता के पीछे एक षड़यंत्र चल रहा है। हाल ही में दिल्ली में एक वित्त मंत्री के कमरे में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में वित्त मंत्रालय के बड़े बड़े अधिकारी केरल के विद्युत् बोर्ड के अध्यक्ष तथा सलाहकार भी उपस्थित थे। इस बैठक में उन्होंने यह तय किया कि परियोजना में व्यय से कम व्यय किया जाना चाहिये तथा वह धन दूसरी परियोजनाओं में लगाया जाना चाहिये। इस तरह से सरकार वहां की जनता को धोखा दे रही है परन्तु मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि न वहां की जनता इसे कभी भी सहन नहीं करेगी।

केरल के बिद्युत् बोर्ड ने छः करोड़ रुपये की मांग की थी परन्तु उन्हें केवल एक करोड़ रुपये नियत किये गये हैं। राज्य ने इस वर्ष एक करोड़ साठ लाख रुपये ठेकेदारों को देने का वायदा किया हुआ है। यदि वे अपने वायदे को पूरा नहीं करते हैं तो ठेकेदार

मुकदमा चला कर उन से प्रतिकर ले लगे । यह राशि उस के लिये दी जानी है जो व्यय पहले हो चुका है परन्तु केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने उन्हें केवल एक करोड़ रुपये ही नियत किये हैं ।

श्री श्रीकान्तन नायर त्रिवेन्द्रम के पास बन रही आई०टी० आई० इमारत का उल्लेख कर रहे थे। जनता ने इस इमारत के बनाये जाने का बहुत विरोध किया था । त्रिवेन्द्रम के बड़े बड़े लोगों ने इस बात की ओर सरकार का ध्यान भी दिलाया था । उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी थी कि यदि यह इमारत बन गई तो उस दशा में यहां पर जो हवाई अड्डा है वह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बन सकता है जिस के लिये भारत सरकार ने वचन दिया हुआ है । परन्तु इन सब चीज़ों के बावजूद भी कुछ सरकारी अधिकारियों ने आदेश दे दिया कि इमारत बननी चाहिये और अब वह लगभग पूरी बन गई है ।

लैफ्टिनेंट कर्नल गोडा वर्मा राजा ने इस मामले में बहुत रुचि ली । वह तो स्वयं ही जा कर इमारत को गिरा देना चाहते थे । परन्तु उन्होंने इस मामले के सम्बन्ध में अपना अभ्यावेदन राज्यपाल के पास भेजा । तब राज्यपाल ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि निर्माण-कार्य बन्द कर दिया जायेगा परन्तु बाद में उन्हें नौकरशाहों का कहना मानना पड़ा ।

अब मैं त्रिवेन्द्रम में चाकाई स्थान पर स्थित लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरिंग वर्कशाप के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । उस वर्कशाप में 700 प्रवीण श्रमिक थे परन्तु अब वहां पर 240 रह गये हैं। एक और मज़ाक की बात तो यह है कि इन 240 श्रमिकों के लिये उरकार ने 125 कर्मचारी रखे हुए हैं। हमारे देश में सरकारी उपक्रमों में कैसे काम होता है यह उस का एक नमूना है । इस मामले की जांच की जानी चाहिये।

वर्तमान राज्यपाल श्री जैन, आजकल राज्य का दौरा कर रहे हैं। वे लोगों से उनकी कठिनाइयों के बारे में पूछ रहे हैं तथा उन्हें बहुत से आश्वासन दे रहे हैं। लोगों के सम्पर्क में आना अच्छी बात है परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार तथा नौकरशाहों ने ऐसा रवैया अपनाया तो वह वहां कुछ भी कार्य नहीं कर सकते।

आजकल केरल में खाद्यान्नों के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं। कुछ दिन पहले जिन चावलों का मूल्य एक रुपया 20 पैसे प्रति किलो था अब वह बढ़ कर एक रुपया 70 पैसे हो गया है । कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों के कारण और सरकार द्वारा मुनाफाखोरों को प्रसन्न करने की नीति के कारण उद्ग्रहण प्रणाली (लैवी सिस्टम) असफल रही है । इसलिये मेरे विचार से वहां पर कानूनी तौर पर राशन पद्धति लागू करने से सरकार खाद्य की इस गम्भीर समस्या को दूर कर सकती है ।

मिट्टी के तेल तथा अन्य बहुत सी वस्तुओं के मूल्य वहां पर बढ़ रहे हैं । यह एक गम्भीर समस्या है । इसलिये मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये शीघ्र ही कार्यवाही की जानी चाहिये ।

समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने का काम केन्द्रीय सरकार ने जो अपने पर लेने का निर्णय किया है वह बहुत ही अच्छी बात है । केरल के तट के साथ साथ दीवार बनाने का व्यय केन्द्रीय सरकार को स्वयं करना चाहिये ।

आर्थिक समस्या केरल की मुख्य समस्या है और यदि इस समस्या को हल नहीं किया गया तो केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्य सभी दल भी वहां पर असफल रहेंगे।

केरल राज्य की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2	1	श्री पोट्टेकाट	. केरल में विभिन्न पंचायतों को देय मूलभुत कर के अंश का उन्हें भुगतान न करना ।	100 रुपये
3	2	श्री मुहम्मद कोया	. केरल में मद्य-निषेध को युक्तिसंगत बनाने के प्रयत्न के समाचार ।	100 रुपये
4	3	श्री पोट्टेकाट	. केरल में मोटर-गाड़ियों पर लगाया गया कर कम करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	4	श्री पोट्टेकाट	. केरल में परिवहन स सम्बन्धित सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
8	5	श्री पोट्टेकाट	. केरल विधान सभा के लिए निर्वाचन कराने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
8	6	श्री मुहम्मद कोया	. परिसीमन समिति में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को न रखना ।	100 रुपये
9	7	श्री मुहम्मद कोया	. केरल राज्य में पुलिस के बढ़ते हुए अत्याचार ।	100 रुपये
9	8	श्री मुहम्मद कोया	. लोकप्रिय प्रतिनिधियों का प्रशासन में सहयोग प्राप्त करने में असफलता ।	100 रुपये
9	9	श्री मुहम्मद कोया	. सरकार द्वारा बनायी गयी समितियों में सभी प्रकार की राजनैतिक विचारधाराओं और जनता के सभी वर्गों के प्रतिनिधि न रखना ।	100 रुपये
9	10	श्री मुहम्मद कोया	. शैक्षिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में मलाबार को त्रावनकोर-कोचीन के स्तर पर लाने का प्रयत्न न करना ।	100 रुपये
9	11	श्री मुहम्मद कोया	. बर्मा से आये हुए निष्क्रान्त व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता की धन राशि को 250 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
9	12	श्री मुहम्मद कोया	. बर्मा से आये हुए निष्क्रान्त व्यक्तियो को दिये गये ऋणों की शर्तों में रियायत देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
11	13	श्री पोट्टेकाट	. केरल में सभी न्यायिक अधिकारियों के लिए क्वार्टर बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
13	14	श्री पोट्टेकाट	लोक-सेवा आयोग द्वारा छांटे गये उम्मीदवारों की पुलिस द्वारा जांच कराने की प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
13	15	श्री पोट्टेकाट	. केरल में पुलिस अधिकारियों का यात्रा भत्ता बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	16	श्री पोट्टेकाट	. राज्य बीमा योजना के अधीन प्रतिकर दावे के सम्बन्ध में शीघ्रता करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
16	17	श्री मुहम्मद कोया	. कालीकट कालेज और पालघाट विक्टोरिया कॉलिज में अरबी के लेक्चरर्स नियुक्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
16	18	श्री मुहम्मद कोया	. ओरिएंटल कालेज, पट्टाम्बी में अरबी चालू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
16	19	श्री मुहम्मद कोया	. तिरुर में एक आर्टस कालेज खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
17	20	श्री मुहम्मद कोया	. शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में भी और अधिक स्कूलों के लिए मंजूरी न देने की कार्यवाही का समाचार ।	100 रुपये
17	21	श्री मुहम्मद कोया	. अनेक स्कूलों में जहां छात्रों की अपेक्षित संख्या है, अरबी के अध्यापकों की नियुक्ति न करना ।	100 रुपये
17	22	श्री मुहम्मद कोया	. अरबी के अंशकालिक अध्यापकों को पूरे समय के लिए नियुक्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
17	23	श्री मुहम्मद कोया	. शिल्प अध्यापकों की अधिक संख्या में छंटनी ।	100 रुपये
19	24	श्री पोट्टेकाट	. कालीकट मेडिकल कॉलेज अस्पताल को एक्सरे फिल्में देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
20	26	श्री पोट्टेकाट	. तेल्लीचेरी, कन्नानूर तथा बदागड़ नगरपालिकाओं के लिए पानी की सप्लाई सम्बन्धी व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
22	29	श्री पोट्टेकाट	. केरल में संविहित राशनिंग चालू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
23	30	श्री मुहम्मद कोया	. तनूर को प्रथम श्रेणी के मीन-क्षेत्र केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
27	31	श्री कान्तन नायर	. खनिज उद्योग को फिर से चालू न करना ।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये
27	32	श्री कान्तन नायर	. मेसर्स हॉपकिन्स एन्ड विलियम्स लिमिटेड, चावरा, के कर्मचारियों को पांच वर्ष की बकाया रकम का भुगतान न करना ।	100 रुपये
27	33	श्री पोट्टेकाट	. केरल के मलाबार प्रदेश में नये उद्योग चालू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
27	34	श्री मुहम्मद कोया	. मलाबार क्षेत्र में और अधिक उद्योग चालू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
27	35	श्री मुहम्मद कोया	. पश्चिम तट पर मीन-क्षेत्र पर आधारित उद्योग चालू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
32	36	श्री पोट्टेकाट	. पजहासी और कुट्टियाड़ी सिंचाई योजनाओं में शीघ्रता करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
33	37	श्री पोट्टेकाट	. तेल्लीचेरी नगर पालिका में कुय्याली पुल तक ले जाने वाली सड़क को बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
33	38	श्री मुहम्मद कोया	. केन्द्रीय सरकार को सिफारिश की जाने वाली रेलवे लाइनों में मेलात्तुर-फेरक लाइन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
33	39	श्री मुहम्मद कोया	. तिरुर में प्रस्तावित उपरी पुल के संबंध में राज्य के हिस्से का खर्च पूरा करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
33	40	श्री मुहम्मद कोया	. तटीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली अलवाया और कालीकट के बीच एक सीधी सड़क की आवश्यकता ।	100 रुपये
34	41	श्री पोट्टेकाट	. बादगढ़ स्तम्भ और प्रकाश स्तम्भ से सम्बन्धित कार्य में शीघ्रता करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
35	42	श्री पोट्टकाट	. बादगड़-माहे नहर को पूरा करने के काम में शीघ्रता करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
35	43	श्री कोट्टेकाट	. केरल में पश्चिम तटवर्ती सड़क के निर्माण में शीघ्रता करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
35	44	श्री पोट्टेकाट	. केरल में सभी जिला मुख्यालयों से नियमित पर्यटक गाड़ियों (स्टेज कैरेजेज) चालू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
35	45	श्री पोट्टेकाट	. कालीकट और कन्ननूर में राज्य-परिवहन निगम द्वारा भोजन वितरण संस्थान चालू किये जाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
35	46	श्री कान्तन नायर	. अन्तर्देशीय जल-परिवहन में 25,000 देशी जहाजों को वित्तीय दृष्टि से आत्म-निर्भर एककों के रूप में रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
35	47	श्री कान्तन नायर	. त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का विकास करने की आवश्यकता, ताकि वहां जेट-हवाई जहाज उतर सकें और वह नई दिल्ली और उसके द्वारा कोलम्बो तथा सुदूर पूर्व के बीच सम्बन्ध स्थापित किया जा सके ।	100 रुपये
39	48	श्री पोट्टेकाट	. केरल में गैर-सरकारी वनों को ले लेने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	49	श्री मुहम्मद कोया	. कालीकट में एक हवाई अड्डा खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
55	50	श्री पोट्टेकाट	. बिजली की कमी पूरी करने के लिये बादगड़ में और एक छोटा बिजली घर खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
55	51	श्री पोट्टेकाट	. बादगड़ में जूनियर टेक्निकल स्कूल की स्थापना सम्बन्धी कार्य में शीघ्रता करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	52	श्री वासुदेवन् नायर	. अत्यावश्यक खाद्य पदार्थों पर से बिक्री कर हटाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	53	श्री वासुदेवन् नायर	. मद्य-निषेध को युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	54	श्री वासुदेवन् नायर	. नीलामी की रकम बातचीत द्वारा निश्चित करने के उपाय से ताड़ी निकालने वालों की सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	55	श्री वासुदेवन् नायर	. उत्पादन-शुल्क विभाग में भ्रष्टाचार दूर करने के लिएउचित कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	56	श्री वासुदेवन् नायर	. पुलिस और उत्पादन शुल्क विभाग, दोनों ही द्वारा ताड़ी निकालने वालों का उत्पीड़न समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
9	57	श्री वासुदेवन् नायर	केरल राज्य में हाल के चुनावों के बाद राज्य विधान मंडल की बैठक न बुलाना	राशि को घटा कर एक रुपया कर दिया जाये ।
9	58	श्री वासुदेवन् नायर	पुलिस की बढ़ती हुई ज्यादती को न रोकना ।	राशि को घटा कर एक रुपया कर दिया जाये ।
9	59	श्री वासुदेवन् नायर	केरल राज्य में संविहित राशन प्रणाली चालू न करना ।	राशि को घटा कर एक रुपया कर दिया जाये ।
9	60	श्री वासुदेवन् नायर	उपभोक्ता वस्तुओं के, विशेषकर खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में असफलता ।	राशि को घटा कर एक रुपया कर दिया जाये ।
9	61	श्री वासुदेवन् नायर	केरल में हाल के चुनावों के पहले राजनैतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और नजरबन्दी ।	राशि को घटा कर एक रुपया कर दिया जाये ।
9	62	श्री वासुदेवन् नायर	केरल विधान मंडल के 29 निर्वाचित प्रतिनिधियों को रिहा करने से इन्कार करना ।	राशि को घटा कर एक रुपया कर दिया जाये ।
10	63	श्री वासुदेवन् नायर	आयोजना की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए जिला अधिकारियों को और अधिक शक्तियां देने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	64	श्री वासुदेवन् नायर	महिला राजनैतिक बन्दियों के पृथकत्व को समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
12	65	श्री वासुदेवन् नायर	सभी राजनैतिक बन्दियों को परिवार भत्ता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
13	66	श्री वासुदेवन् नायर	परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल के लिए जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
13	67	श्री वासुदेवन् नायर	जिन गुण्डों ने छालावाड़ा में सुप्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ताओं पर हमले किये उनके साथ पुलिस की सांठगांठ की जांच करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
13	68	श्री वासुदेवन् नायर	भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाने की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
13	69	श्री वासुदेवन् नायर	सरकारी नौकरियों में नियुक्ति से पहले पुलिस की जांच की प्रथा समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
16	70	श्री वासुदेवन् नायर	निजी कालेजों में फीस कम करने और उसे सरकारी कालेजों की फीस की दर के बराबर लाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
16	71	श्री वासुदेवन् नायर	विश्वविद्यालय-शिक्षा के लिए प्रवेश के इच्छुक सभी छात्रों की भर्ती की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
16	72	श्री वासुदेवन् नायर	मलावार क्षेत्र में नये स्कूल खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
17	73	श्री वासुदेवन् नायर	उन अप्रशिक्षित अध्यापकों को, जो पहले से काम कर रहे हैं, नौकरी की गारन्टी देने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
17	74	श्री वासुदेवन् नायर .	और अधिक तकनीकी संस्थाएं खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
19	75	श्री वासुदेवन् नायर .	अस्पतालों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्याप्त संख्या में डाक्टरों और नर्सों को रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये
19	76	श्री वासुदेवन् नायर .	अस्पतालों और औषधालयों में पर्याप्त औषधियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
19	77	श्री वासुदेवन् नायर .	और अधिक अस्पताल तथा औषधालय खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
20	78	श्री वासुदेवन् नायर .	हैजा-महामारी की अविलम्ब रोक-थाम करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
20	79	श्री वासुदेवन् नायर .	आयुर्वेद को अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
20	80	श्री वासुदेवन् नायर .	मलेरिया निगरानी कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी न करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
22	81	श्री वासुदेवन् नायर .	कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए अविलम्ब कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
22	82	श्री वासुदेवन् नायर .	केरल में होटलों के राशन में कटौती खत्म करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
22	83	श्री वासुदेवन् नायर .	चावल का राशन बढ़ा कर 12 औंस प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
23	84	श्री वासुदेवन् नायर .	मछुओं के सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
27	85	श्री कान्तन् नायर	सूक्ष्म औजार कारखाने की स्थापना में शीघ्रता करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
27	86	श्री कान्तन् नायर	केरल में शोधन शालाओं के आस पास पेट्रो-रसायनिक उद्योग चालू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
27	87	श्री वासुदेवन् नायर .	केरल में उद्योगों के लिये कच्चे माल की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
27	88	श्री वासुदेवन् नायर .	केरल में पेट्रो-रसायनिक उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
27	89	श्री वासुदेवन् नायर .	नारियल रेशा उद्योग को पुनः सुदृढ़ करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
27	90	श्री वासुदेवन् नायर .	अलेप्पी जिले के औद्योगीकरण के बारे में थारकन् समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
27	91	श्री वासुदेवन् नायर .	सरकारी क्षेत्र में उद्योग चालू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
29	92	श्री वासुदेवन् नायर .	बेरोजगारी का संकट दूर करने के लिए प्रभावशाली योजनाएं बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
29	93	श्री वासुदेवन् नायर	पेट्टा में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के भवन का और आगे निर्माण रोकने की आवश्यकता, ताकि वह त्रिवेंद्रम, हवाई अड्डे के विस्तार में बाधक न बने ।	100 रुपये
30	94	श्री वासुदेवन् नायर .	कुछ अनुसूचित जातियों तथा आदिम-जातियों के वर्गीकरण में विसंगतियां दूर करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
32	96	श्री वासुदेवन् नायर .	समुद्र कटाव विरोधी परियोजनाओं में शीघ्रता करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
32	97	श्री वासुदेवन् नायर .	इडिक्की परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त धन प्राप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
32	98	श्री वासुदेवन् नायर .	केरल में सिंचाई परियोजनाओं में शीघ्रता करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
33	99	श्री वासुदेवन् नायर .	त्रिवेन्द्रम में चक्का में लोक निर्माण विभाग की इंजीनियरी वर्कशाप को पुनर्गठित करने और उसे पुनः सुदृढ़ बनाने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
35	100	श्री वासुदेवन् नायर .	जल परिवहन निगम को जिसका समापन हो रहा है, पुनर्गठित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
55	101	श्री कान्तन् नायर .	अविलम्ब बिजली पैदा करने वाली योजनाओं के लिए और अधिक धन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत हैं ।

श्री अच्युतन (मावेलिक्करा) : * मैं 1965–66 के लिये केरल सरकार की मांगों का समर्थन करता हूं । मुझे इस बात से प्रसन्नता नहीं है कि केरल के बजट पर इस सभा में चर्चा की जा रही है । केरल की जनता को यह भय है कि राष्ट्रपति के शासन के दौरान उनकी समस्याओं की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जायेगा और यह भय दूर किया जाना चाहिये । प्रशासन अधिकारियों को अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिये और उन्हें अपने सभी कार्यों में सामाजिक तथा आर्थिक न्याय का उच्च सिद्धान्त बरतना चाहिये ।

यह शर्म की बात है कि पिछले वर्ष के बजट में से काफी राशी व्यपगत हो गई है । जो अधिकारी इसके लिये उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध कार्य वाही की जानी चाहिये । इस समस्यापूर्ण राज्य में जो अधिकारी समस्यायें दूर करने के लिये नियुक्त किये गये हैं, वे और भी समस्यायें उत्पन्न कर रहे हैं मेरा निवेदन है कि प्रशासनिक कार्यपटुता सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी पग उठाये जाने चाहियें

हरिजन कल्याण के लिये इस बजट में जो धनराशि आवंटित की गई है मैं उसके बारे में ही कुछ कहूंगा । हरिजन कल्याण एक महत्वपूर्ण बात है । हमारे देश की 20 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग हैं । इन्हें बिना किसी दोष के असंख्य कष्ट दिये जा रहे हैं । ये लोग शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं । इस सम्बन्ध में अब तक जो पग उठाये गये हैं वे अपर्याप्त हैं । हमें इन लोगों को यथासंभव शीघ्र दूसरी जातियों के स्तर पर लाना होगा और अपने प्रयत्न में तेजी लाकर उस स्तर पर पहुंचना होगा और जहां इन लोगों को विशेष सुविधायें दिये जाने की आवश्यकता न रहे ।

*मूल मलयालम के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित ।

*English translation of Speech delivered in Malayalam.

[श्री अच्युतन]

यह आश्चर्यजनक है कि इस वर्ष के बजट में हरिजन कल्याण के लिये जो धनराशि आवंटित की गई है वह पिछली साल की राशि से कम है । और दूसरे प्रयोजनों के लिये अधिक धनराशि रखी गई है । इससे यह डर उत्पन्न होता है कि हरिजनों की आवश्यकताओं को ओर ठीक ध्यान नहीं दिया जायेगा । यह राष्ट्रपति के शासन के हित में नहीं है ।

आज केरल में हरिजनों की संख्या का एक बड़ा भाग दयनीय दशा में रह रहा है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये घर बनाये जाने की योजना है । इस बारे में धनराशि $4\frac{1}{2}$ लाख रुपये से घटाकर दो लाख रुपये कर दी गई है । समिति को ऐसे लोगों का चयन नहीं करना चाहिये जिन्हें आवास-योजना से लाभ प्राप्त हुआ हो ।

हरिजन विद्यार्थियों की शिक्षा तथा मासिक छात्रवृत्ति के लिये निर्धारित धन पर्याप्त नहीं है । मासिक छात्रवृत्ति की राशि भी बढ़ाई जानी चाहिये । यह राशि दस वर्ष पहले निर्धारित की गई थी जब मूल्य बहुत कम थे । हरिजन कल्याण विभाग के अधीन सभी 300 स्कूलों में गैर-हरिजन विद्यार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है । यह स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन चले जाने पर इन्हें सामान्य स्कूल समझा जाना चाहिये और इनके सम्बन्ध में होने वाला व्यय हरिजन कल्याण विभाग द्वारा नहीं परन्तु शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना चाहिये ।

ऐसा प्रतीत होता है कि जहां तक केरल में हरिजन कल्याण का सम्बन्ध है, यह कार्य ठीक प्रकार नहीं हो रहा है । इस प्रयोजन के लिये पिछले वर्ष जो राशि निर्धारित की गई थी वह पूरी तरह खर्च नहीं की गई है । चौथी योजना में भी हरिजन कल्याण की उपेक्षा की गई है । इसके लिये 250 करोड़ रुपये से कम राशि नहीं रखी जानी चाहिये ।

केरल में शिक्षित नवयुवकों को नौकरी मिलने में कठिनाई हो रही है । निःसन्देह उनके लिए स्थान रक्षित रखे गये हैं परन्तु वह आरम्भ में नौकरी प्राप्त करने के लिये हैं, पदोन्नति के लिये नहीं । मुझे पता लगा है कि केन्द्रीय सेवा के कुछ वर्गों में पदोन्नति के लिये भी स्थान रक्षित किये गये हैं । केरल में प्रत्येक विभाग में एक राजपत्रित पद हरिजनों के लिये रखा गया था और 23 हरिजन इन पदों पर नियुक्त भी किये गये । परन्तु अब ऐसा लगता है कि यह योजना स्थगित कर दी गई है । इसे फिर से लागू किया जाना चाहिये ।

केरल में आदिम जातियों के लोगों की दशा बहुत दयनीय है । कुछ अग्रिम परियोजनाओं के अतिरिक्त उनके आर्थिक उत्थान के लिये अन्य कोई परियोजनायें नहीं है । बहुतों के पास भूमि है परन्तु उन्हें कृषि-कार्य नहीं आता । दूसरे लोग उनकी भूमि हड़प कर रहे हैं । आदिवासियों की भूमि का गैर-आदिवासियों को दिया जाना समाप्त किया जाना चाहिये तथा बेगार की प्रथा समाप्त होनी चाहिये ।

श्री कोया (कोझीकोडे) : जो कटौती प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किये हैं, मैं उनके सम्बन्ध में ही बोलूंगा । केरल के सदस्यों को केरल के बारे में अधिक मांगे प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिलता । इस तरह मालूम होता है कि हम राजनैतिक दृष्टि से अनाथ हो गये हैं । आशा है कि केन्द्रीय सरकार केरल की ओर विशेष ध्यान देगी ।

केरल में मद्य-निषेध का कार्यक्रम अनुचित शीघ्रता से लागू नहीं किया जाना चाहिये । इसमें कोई सन्देह नहीं कि मद्य-निषेध से श्रमिक लोगों की दशा में सुधार हुआ है । परन्तु सुधार के लिये हमें इस कार्य में शीघ्रता नहीं करनी चाहिये तथा अगले निर्वाचन तक प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

जहां तक खाद्य स्थिति का सम्बन्ध है, खाद्यान्न के मूल्य बढ़ रहे हैं और गरीब लोगों का जीवन निर्वाह करना कठिन हो रहा है । स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिये सरकार को केरल में खाद्यान्न के पर्याप्त भण्डार स्थापित करने होंगे । अब हमारे सामने कठिन समय आ रहा है और बरसात के मौसम में वहां खाने के लिये कुछ भी नहीं मिलेगा ।

सरकार को वहां मछली पालन उद्योग में सुधार करना चाहिये क्योंकि मछली वहां के लोगों की खुराक का एक बड़ा भाग है । यदि सरकार इस सम्बन्ध में नार्वे, स्वीडन तथा जापान का सहयोग प्राप्त करे, जिन्होंने इस क्षेत्र में काफी प्रगति की है, तो केरल में बहुत सीमा तक खाद्य समस्या हल हो सकती है ।

जहां तक संचार साधनों का सम्बन्ध है केरल में ऐसी बहुत सी नदियां हैं जिन पर पुल नहीं हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिये लोग कठिनाई अनुभव करते हैं । त्रिवेन्द्रम जाने के लिये तीन गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं और इसके परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों के लिये भी कठिनाई होती है । संचार साधनों का विस्तार होना चाहिये तथा उन में सुधार होना चाहिये ।

मालाबार अभी तक शिक्षा तथा संचार के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है । मालाबार में अधिक स्कूल खोले जाने के लिये भारत सरकार को धन की व्यवस्था करनी चाहिये ।

भारत में अंग्रेजों के आने से बहुत पहले ही केरल के अरब देशों से सम्बन्ध थे । आजकल अरब देशों से भारत के सम्बन्ध अच्छे हैं । इसलिये अरबी भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन मिलना चाहिये । यह भाषा बहुत देशों में बोली जाती है । परन्तु दुर्भाग्य से सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती । त्रिवेन्द्रम में विश्वविद्यालय कालेज, महिला कालेज तथा इंटरमिडियेट कालेज---इन तीनों में अरबी पढ़ाने के लिये केवल एक ही अध्यापक है । इन पदों का पृथक्करण किया जाये तथा तीन पृथक अध्यापक नियुक्त किये जायें । कालीकट के सरकारी कालेज तथा पालघाट के विक्टोरिया कालेज में अरबी अध्यापकों के पद की मंजूरी दी जानी चाहिये । जैसा कि कालेज मन्त्रणा परिषद ने सुझाव दिया है, पट्टाभि संस्कृत कालेज में अरबी के प्राच्य सांस्कृतिक पाठ्यक्रम की स्वीकृति दी जानी चाहिये । संस्कृत तथा अरबी का पाठ्यक्रम आरम्भ करने से राष्ट्रीय एकीकरण के कार्य में भी सहायता मिलेगी ।

अब मैं सरकार का ध्यान कालीकट में हवाई अड्डे के विकास-कार्य की ओर दिलाऊंगा । यह अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है । वहां अभी भी योरोपियन व्यापार कम्पनी हैं । परन्तु अभी तक 1959 में सरकार द्वारा दिये गये इस वचन को पूरा नहीं किया गया है कि कालीकट हवाई अड्डे को चालू नहीं किया गया । सरकार को इसे अगले वर्ष के कार्यक्रम में सम्मलित करने पर विचार करना चाहिये ।

इस बजट में केरल में नई रेलवे लाइन बनाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है । पिछले वर्ष के बजट में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी । कम से कम निलम्बुर से कालीकट तक के लिये नई रेलवे लाईन बनायी जानी चाहिये । शोरानूर से निलम्बूर तक रेलवे लाइन है परन्त वह घाटे पर चल रही है । सरकार को इसे अपने हाथ में लेना चाहिये ।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे कटौती प्रस्तावों पर विचार करेंगे तथा हमें बतायेंगे कि उनके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ।

श्री केप्पन (मवातुपुजा) : यह खेद का विषय है कि केरल के लोगों को केवल छः औंस चावल मिल रहे हैं और जो चावल दिया जा रहा है वह घाटिया किस्म का है । खुले बाजार में चावल

[श्री केप्पन]

के दाम बहुत बढ़ गये हैं। खण्ड प्रणाली चालू करने के कारण और भी कठिनाई उत्पन्न हो गई है। इस पर वहां मिट्टी के तेल की भी कमी है जिसके परिणामस्वरुप वहां केरल में गरीब लोगों को अन्धेरे में रहना पड़ता है। कानूनी तौर पर राशन पद्धति की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान खण्ड-प्रणाली समाप्त की जानी चाहिये और अन्य राज्यों से चावल केरल में आने दिया जाना चाहिये।

केवल खाद्य के सम्बन्ध में ही नहीं परन्तु दूसरी बातों के बारे में भी यहां सभा में केरल के प्रति रुचि दिखाई गई है। परन्तु राजनैतिक प्रश्न को महत्व दिया जाता है। वास्तव में केरल की समस्या राजनैतिक समस्या नहीं है परन्तु यह एक आर्थिक समस्या है। केरल में बेकारी की समस्या तथा भूमि के अभाव की समस्या को देखते हुए तेजी से औद्योगीकरण किया जाना चाहिये ताकि ये समस्यायें हल हो सकें। केरल में प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं और दूसरे राज्यों की तुलना में वहां अच्छी सुविधायें उपलब्ध हो सकती हैं। वहां कृषि-क्षेत्र भी काफी उन्नत है। वहां इंधन की कमी है परन्तु यह कमी बिजली के उत्पादन से पूरी की जा सकती है। केरल में 44 नदियां हैं और उनसे बिजली का उत्पादन हो सकता है। वहां उत्पादन-व्यय समस्त भारत में सब से कम है। इसके बावजूद भी हमें मद्रास से बिजली लेनी पड़ती है। अब क्योंकि बिजली की मात्रा कम कर दी गई है इसलिये बहुत से उद्योग बन्द हो गये हैं।

इद्दीकी परियोजना पर्याप्त उन्नति कर रही है परन्तु अब वित्त मन्त्रालय ने निर्णय किया है कि काममें शिथिलता लाई जाये। केरल में यह भावना पैदा हो रही है कि मद्रास तथा केरल में जल सम्बन्धी झगड़े के कारण इस परियोजना में ढील की जा रही है। कनाडा की सरकार ने इस परियोजना के लिये 50 करोड़ डालर दिये हैं। अब सरकार द्वारा इतनी ही राशि अनुदान के रूप में दिये जाने की आवश्यकता है। परन्तु वित्त मन्त्री यह राशि नहीं दे रहे हैं और इस परियोजना में ढील कर रहे हैं। इसलिये मैं यह अनुरोध करता हूं कि वह लोगों की भावनाओं को समझते हुये सरकार को अपना रुख बदलना चाहिये और इस परियोजना के काम में तेजी लानी चाहिये।

खाद्य समस्या को हल करने के लिये वहां बहुत सुझाव दिये गये हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि केरल में कानूनीतौर पर राशन व्यवस्था जारी की जाये। इससे बहुत कठिनाईयां पैदा होंगी तथा भ्रष्टाचार फैलेगा। खण्ड पद्धित को समाप्त किया जाना चाहिये। अनौपचारिक राशन व्यवस्था से लोगों को खाद्यान्न सम्बन्धी आवश्यकताओं का केवल एक भाग ही मिलता है और शेष आवश्यकता खुले बाजार से पूरी करनी पड़ती है। क्योंकि कृषकों से फालतू धान ले लिया जाता है इसलिये वह खुले बाजार में अब कैसे मिल सकता है ? यथासम्भव शीघ्र उदग्रहण प्रणाली समाप्त की जानी चाहिये ताकि चावल खुले बाजार में उपलब्ध हो सकें।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : सरकार केरल राज्य की समस्याओं की ओर उचित ध्यान नहीं दे रही है। सभी दलों के माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की है कि केरल के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इसका क्या कारण हैं? तीन योजनाओं के बाद भी उस राज्य की वित्तीय स्थिति दयनीय है। 30 प्रतिशत परिवारों की प्रति व्यक्ति आय केवल आठ रुपये है। उद्योगों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। वहां भारी उद्योग तनिक भी नहीं हैं। 15 वर्षों के दौरान जिन औद्योगिक उपक्रमों का प्रस्ताव था उनमें से केवल दो स्थापित हुए हैं, तीसरे उपक्रम अर्थात् जहाज-निर्माण कारखाने के बारे में अभी सर्वेक्षण चल रहा है और सूक्ष्म औजार कारखाने का काम स्थगित कर दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार ने एक महत्वपूर्ण उद्योग अर्थात् खनन उद्योग को समाप्त कर दिया है। अब यह कहा जाता है कि केरल सरकार "तिरवांकुर मिनरल्स रिआर अर्थ्स लिमिटेड" को सौंपने के लिये

बाध्य कर दी गई थी। मुझे बताया गया है कि वे बची हुई अन्तिम कम्पनी एफ० एण्ड पी० मिनरल्स को भी बन्द करने जा रहे हैं। केरल सरकार के अधीन यह अपनी सामान्य क्षमता से आधी पर काम कर रही है । जब भी केरल का प्रश्न आता है तो यह है केन्द्रीय सरकार का व्यवहार । यदि भारत सरकार अपने राज्यों के संसाधनों के आधार पर राज्य की योजनायें बनाने की नीति पर चलती रही तो पिछड़े राज्य कभी उन्नति नहीं कर सकेंगे ।

केन्द्रीय सरकार ने भाखड़ा नागंल परियोजना पर 250 करोड़ रुपये खर्च किये। मद्रास के लिये निवेली तथा अन्य राज्यों में भी विद्युत् परियोजना चलाई गई हैं लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि केन्द्रीय सरकार केरल में विद्युत् शक्ति परियोजानाओं के लिये ऋण क्यों नहीं दिये जा सकते थे । 1964-65 वर्ष के लिये केरल सरकार ने 30 करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन योजना आयोग 16.75 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की, जो बजट में घट कर 15.8 करोड़ रुपये ही रह गये । केरल सरकार को मद्रास सरकार से 7 पाई प्रति यूनिट की दर से बिजली लेनी पड़ती है जबकि राज्य में दो पाई प्रति यूनिट से भी कम लागत पर बिजली तैयार की जा सकती है । जिसका सारे देश को संभरण किया जा सकता है । योजनायें बनाने से लाभ क्या हैं यदि अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं और इस बात पर ध्यान नहीं दे सकते कि राष्ट्रीय संसाधनों का ऐसे क्षेत्रों में विकास किया जाये जहां लागत कम आये और सारे देश की आवश्यकता पूरी हो सके ।

पिछले वर्ष सीमेंट न मिलने के कारण अमरीका से प्राप्त ऋण से चलाई जा रही सबारिगिरि परियोजना का काम बन्द हो गया था। इस वर्ष भी विल्कुल वही दशा है। राज्य सरकार ने 48,000 टन सीमेन्ट मांगा था लेकिन आपने 24,000 टन सीमेन्ट दी है । ऊपर से वर्षा आ रही है । यदि ठीक समय पर सीमेन्ट नहीं दिया गया तो वहां जितना भी निर्माण-कार्य हुआ है, वह वर्षा के कारण बह जायेगा । हमने विद्युत् बोर्ड के लिये 4.4 करोड़ रुपये मांगे थे लेकिन इतनी धनराशि दी गई कि जब छत बनाने का काम आरम्भ होने पर आकर गाड़ी रुक गई। यदि तीन सप्ताह में छत नहीं डाली गई तो अब तक जो निर्माण हुआ है वह सब ढह जायेगा । जब भी केरल की समस्याओं को समझने का प्रश्न उठता है, न तो वित्त मंत्री सभा में होते हैं और न ही गृहमंत्री । मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम कुछ समस्याओं को तो दूर किया जाये ताकि वहां के लोगों को कुछ राहत मिले ।

जहां पक पुलिस राज्य का सम्बन्ध है, आपको ऐसी पुलिस देश में अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगी। केरल में यदि कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी की आलोचना करता है तो उसे थाने ले जाकर निर्दयता से पीटा जाता है । अनेक घटनायें हुई हैं और हाल ही में मैंने एक पंचायत के उप-प्रधान पर हमले के बारे में राज्यपाल को लिखा है । ऐसी घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति थाने में जाने के बाद उसका शव वहां से निकला । पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है और मामले को दबाया जा रहा है । कम से कम कांग्रेस दल की मर्यादा के विचार से इन मामलों पर जांच करनी चाहिये ।

(श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी पीठासीन हुए
SHRI S. N. DWIVEDY *in the chair.*)

श्री नटराज पिल्ले (त्रिवेन्द्रम) : बजट में की व्यवस्था से उत्पन्न बातों को समझने तथा केरल की स्थिति में सुधार के लिये रचनात्मक आलोचना करने में सभा में चर्चा अधिक उपयोगी नहीं होगी । वित्त आयोग केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व के नियतन पर विचार कर रहा है जिसके लिये केरल की ओर से केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत करना होगा । मैं आशा करता हूं कि राज्य को वित्तीय आवंटन उचित आधार पर किया जायेगा ।

[श्री नटराज पिल्ले]

केरल सरकार को 130 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान करना है जिसकी किश्तें देने के लये राज्य को प्रतिवर्ष 9—10 करोड़ रुपया चाहिये। राज्य में बहुत अधिक कर लगाये जा चुके हैं। राज्य के लिये नियत राजस्व के साधन बहुत सीमित हैं। और वे अधिक कर नहीं बढ़ा सकते। राजस्व का एक मात्र साधन बिक्री-कर है। मैं व्यापारियों द्वारा बिक्री-कर की आलोचना से सहमत नहीं हूं। इसका भार व्यापारियों पर नहीं, उपभोक्ता पर पड़ता है। व्यापारी का काम केवल उपभोक्ता से कर वसूल करके सरकार को देना है। केरल में हाल में चावल पर भी बिक्री कर लगाया गया है। बिक्री-कर से प्राप्त राजस्व को घटाया बढ़ाया जा सकता है और वह एकमात्र साधन है जिससे राज्य को कुछ राजस्व प्राप्त हो सकता है। राज्य में मद्य-निषेध लागू करने से राजस्व में काफी कमी हुई है। बागान कर में परिवर्तन करने से भूमि-कर में बृद्धि होने की संभावना है लेकिन बहुत अधिक नहीं।

सीमित साधनों और सर से पांव तक भारी ऋणों में डुबे होने के साथ राज्य की एकीकृत कल्याण योजना के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि पर अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक धनराशि खर्च की जाती है। यदि केन्द्र सहायता न करे तो राज्य की स्थिति शोचनीय हो जाये। केरल राज्य को अब भी लगभग 3 से 5 करोड़ रुपये का अनुदान मिल रहा है। पिछले दो वर्षो को छोड़कर 1957 से बराबर घाटे का बजट रहा है। राज्य अपने वायदों को पुरा नहीं कर सकती जब तक राजस्व के और साधन न हों जिसके लिये पूर्णतया केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने पर केन्द्रीय सरकार को यह उत्तरदायित्व राज्य की जनता के हित को ध्यान में रखकर अच्छे से अच्छे ढंग से निभाना चाहिये।

चतुर्थ वित्त आयोग को चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में ज्ञापन प्रस्तुत करने का काम राज्य के वित्त विभाग पर नहीं छोड़ना चाहिये बल्कि केन्द्र सरकार को इस ओर समुचित ध्यान देना चाहिये केरल राज्य का पृथक अस्तित्व समाप्त हो गया है। अब यह केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है कि राज्य में वित्तीय कमी को दुर करे। मैं अनुरोध करूंगा कि राज्य में घनी जनसंख्या और अल्प आर्थिक साधनों को ध्यान में रखकर करों में राज्य को मिलने वाले भाग बढ़ा देना चाहिये। केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय वित्त मंत्रालय तथा केन्द्र में वित्तीय विशेषज्ञ इस पर विचार करें। राज्य में चालू कल्याण कार्यों को ध्यान में रखकर सहायक अनुदाननों में प्रयाप्त बृद्धि करनी होगी।

केरल में स्कूल जाने योग्य आयु के बच्चों में से 86 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। संविधान में यह कहा गया है कि दस वर्षो में सब स्थानों पर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। अन्य राज्यों में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई हैं लेकिन केरल में वर्तमान प्रगति के अनुसार शीघ्र ही यह शत प्रतिशत हो जायेगी। राज्य में 1500 से 1800 के बीच ऐसे स्कूल हैं जिनको फिर से नया बनाना है। इसके लिये राज्य को पर्याप्त धन प्रदान करना चाहिये।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : भारत में औद्योगिक विकास दृष्टि से अधिकांश राज्य अभागे ही हैं। अनेक ऐतिहासिक कारणों व घटनाओं के कारण औद्योगिक विकास कुछ स्थानों में ही हुआ है। केन्द्रीय मंत्रियों ने केरल के बारे में सहानुभूति के असंख्य शब्द कहे हैं लेकिन मुझे तो यह जबानी सहानुभूति से कुछ अधिक नहीं मालूम पडती। अभी तक हमारा यही अनुभव रहा है। पता नहीं वित्त मंत्री आज कहां व्यस्त हैं और सभा में उपस्थित राज्य मंत्री अपने वरिष्ठ सहयोगी के साथ गंभीर वार्तालाप में व्यस्त हैं। वे यहां हो रहे भाषणों का एक शब्द भी नहीं सुन पाये हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : यह बहुत अनुचित बात है। मैंआरम्भ से यहां हूं। मैंने प्रत्येक बात सुनी है और सब नोट ले रखे हैं। मैंने अपने सहयोगी से किसी अत्यावश्यक कार्य के बारे में पांच मिनट के लिये बातचीत की थी।

श्री वासुदेवन नायर : अब वे यह दावा करते हैं कि उन्होंने एक उप-समिति बना दी है। हम केरल से आने वाले लोग प्रतीक्षा करेंगे और देखेंगे कि यह क्या करने जा रही है।

केरल में समस्या औद्योगिक विकास की है। राज्य में जो राजनैतिक संकट उत्पन्न हुआ है वह एकदम से नहीं हुआ है बल्कि धीरे धीरे बढ़ता रहा है और शायद गम्भीर आर्थिक संकट के कारण ही उत्पन्न हुआ है, जो गहरी जड़ पकड़ चुका है। इस सभा में यह निर्णय किया गया था पिछड़े राज्यों की उन्नति के लिये ठोस कदम उठाये जायेंगे तथा केन्द्रीय परियोजनाओं को इस प्रकार बांटा जायेगा जिससे पिछड़े राज्यों को प्रगति करने में सहायता मिले। केरल जैसे समस्यापूर्ण, निर्धन, पिछड़े हुए तथा बहुत अधिक जनसंख्या वाले राज्य में दूसरी पंचवर्षीय योजना में केवल 17 लाख रुपये का एक डी० डी० टी० का कारखाना लगाया गया था। केरल ने तीसरी योजना में 100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की मांग की थी। मंत्री महोदय कह सकते हैं कि केरल को दूसरा जहाज बनाने का कारखाना, सूक्ष्म (प्रोसीज़न) औज़ार बनाने का कारखाना तथा पादप-रसायन (फाईटो-केमिकल) कारखाना दिया गया है। लेकिन इन सब को मिलाकर कुल आवंटन केवल 52 करोड़ रुपये होता है और उसमें से भी अब तक 12 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं जबकि तीसरी योजना की अवधि समाप्त होने वाली है। जहाज़ बनाने के कारखाने की कहानी इस सभा को अच्छी तरह मालूम है। यह कारखाना दूसरी योजना में बनना था। श्री राजबहादुर यहां आकर कहते हैं और हमेशा गारंटी देते हैं कि यह कारखाना स्थापित हो रहा है लेकिन हमें इसकी कोई आशा नहीं है। इसलिये हम सरकार और योजना अयोग से मांग करते हैं कि चौथी योजना में केरल को अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिये। जब बहुत अधिक विनियोजन नहीं किया जाता और सरकार के सीधे नियन्त्रण में अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में भी यदि सफल हो सकें, श्रम- प्रधान उद्योग स्थापित नहीं किये जाते, तब तक केरल की आर्थिक समस्या हल नहीं हो सकती। मुझे अपने अनुभव के आधार पर ऐसा करना पड़ता है। कोरी बातों से समस्या हल नहीं हो सकती।

समुद्र द्वारा भूमि का कटाव एक राष्ट्रीय समस्या है। समुद्र का पानी मेरे निर्वाचन क्षेत्रों के कुछ भागों में आ गया है विशेषज्ञों के अनुसार 120 मील के तटीय क्षेत्र का सुरक्षण करना होगा जिसके लिये 30 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

{श्री खाडिलकर पीठासीन हुए।
SHRI KHADILKAR *in the Chair.*}

केरल एक निर्धन राज्य है इतनी अधिक धनराशि खर्च नहीं कर सकता है। केरल के राज्य-श्री अ० प्र० जैन ने हाल में कहा है कि केन्द्रीय सरकार इस परियोजना के लिये सहमत हो गई है। हम सरकार के बहुत आभारी होंगे यदि वह इस बात की पुष्टी करें।

सबारिगिरी परियोजना में हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी के अधीन काम कर रहे 2500 मज़दूरों द्वारा हड़ताल कर दी गई है। एक मज़दूर को बराबर 12 घंटे तक काम करने को कहा जाता है। मज़दूरों को तीन घंट काम कराकर बिना मज़दूरी दिये भगा दिया जाता है। उन पर कोई कानून लागू नहीं होते। वहां मज़दूरों के साथ अमानसिक व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस भी मज़दूरों

[श्री वासुदेवन नायर]

को तंग कर रही है केरल विधान सभा के लिये हाल में चुने गये दो सदस्यों को परियोजना स्थल पर जाने व मजदूरों से मिलने का प्रयत्न करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और ठेकेदार को संसद द्वारा पास किये गये कानूनों की अवहेलना नहीं करनी देनी चाहिये।

सरकारी पदों पर नियुक्ति के मामले में पुलिस द्वारा जांच प्रणाली का इतना अधिक अनुचित प्रयोग हो रहा है कि यह भी भ्रष्टाचार का एक साधन बन गया है। एक व्यक्ति सरकारी सेवा में नियुक्त नहीं हो सकता, भले ही वह लोक सेवा आयोग द्वारा चुना गया हो, यदि पुलिस के सिपाही से यह रिपोर्ट प्राप्त न हो कि वह किया जा सकता है। इस प्रकार की अनुचित प्रथा समाप्त होनी चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : श्रीमन्, केरल के लोगों ने भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा पहले की तरह मिली-जुली सरकार बनाने के विरुद्ध अपना मत प्रकट किया है। यदि सरकार अथवा कांग्रेस दल ने भूत पूर्व मुख्य मंत्री को पहले ही गद्दी से उतार दिया होता तो आज वहां पर ऐसी स्थिति पैदा न होती जो अब वहां है। इससे हमें यह पाठ सीखना चाहिये कि किसी व्यक्ति को सिद्धान्तों तथा राजनैतिक औचित्य और सत्यनिष्ठा से ऊपर नहीं समझा जाना चाहिये। सरकार पर यह आरोप लगाया जाना उचित नहीं है कि सरकार ने केरल में लोकतन्त्र का गला घोंटा है, क्योंकि सरकार के पास और कोई विकल्प ही नहीं था। सरकार केवल यह कर सकती थी कि वहां पर कांग्रेस के दो गुटों में समझौता करा के सरकार बना देती परन्तु मैं सरकार को इस बात पर बधाई देता कि उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इस प्रकार की गुटबाजी के कारण केरल हमेशा हानि उठाता रहा है। इन कई वर्षों में जितनी भी सरकारें बनीं, हालांकि वह बात लोक प्रिय भी थी, परन्तु उनके रास्ते में कुछ ऐसी बाधायें तथा कठिनाइयां थीं कि वह लोकहित में कार्य करने में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सकीं। कांग्रेस तथा साम्यवादी दलों को लोकतन्त्र के नाम पर एक दूसरे पर दोषारोपण करने की बजाये इन मामलों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये तथा अपनी कमजोरियों को समझना चाहिये और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वह राज्य के हित में किस प्रकार अच्छ ढंग से कार्य कर सकते हैं।

खाद्य खण्डों के बारे में जो पहले प्रबन्ध थे और जो लाभकारी भी सिद्ध हुए थे, वही प्रबन्ध पुनः किये जाने चाहियें। केरल को आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास से अलग रखा जाना बहुत ही गलत है। मैं खाद्य खण्डों के विरुद्ध हूं। सरकार को केरल तथा आन्ध्र प्रदेश के बीच जो खाद्य खण्ड सम्बन्धी अड़चन है उसे दूर कर देना चाहिये। इससे उनकी अधिकांश कठिनाइयां दूर हो जायेंगी।

सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हो सकता है कि वहां पर विभिन्न औद्योगिक उपक्रम स्थापित न किये जा सकें। इस बारे में हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि भारत एक है। सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों को उन स्थानों पर स्थापित किया जाना चाहिये जहां आर्थिक तथा राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से ऐसा करना उचित हो। अल्बत्ता इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि विभिन्न राज्यों से लोगों को वहां पर रोजगार सम्बन्धी पूरा अवसर दिया जाये।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब०रा० भगत) : सभापति महोदय, पिछले कुछ वर्षों में केरल में राजनैतिक पहलू पर अधिक बल रहा जिस के फलस्वरूप वहां पर विकास की प्रगति कुछ धीमी रही है। अतः हमें वहां पर हो रही विकास सम्बन्धी गतिविधियों को ही नहीं बनाये रखना परन्तु उनमें और वृद्धि भी करनी है। केरल की समस्यायें ऐसी नहीं हैं जिनको एक अथवा दो वर्षों में हल

किया जा सके, परन्तु इसमें कुछ समय लगेगा। यदि वहां पर राजनैतिक स्थिरता बनी रहे तो आर्थिक विकास करने में सुविधा रहेगी। अतः केरल में विद्यमान परिस्थितियों की दृष्टि से हमें उस राज्य के विकास के लिये सभी प्रयत्न करने पड़ेंगे। हमने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कृषि के लिये अधिक राशि की व्यवस्था की है ताकि कृषि उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। सरकारी क्षेत्र में उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। गैर-सरकारी क्षेत्र को अधिक सहायता देने की व्यवस्था भी की जा रही है। चौथी योजना में केरल में खाद्य के उत्पादन तथा वितरण, औद्योगिक विकास अथवा अल्प बेरोजगारी और बेरोजगारी की समस्या तथा अन्य विभिन्न सामाजिक तथा राजनैतिक समस्याओं को हल करने के प्रयत्न करने पड़ेंगे।

केरल सरकार ने विद्युत् तथा अन्य चीजों सम्बन्धी कुछ प्रस्ताव भेजे हैं जो कि योजना आयोग, वित्त मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के विचाराधीन हैं। हम जल्दी ही इन प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल केरल भेजेंगे, ताकि निर्णय किया जा सके और उन प्रस्तावों को इसी वर्ष क्रियान्वित किया जा सके।

श्री नायर ने सबरिगिरी परियोजना में हड़ताल का निर्देश दिया। मुझे पता चला है कि हड़ताल को परसों वापिस ले लिया गया है और अब प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है।

योजना आयोग के अनुमान के अनुसार इछिकी परियोजना पर 49.23 करोड़ रुपये खर्च आयेगा। इसके लिये लगभग 12.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी व्यवस्था करना कनाडा सरकार ने स्वीकार कर लिया है। तीसरी योजना में केवल तीन करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। राज्य सरकार ने अधिक विनियोग करने के लिये कहा है, इस पर विचार किया जा रहा है।

विद्युत उत्पादन के लिये अधिक राशि की व्यवस्था करने का जो सुझाव दिया गया है, इस बारे में चौथी योजना में वहां की तथा देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस सुझाव की जांच की जायेगी। जैसा कि सभा को पता है हम चौथी योजना में सारे देश के लिये एक ही विद्युत् जाल बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि हम क्षेत्रीय हितों को भी ध्यान में रखते हैं तथापि हमें इसकी समस्त आवश्यकता का ध्यान रखना है। आज देश में 120 लाख किलोवाट विद्युत् का उत्पादन हो रहा है और अगले पांच वर्षों में हम इसको बढ़ाकर 240 अथवा 250 लाख किलोवाट करना चाहते हैं।

केरल में कृषि उत्पादन में कमी हो जाने का कारण यह था कि राज्य सरकार योजना के पहले दो वर्षों में कृषि के लिये पर्याप्त राशि की व्यवस्था अन्य मदों जैसे विद्युत् संचार सेवा, शिक्षा स्वास्थ्य आदि के लिये वित्त जुटाने के कारण नहीं कर सकी। परन्तु अब पिछले दो वर्षों में कृषि उत्पादन पर बल दिया गया है। 1962–63 में 2.6 करोड़ रुपयों के स्थान पर इस वर्ष कृषि के लिये 6·7 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। अब केरल में खाद्य स्थिति ठीक है। 6 औंस चावल तथा 6 औंस गेहूं दिया जा रहा है और अब उचित मूल्य की दुकानों पर भीड़ कम होती है। केरल में खाद्य स्थिति का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कुछ और भी करना पड़ेग तो अवश्य किया जायेगा।

केरल में भूमि के कटाव की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। हम इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। इस बात पर विचार किया जा रहा है कि राज्य को किस रूप में और कितनी सहायता

[श्री ब० रा० भगत]

दी जाये। चौथी योजना में एक योजना बनाई जायेगी जिसके लिये केन्द्र सरकार सहायता देगी। यह सब कुछ बड़ी शीघ्रता से किया जा रहा है। सिद्धान्त रूप से हमने इसके लिये सहायता देना स्वीकार कर लिया है और अब केवल परियोजना को तैयार करना बाकी है जो बहुत शीघ्र तैयार कर ली जायेगी।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए
SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

हम जस बात के इच्छुक हैं कि यद्यपि केरल में विधान मण्डल नहीं है, परन्तु इस राज्य के लिये चौथी योजना तैयार करने तथा उसकी क्रियान्विति में उतनी ही तत्परता तथा शीघ्रता दिखाई जाये जितनी कि अन्य राज्यों के बारे में दिखाई जाती है। वहां पर बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण करने के प्रश्न पर भी चौथी योजना पर विचार करते समय चर्चा की जायेगी। जो भी इसके लिये सहायता की आवश्यकता होगी हम देने के लिये तैयार हैं। वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के उप-सभापति दोनों ही यह देखने के इच्छुक हैं कि केरल की चौथी योजना जल्दी तैयार हो ताकि इस पर समय पर कार्य आरम्भ किया जा सके।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

इनके अतिरिक्त कुछ छोटी-छोटी बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है जैसे कि अर्बी का पढ़ाया जाना, संचार सेवा में सुधार, बाढ़ नियंत्रण आदि और यह भी कहा गया है कि मद्यनिषेध का वैज्ञानिकन नहीं किया जाना चाहिये।

श्री वासुदेवन नायर : और कुछ ने कहा कि इसका वैज्ञानिकन किया जाना चाहिये।

श्री ब० रा० भगत : ऐसी-ऐसी सब छोटी बातों को राज्यपाल तथा उसकी सरकार तक पहुंचा दिया जायेगा और जो कुछ सम्भव हुआ किया जायेगा।

श्री प० गो० सेनन (मुकन्दपुरम) : श्रीमन्, क्या मैं तीसरी योजना में प्रस्तावित दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं, पोत निर्माण आंगन तथा प्रेसिज़न टूल्ज़ एण्ड इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी की स्थिति के बारे में जान सकता हूं जिनको केरल में स्थापित किया जाना था।

श्री ब० रा० भगत : मेरे पास यह जानकारी अभी नहीं है मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी दे दूंगा।

श्री अ० व० राघवन: केरल पंचायत अधिनियम के अनुसार भू-राजस्व का 70 प्रतिशत पंचायतों को देना होता है परन्तु ऐसा अभी नहीं किया जा रहा है। क्या यह देखने के लिये कदम उठाये जायेंगे कि ऐसा किया जाये ?

श्री ब० रा० भगत : मेरे पास इस बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, परन्तु जब अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है तो यह राशि पंचायतों को देनी ही पड़ेगी। यदि यह नहीं दी जा रही है तो इस बारे में कोई और कठिनाई होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following Demands in respect of Kerala were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	कृषि संबंधी आयकर और बिक्री कर	37,21,600
2	भू-राजस्व	1,11,02,900
3	उत्पादन-शुल्क	24,20,500
4	गाड़ियों पर कर	8,25,600
5	स्टाम्प	11,21,400
6	रजिस्ट्री फीस	32,86,300
7	राज्य विधान मंडल	7,63,600
8	निर्वाचन	7,81,100
9	राज्यों के प्रमुख, मंत्री और मुख्यालय के कर्मचारी	65,12,900
10	जिला और विविध	83,25,000
11	न्याय-प्रशासन	87,44,900
12	जेल	45,82,500
13	पुलिस	4,07,20,700
14	राज्य बीमा और विविध	17,22,300
15	वैज्ञानिक विभाग	8,44,200
16	विश्वविद्यालय शिक्षा	1,67,70,000
17	सामान्य शिक्षा	20,69,23,700
18	तकनीकी शिक्षा	1,06,01,400
19	चिकित्सा	4,90,01,400
20	लोक-स्वास्थ्य	1,98,70,700
21	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी	87,71,500
22	कृषि	2,31,87,100
23	मीन क्षेत्र	1,20,62,300
24	ग्राम विकास	45,97,300
25	पशुपालन	94,53,500

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
26	सहकारिता . .	62,67,300
27	उद्योग	81,98,900
28	सामुदायिक विकास प्रायोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य . .	2,45,50,400
29	श्रम और नियोजन .	73,61,900
30	हरिजन कल्याण	1,45,26,900
31	अंक संकलन और विविध . . .	42,09,700
32	सिंचाई	2,48,30,100
33	लोक-निर्माण-कार्य .	7,82,64,200
34	बन्दरगाह	6,26,700
35	परिवहन योजनाएं	4,91,68,200
36	दुर्भिक्ष .	16,81,000
37	पेंशन	2,48,66,100
38	लेखन-सामग्री और छपाई . . .	67,15,500
39	वन . .	1,17,57,000
40	विविध	49,13,500
41	विविध क्षतिपूर्तियां और समर्पण (असाइनमेंट) . .	13,68,400
42	राष्ट्रीय संकटकाल	41,000
43	लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय . .	93,27,300
44	कृषि सुधार पर पूंजी परिव्यय . .	5,84,400
45	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय . .	2,85,52,800
46	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय . . .	2,77,23,800
47	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय . .	4,80,78,000
48	अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय .	33,25,300
49	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	66,77,000
50	परिवहन योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . .	3,71,800
51	वनों पर पूंजी परिव्यय . .	34,65,700
52	पेंशनों का राशीकृत मूल्य . . .	2,08,000
53	सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . .	69,26,76,900
55	सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम . .	14,92,90,700

केरल विनियोग (संख्या 2)विधेयक 1965

Kerala Appropriation (No.) 2 Bill, 1965

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं श्री ति० त० कृष्णमाचारी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1965-66 की सेवाओं के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1965-66 की सेवाओं के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री ब० रा० भगत: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री ब० रा० भगत : मैं श्री ति० त० कृष्णमाचारी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1965-66 की सेवाओं के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1965-66 की सेवाओं के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री ब० रा० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

रेलवे अभिसमय समिति के बारे में संकल्प

RESOLUTION *RE* : RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि—

(एक) सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे उपक्रमों द्वारा इस समय सामान्य राजस्व में दिये जाने वाले लाभांश की दर और रेलवे वित्त से सम्बन्धित अन्य अनुषंगी मामलों का पुनर्विलोकन करने और 30 नवम्बर, 1965 तक उन पर सिफारिशें करने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये जिसमें अध्यक्ष महोदय द्वारा नाम-निर्देशित इस सभा के बारह सदस्य हों; और

(दो) कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि वह अपने 6 सदस्यों को समिति से सहयोजित करने के लिये सहमत हो और इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि—

(एक) सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे उपक्रमों द्वारा इस समय सामान्य राजस्व में दिये जाने वाले लाभांश की दर और रेलवे वित्त से सम्बन्धित अन्य अनुषंगी मामलों का पुनर्विलोकन करने और 30 नवम्बर, 1965 तक उन पर सिफारिशें करने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये जिसमें अध्यक्ष महोदय द्वारा नाम-निर्देशित इस सभा के बारह सदस्य हों; और

(दो) कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि वह अपने 6 सदस्यों को समिति से सहयोजित करने के लिए सहमत हो और इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

श्री स० का० पाटिल : पिछली बार जब इस विषय पर चर्चा हुई थी तो उस समय बहुत से माननीय सदस्य सभा के सदस्य नहीं थे। इस लिये मेरे लिये यह आवश्यक हो जाता है कि मैं इस बारे में पिछला वृत्तान्त दे दूं। और पता चल जाये कि इस समिति के बनाने की आवश्यकता क्यों हुई है।

1924 में केन्द्रीय विधान मण्डल ने रेलवे वित्त को सामान्य वित्त से पृथक् कर दिया था। और इस सम्बन्ध में कुछ नियम बनाये गये थे। इन्हीं के अनुसार स्वाधीनता प्राप्ति तक कार्य चलता रहा। 1949 में रेलवे अभिसमय समिति ने रेलवे के काम का निरीक्षण किया और उसकी रिपोर्ट का अनुमोदन संविधान सभा (विधायिनी) ने 1949 में किया। इसी प्रकार 1954 में भी ऐसे ही अनुमोदन संस ने किया और बाद में इस संकल्प की अवधि 31 मार्च 1961 तक बढ़ा दी गई। वर्तमान संकल्प की अवधि 1966 से 1971 तक के लिये है। यही समय चौथी पंचवर्षीय योजना का है। इसलिये यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

1960 में जिन बातों का संसद् में अनुमोदन किया गया था, वे बड़े सन्तोषजनक ढंग से पूरी हुई हैं। इस बारे में संसद् के अनुमोदन के बाद दो सुधार किये गये हैं। सामान्य बजट में से प्रतिरक्षा के

लिये अधिक खर्च होने लगा है। इस बात को तथा सरकारी ऋण की बढ़ती हुई दर को ध्यान में रखते हुए ये सुधार किये गये हैं।

तीसरी योजना अवधि में व्यय में वृद्धि हुई है। इसलिये यह आवश्यक है कि रेलवे की आय बढ़ायी जाये। रेलवे के नवीकरण पर निर्धारित अनुमानित व्यय में वृद्धि हुई है। रेलवे के लिये अधिक कठिनाई का समय अब आरम्भ हुआ है। रेलवे को उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क में वृद्धि तथा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण अतिरिक्त धन देना पड़ेगा। इस समिति को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के दौरान सुदृढ़ स्थिति को जारी रखने के उपायों के बारे में भी ध्यान रखना होगा। मुझे आशा है कि इस समिति के रिपोर्ट नवम्बर 1965 तक संसद् में पेश कर दी जायेगी।

Shri Bade (Khargaon) : Sir, it was in 1963 that a motion was brought here and dividend was raised from 4·25 to 4·50. It was objected by Shri Frank Anthony at that time. He wanted that unless the depreciation Fund is completed no dividend was justified. Before paying dividend we should see that Railways are expanding their capacity according to plans. Railways are not entitened for dividend, if they do not show any profit. The dividend was increased from 360 crores of rupees to 380 crores of rupees by passing resolution in Parliament and no convention committee was appointed. I feel no dividend should be paid until the arrears of depreciation fund are cleared.

Railways have not achieved the targets fixed for Second and Third five year plans. New lines, contemplated during this period, have not been laid. I give Madhya Pradesh as an example. Baster region has no railway line. New lines are being laid in areas where they already exist. Therefore instead of paying dividend, money should be spent on laying railway lines in undeveloped areas.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं पिछली बार की इस आशय की समिति का सदस्य था। अतः मुझे इस विषय की जानकारी है। हमारा रेलवे विभाग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अन्य देशों में रेलवे का प्रयोग मुख्य रूप से माल ले जाने के लिये होता है परन्तु हमारे देश में रेलें यात्रियों के लिये हैं। रेलवे को अपनी अवक्षयण निधि बढ़ानी चाहिये। इससे रेलवे के पुराने इंजनों तथा डिब्बों आदि की मरम्मत में सहायता मिलेगी। रेलवे मन्त्रालय को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। देश में नई रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं। इसके लिये यह विभाग सराहना का पात्र है। देश की प्रतिरक्षा सम्बन्धी मांगों का ध्यान रखते हुए लाभांश की दर बढ़ा दी गई थी। यह बहुत अच्छा निर्णय था।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR SPEAKER *in the Chair*)

रेलवे प्रशासन को अपने कर्मचारियों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहियें। उनके आवास, तथा महंगाई भत्ते पर और धन व्यय किया जाना चाहिये। इस समिति को इन बातों का ध्यान करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

अविलम्बीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--जारी

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*contd.*

(दो) शेख अब्दुल्ला तथा मिर्जा अफजल बेग की गिरफ्तारी

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : I call the attention of the Mihister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon :—

"Arrest and detention of Sheikh Abdullah".

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : 8 मई, 1965 को शेख अब्दुल्ला तथा मिर्जा अफ़ज़ल बेग को विदेश से लौटने पर भारत सुरक्षा नियमों के अधीन ऊटकमण्ड जाने तथा वहां की नगरपालिका की सीमाओं के अन्दर रहने का आदेश दिया गया है। यह कार्यवाही इसलिये की गई है ताकि उन्हें भारत की सुरक्षा' असैनिक सुरक्षा तथा नागरिक व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करने से रोका जा सके। पिछले दो महीनों में उनकी गतिविधियां ऐसी रही हैं कि उन पर यह प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक हो गया था।

श्रीनगर में तथा काश्मीर घाटी के कुछ अन्य स्थानों पर शेख अब्दुल्ला के समर्थकों तथा पाकिस्तान के समर्थकों ने अराजकता तथा सरकारी सम्पत्ति को हानि पहुंचाने की कार्यवाही की है। राज्य सरकार इस स्थिति का दृढ़ता से सामना कर रही है। वहां पर जीवन सामान्य की भांति है। यह गड़बड़ केवल कुछ स्थानों पर हुई हैं। स्थिति पर राज्य सरकार का पूरा नियन्त्रण है। वहां बहुत बड़ी संख्या में भारतीय तथा विदेशी पर्यटक अवकाश मना रहे हैं। मैं राज्य के मुख्य मन्त्री तथा उनकी सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के तरीकों की सराहना करता हूं।

Shri Kishen Pattnayak : After the release of Sheikh Abdullah the late Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru had sent him to Pakistan as emissary for bringing about an agreement between India and Pakistan in respect of Kashmir. I would like to know wehther Government propose to continue that policy or want to retain its hold on Kashmir setting one group against the other.

श्री नन्दा : वर्तमान परिस्थिति में हम केवल देश की सुरक्षा से ही संबंधित हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Speaker, Sir, there are very few occasions when I feel happy for not opposing the Government. To-day is such an occasion. This I say because I hoped that Sheikh Sahib would try to bring India and Pakistan close to each other, bring about unity of Hindus and Muslims and keep himself away from the affairs of Kashmir. I have also the right to say this regarding Kashmir as I was the first Indian who hade made persistent demands for the release of Shiekh Sahib and there was a time when in the biggest mosque of Srinagar slogans of "Shiekh Abdullah Zindabad and "Lohia Zindabad" were raised.

Why is it that on that border we always meet with Dorji families in Bhutan, Sheikh Abdullah in Kashmir and people like Phizo in Nagaland and lose friends like Khan Abdul Gaffar Khan in Pakhtunistan and like Dalai Lama in Tibet ? There seems to be some grave mistake in respect of our policy regarding the northern borders.

At the end I want to say that Government should at least give me half the gracesions they have given to Shiekh Abdullah.

Mr. Speaker : It need not be answered.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : (क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि श्री भुट्टो ने गिरफतारी को क्रुर और विधिविरुद्ध, श्री जय प्रकाश नारायण ने अनावश्यक और आचार्य विनोबा भावे ने दूर दर्शिता की कमी बताया है । (ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पालम हवाई अड्डे पर प्रेस फोटो ग्राफरों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया था ; और (ग) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया हैं कि आकाशवाणी के सुबह के समचार बुलेटिन में शेख अब्दुल्ला की गिरफतारी का कोई जिक्र नहीं किया गया था यद्यपि उन्हें चार घंटे पूर्व गिरफतार किया गया था, और यदि सरकार का ध्यान उन तथ्यों की ओंर दिलाया गया है, तो क्या सरकार हमें सारी बातों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बतायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री केवल एक प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री नन्दा : मैं माननीय सदस्य की पहली प्राथमिकता को लेता हूं, और वह थी श्री भुट्टो तथा आचार्य विनोबा भावे द्वारा व्यक्त किये गये मत । श्री भुट्टो के बारे में मैं कुछ नहीं कहुंगा क्योंकि उनसे मैं किसी और बात की आशा नहीं कर सकता ।

आचार्य विनोबा भावे के संबंध में प्रैस ट्रस्ट आफ इन्डिया की रिपोर्ट इस प्रकार हैं :--

> "आचार्य विनोबा भावे ने आज यहां कहा कि वह शेख अब्दुल्ला नज़रबन्धी आदेश जारी करने के लिये सरकार को दोष नहीं देंगे क्योंकि विधि तथा व्यवस्था बनाये रखना सरकार की ज़िम्मेदारी हैं।"

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय उनके ब्यान के आखिरी शब्दों को देखें उनमें दूरदर्षिता की शिकायत की गई हैं ।

श्री नन्दा : ये शब्द उसमें नहीं हैं ।

श्री हेम बरुआ : मैं प्रति वेदन पेश कर सकता हूं ।

Shri Bade (Khargone) : Why Shiekh Abdullah has been given the freedom to move about with in the municipal limits ofDory and not confined to any one building ? Secondly what steps Government propose to restrain Shri Jai Prakash Narain from making such statements ?

Mr. Speaker : Only one question need be replied.

Shri Bade : The one regarding Shri Jay Prakash Narain may be answered.

श्री नन्दा : पहला प्रश्न शेख अब्दुल्ला की नज़रबन्दी के बारे में था । उन्हें शहर की नगरपालिका की हद के भीतर घूमने फिरने की स्वतन्त्रता हैं, और कुछ अन्य प्रतिबन्ध भी हैं, ताकि हम सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, जिसके लिये उनको वहां रखा गया हैं ।

श्री बड़े : श्री जय प्रकाश नारायण के वक्तव्य का क्या बना ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक पृथक प्रश्न हैं । मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनवाद) : श्री जय प्रकाश नारायण के वक्तव्य के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से भी, यदि यह मान लिया जाये है कि सरकार अब भी काश्मीर के प्रश्न को ऐसे ढंग से सुलझाने की इच्छुक हैं जो कि काश्मीर के लोगों के लिये संतोषजनक है, यह कार्यवाही त्रुटिपूर्ण है और कठिनाइयों से भरी हुई है?

श्री नन्दा : यदि हमें कोई धमकी देता है तो इस पर हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya(Devas) : What action is being taken to put a check on the statements being made by Shri Jay Prakash Narain?

Shri Nanda : Many persons may be indulging in such sort of talks but action is taken only on those things to which importance is attached.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : May I know whether there would be short-term policy or a long-term policy regarding Pakistan and Kashmir affairs ?

Shri Nanda : So far as we are concerned we try to have a long range view but others are also concerned with that and if they refuse to have a long range view, what can we do.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Is it because of the fear of being called capitalist that Government have been following the policy which brought us into contact with people like Shiekh Abdullah and deprived of people like Frontier Gandhi ? Does Government realise the need to effect changes in its policy as would maintain the freedom and unity of India ?

Shri Nanda : I appreciate this spirit of unity and freedom. We will follow this line.

Shri Bagri (Hissar) : May I know the difference between the allowances being given to political workers detained under Defence of India Rule and Sheikh Abdullah. What amount is Government spending on Shiekh Abdullah and what amount on other detenues.

Shri Nanda : It depends on the circumstances.

Shri Bagri : Sheikh Abdullah, who was arrested for being a traitor, has been detained in a very big palace while Socialist and Communist workers have been kept in prisons. Why special treatment is accorded and leniency shown to Shekh Abdullah from the day he was detained ?

Mr. Speaker : This has been replied to. Order, Order. He should resume his seat.

Shri Bagri : Unless the people of the country know all the things...

Mr. Speaker : He may sit down and allow others also to speak.

श्री अल्वारेस (पंजिम) : काश्मीर की समस्या का कारण यह है कि भारत सरकार ने किसी एक व्यक्ति पर भारी भरोसा किया है। इसको ध्यान में रखते हुए कि यह एक खतरनाक स्थिति है, क्या सरकार जम्मू और काश्मीर के भारत के साथ पूर्ण विलय के लिये अब कोई शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

श्री नन्दा : जहां तक जम्मू तथा काश्मीर का संबंध है हम ने यह स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है कि यह भारत का अंग है और दूसरे प्रशासनिक कदम तेजी से उठाये जा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रापाड़ा): क्या गिरफ्तारी से पूर्व शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों के सामान की तलाशी ली गई थी और क्या उनसे कोई दस्तावेज़ प्राप्त हुए हैं जिन से कि उनकी विदेशों में कार्यवाही का पता चल सके ? क्या शेख अब्दुल्ला के साथियों की कार्यवाहियां देश की सुरक्षा के लिये खतरा नहीं हैं ।

श्री नन्दा: जहां तक शेख अब्दुल्ला के साथियों का संबंध है जम्मू तथा काश्मीर सरकार उनके संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

दुसरे मामले के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Have some leaders from outside or in side this country put pressure upon the Government that a blunder has been made by arresting Shiekh Abdullah ? If so, whether Government would again make a mistake under that pressure ?

Shri Nanda : All things have been done after careful thought and there is no question of any one putting pressure.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : सरकार ने किन तथ्यों और किन बातों से मजबूर होकर शेख को गिरफ्तार किया है ? क्या उनके अनुयाईयों के संबंध में भी यही कार्यवाही की जायेगी ?

श्री नन्दा: कार्यवाहियों के संबंध में माननीय सदस्यों को पहले से ही काफी पता है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : शेख अब्दुल्ला की पहली गिरफ्तारी के समय भी, उनको नायक समझा गया था क्योंकि उन पर शीघ्र और उपयुक्त तरीके से मुकदमा नहीं चलाया गया था। क्या सरकार शेख अब्दुल्ला पर दोषारोपण करेगी और मुकदमा चलायेगी ?

श्री नन्दा: मैं समझता हूं कि वह माननीय सदस्य की आंखों में एक नायक नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम) : समाचार पत्रों में खबर थी कि शेख अब्दुल्ला ने जेड्डाह से प्रधान मंत्री या गृह मंत्री के नाम पत्र लिखा था जिसे यहां पर पहुंचाने के लिये सऊदी अरब में हमारे राजदूत को दिया गया था। क्या हमारे राजदूत से इस संबंध में कोई पूछ-ताछ की गई है, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री नन्दा: व्यक्तिगत रूप से पत्र दिये जाने के लिये ऐसा कोई दावा किया गया हो, इसका हमें ज्ञान नहीं है ।

श्री हेम बरुआ: उसके दामाद ने यह दावा किया है ।

श्री नन्दा: खैर कुछ भी हो, हमें ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : क्या सरकार यह जानती है कि न केवल दिल्ली में ही, अपितु दिल्ली से बाहर पाकिस्तानी दूतावास में भी शेख अब्दुल्ला समर्थक सेल हैं? सरकार इन सेलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही हैं ?

श्री नन्दा: अन्य स्थानों पर भी पाकिस्तानी दूतावास के साथ शेख अब्दुल्ला के संपर्क के संबंध में पता चला है, और स्वभावतः यदि हमारे देश में ऐसी कोई अवांछनीय कार्यवाही है, किसी प्रकार का सेल है, तो हम निश्चय ही उस पर कड़ी निगरानी रखेंगे और उपयुक्त कार्यवाही करेंगे ।

Shri Onkar Lal Berwa: May I know whether Mridula Sarabai wanted to see the President, Vice President and the Prime Minister in connection with the arrest of Shiekh Abdullah and if she had had a meeting, the result thereof ?

Shri Nanda : I think she did not meet, but I do not attach any importance to any of her letter. (*Interruptions*).

Shri Madhu Limaye (Monghyr): The question whether it is the fear of being called capitalistic has not been answered.

Mr. Speaker : Order, Order.

Dr. Ram Manohar Lohia : On a point of order, Sir.....

Mr. Speaker : No question can be allowed at this stage after 20, 25 questions have been asked. Half an hour Disscussion. Shri Kachhavaiya.

Shri Ram Sewak Yadav : On a point of order, Sir.....

Mr. Speaker : I cannot proceed in this manner.

Shri Ram Sewak Yadav : The point of order is.....**

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जायेगा ।

(इसके पश्चात् श्री रामसेवक यादव सभा-भवन से उठकर चले गये)

(Shri Ram Sewak Yadav then left the House).

---

*सरकारी कर्मचारियों को स्कूटरों का दिया जाना

*ALLOTMENT OF SCOOTERS TO GOVERNMENT EMPLOYEES

Shri Hukam Chand Kachhavoiya(Dewas) : Mr. Speaker, Sir I raise this half-an hour discussion arising out of the the replies given to Starred Question No.295 and Unstarred Questions Nos. 727 and 728 of 5th March, 1965. The Government Employees have to face a lot of inconvenience in big cities like Delhi due to the non-availbility of scooters. The bus service is most inefficient. They have to wait for the bus for hours together and bear the admonishing of the officer for not reaching office in time. Long ques of Government employees can be seen at the bus stops. In summer they have to bear the scorcteing heat of the Sun and in rainy season their clothes are spoiled by rains. In view of all this it is absolutely necessary that immediate changes should be made in the policy of allotting scooters to Government employees so, that they can get scooters in a greater number. How many persons out-of those who have applied for scooters are able to get that ?

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

In reply to an Unstarred Question No. 727 the hon. Minister said that till 5th February, the number of applications for scooters from 1965 Gazetted

---

**कार्यवाही के वृतान्त में सम्मलित नहीं किया गया

*आधे घंटे की चर्चा

**Not recorded·

Half-an-hour discussion.

officers was 6281 and from non-gazetted officers 11431 bringing the total to 17712. Apart from this 17000 applications had also been received from the Ministry of Defence by that date which means that more than 35,000 applications were received. The number of scooters allotted to various categories of employees from the Central Government quota during years 1963 and 1964 quarterly quota of was 5229 against the 2 years quota of 13285 scooters calculated on the basis of 1660 scooters. I want to know why this quota is not fully distributed. After all why this kind of bungling. Besides scooters Government is also getting 600 motor cycles from various companies, but still the Gover nment employees are not able to get them according to their needs.

Recently in reply to a question it was told that only officers getting Rs. 500 and above will be allotted scootters. Why this discrimination ? The idea of not allotting scooters to employees getting less than Rs. 500 is ununderstandable. The persons getting Rs. 500 and above can, of course, afford to come in a taxi when need be, but how can the low paid employees do so ? These poor fellows leave office pretty late and do not get the bus in time. They should be given more facilities. With great hopes these poor people had made a saving to purchase the scooter by reducing their expenditure in various items.

Shri Achal Singh (Agra) : There is no quorum in the House.

अध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही हैं। घंटी बजनी बन्द हो गई है और अब भी गणपूर्ति नहीं है। सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 11 मई, 1965/21 वैशाख, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday May 11, 1965/Vaisakha 21, 1887 (Saka).

GMGIPND—LS III—750 (AI) LS—6-8-65—600